न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम, (म.प्र.)
–: पीठासीन अधिकारी –फिरोज अख्तर:–

Registration No.	RCT-1041/2023
Filing No.	RCT-3776/2023
CNR No.	MP0501-004600-2023
Date of Filing	17-10-2023
Date of Registration	17-10-2023

टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम (भोपाल) म.प्र. के वन अपराध कमांक 237/10 दिनांक 18.08.2023 अंतर्गत धारा 9, 39, 48ए, 49बी, 51, 52 एवं 57 वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित, 2022) से उद्भूत आपराधिक प्रकरण

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 11/02/2026 को घोषित)

RCT Case No.-1041/2023

अभियोजन	मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम (भोपाल) म.प्र.
अभियोजन द्वारा	श्री अरूण पठारिया ए.डी.पी.ओ
अभियुक्त	**1.** आदिन सिंह उर्फ कल्ला आत्मज ग्यासन बाबरिया आयु लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम श्रीहपुर दसुआ होशियारपुर पंजाब **2.** पुजारी सिंह वल्द रामकुमार सिंह बाबरिया आयु लगभग 27 वर्ष निवासी

Continued Page No (2)

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

	होशियारपुर पंजाब **3.** रिंडिक टेरोन्पी पति लॉन्गसिंह सेनार आयु लगभग 55 वर्ष निवासी करबिअलॉन्ग असम
अभियुक्त आदिन सिंह उर्फ कल्ला एवं रिंडिक टेरोन्पी द्वारा अभियुक्त पुजारी सिंह द्वारा	श्री पंकज तिवारी अधिवक्ता श्री कल्पेश दुबे अधिवक्ता
अपराध की तारीख	18.08.2023
पी.ओ.आर की तारीख	18.08.2023
आरोपों के विरचना की तारीख	01.09.2025
साक्ष्य प्रारम्भ किए जाने की तारीख (आरोप पूर्व साक्ष्य)	27.10.2023
निर्णय हेतु सुरक्षित किए जाने की तारीख	10.02.2026
निर्णय की तारीख	11.02.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	कंडिका कमांक 149 अनुसार, दिनांक 11.02.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / न्यायिक अभिरक्षा की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोष मुक्ति या दोष सिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	द.प्र.स की धारा 428 प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (3)

							गई निरोध की अवधि
1	आदिन सिंह उर्फ कल्ला	23.08.2023	———	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, (यथा संशोधित, 2022) की धारा 44, 49/51	दोष सिद्धि	कंडिका कमांक 149 अनुसार	2 वर्ष 5 माह 19 दिवस (दिनांक 23.08.2023 से आज दिनांक 11.02.2026 तक)
2	पुजारी सिंह	14.12.2023	———	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, (यथा संशोधित, 2022) की धारा 44, 49/51	दोष सिद्धि	कंडिका कमांक 149 अनुसार	2 वर्ष 1 माह 28 दिवस (दिनांक 14.12.2023 से आज दिनांक 11.02.2026 तक)
3	रिंडिक टेरोन्पी	10.03.2025	———	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, (यथा संशोधित,	दोष सिद्धि	कंडिका कमांक 149 अनुसार	11 माह 1 दिवस (दिनांक

Continued Page No (4)

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

				2022) की धारा 44, 49/51			10.03.2025 से आज दिनांक 11.02.2026 तक)

अभियोजन के साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	दिनेश कुमार शर्मा	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.2	अनिल कुमार यादव	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.3	चंद्रशेखर शर्मा	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.4	मुकेश कुमार पटेल	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.5	अंकित जामोद	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.6	राजू सिंह राजपूत	वन विभाग के साक्षी/विवेचक साक्षी
अ.सा.7	विनोद सिंह	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.8	डॉ. गुरूदत्त शर्मा	वन्य प्राणी चिकित्सक
अ.सा.9	वीना नायक	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.10	प्रदीप यादव	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.11	रवि शर्मा	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.12	ऋषभ शर्मा	बैंक मैनेजर

बचाव साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक	निरंक	निरंक

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (5)

अभियोजन प्रदर्शों की सूची–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.–1/अ.सा.1/23.11.2023	मौका रवानगी पंचनामा
2	प्रदर्श पी.–2/अ.सा.1/23.11.2023	मौके पर जप्त वन्यप्राणी अवयवों एवं अन्य जप्त सामग्रियों की सूची
3	प्रदर्श पी.–3/अ.सा.1/23.11.2023	जप्तीनामा
4	प्रदर्श पी.–4/अ.सा.1/23.11.2023	जप्तीनामा
5	प्रदर्श पी.–5/अ.सा.1/23.11.2023	नजरी नक्शा
6	प्रदर्श पी.–6/अ.सा.1/23.11.2023	पंचनामा
7	प्रदर्श पी.–7/अ.सा.1/23.11.2023	पी.ओ.आर
8	प्रदर्श पी.–8/अ.सा.1/23.11.2023	पंचनामा
9	प्रदर्श पी.–9/अ.सा.1/23.11.2023	स्थल शिनाख्ती पंचनामा
10	प्रदर्श पी.–10/अ.सा.1/23.11.2023	पंचनामा
11	प्रदर्श पी.–11/अ.सा.1/23.11.2023	वन्यप्राणी के अव्यवों को जांच हेतु जमा करने का पत्र
12	प्रदर्श पी.–12/अ.सा.1/23.09.2022	रसीद
13	प्रदर्श पी.–13/अ.सा.1/23.09.2022	दिनेश कुमार शर्मा के केस डायरी कथन
14	प्रदर्श पी.–14/अ.सा.2/20.12.2023	अनिल कुमार के केस डायरी कथन
15	प्रदर्श पी.–15/अ.सा.2/20.12.2023	पंचनामा
16	प्रदर्श पी.–16/अ.सा.2/20.12.2023	आदिन सिंह उर्फ कल्ला के केस डायरी कथन
17	प्रदर्श पी.–17/अ.सा.2/20.12.2023	आदिन सिंह उर्फ कल्ला के पूछताछ बयान
18	प्रदर्श पी.–18/अ.सा.2/20.12.2023	स्थल शिनाख्तगी पंचनामा

Continued Page No (6)

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

19	प्रदर्श पी.–19 / अ.सा.2 / 20.12.2023	जामातलासी
20	प्रदर्श पी.–20 / अ.सा.1 / 10.02.2024	आदिन सिंह उर्फ कल्ला का गिरफ्तारी पंचनामा
21	प्रदर्श पी.–21 / अ.सा.3 / 21.08.2024	चंद्रशेखर शर्मा के बयान
22	प्रदर्श पी.–22 / अ.सा.6 / 17.04.2025	अंकित जामोद को प्रभारी अधिकारी टाईगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा लिखा गया पत्र
23	प्रदर्श पी.–23 / अ.सा.6 / 17.04.2025	डॉ. गुरूदत्त शर्मा को प्रभारी अधिकारी टाईगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा लिखा गया पत्र
24	प्रदर्श पी.–24 / अ.सा.6 / 17.04.2025	पत्र
25	प्रदर्श पी.–25 / अ.सा.6 / 17.04.2025	पत्र
26	प्रदर्श पी.–25ए / अ.सा.6 / 17.04.2025	कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्रदाय करने बाबत् लिखा गया पत्र
27	प्रदर्श पी.–26 / अ.सा.6 / 17.04.2025	पत्र
28	प्रदर्श पी.–27 / अ.सा.6 / 17.04.2025	फॉरेसिंक परीक्षण बाबत् लिखा गया पत्र
29	प्रदर्श पी.–28 / अ.सा.6 / 17.04.2025	मोबाईल की फॉरेसिंक जांच बाबत् लिखा गया पत्र
30	प्रदर्श पी.–29 / अ.सा.6 / 17.04.2025	आरोपी पुजारी की पतासाजी बाबत् लिखा गया पत्र
31	प्रदर्श पी.–30 / अ.सा.6 / 17.04.2025	आरोपी पुजारी के विरूद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी करने बाबत् लिखा गया पत्र
32	प्रदर्श पी.–31 / अ.सा.6 / 17.04.2025	आरोपी के मोबाईल से मिले ट्रांसेक्शन की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् लिखा गया पत्र
33	प्रदर्श पी.–32 / अ.सा.6 / 17.04.2025	अभियुक्तों के बीच आपस में हुई

14/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (7)

		बातचीत का सारांश
34	प्रदर्श पी.–33 / अ.सा.6 / 17.04.2025	आरोपियों की भूमिका का फ्लोचार्ट
35	प्रदर्श पी.–34 / अ.सा.6 / 17.04.2025	कैफ रिपोर्ट प्रदाय करने बाबत् लिखा गया पत्र
36	प्रदर्श पी.–35 / अ.सा.6 / 17.04.2025	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
37	प्रदर्श पी.–36 / अ.सा.6 / 17.04.2025	सी.डी.आर
38	प्रदर्श पी.–37 / अ.सा.6 / 17.04.2025	दिलीप सिंह पटेलिया के बयान
39	प्रदर्श पी.–38 / अ.सा.6 / 17.04.2025	मुकेश कुमार पटेल का बयान
40	प्रदर्श पी.–39 / अ.सा.6 / 17.04.2025	वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 की छायाप्रति
41	प्रदर्श पी.–40 / अ.सा.6 / 17.04.2025	केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट
42	प्रदर्श पी.–41 / अ.सा.6 / 17.04.2025	केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट
43	प्रदर्श पी.–42 / अ.सा.6 / 17.04.2025	पेनड्राइव
44	प्रदर्श पी.–43 / अ.सा.6 / 17.04.2025	रिपोर्ट
45	प्रदर्श पी.–44 / अ.सा.6 / 17.04.2025	रिपोर्ट
46	प्रदर्श पी.–45 / अ.सा.6 / 17.04.2025	रिपोर्ट
47	प्रदर्श पी.–46 / अ.सा.6 / 17.04.2025	रिपोर्ट
48	प्रदर्श पी.–47 / अ.सा.6 / 17.04.2025	अभियोग पत्र
49	प्रदर्श पी.–48 / अ.सा.6 / 22.07.2025	आरोपी पुजारी की गिरफ्तारी बाबत् लिखा गया पत्र
50	प्रदर्श पी.–49 / अ.सा.6 / 22.07.2025	पुजारी का गिरफ्तारी पत्रक
51	प्रदर्श पी.–50 / अ.सा.6 / 22.07.2025	पुजारी का बयान
52	प्रदर्श पी.–51 / अ.सा.6 / 22.07.2025	आदेश

Continued Page No (8)

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

53	प्रदर्श पी.–52 / अ.सा.6 / 22.07.2025	पंचनामा स्थल शिनाख्तगी
54	प्रदर्श पी.–53 / अ.सा.6 / 22.07.2025	नजरिया नक्शा
55	प्रदर्श पी.–54 / अ.सा.6 / 22.07.2025	स्थल शिनाख्तगी पंचनामा
56	प्रदर्श पी.–55 / अ.सा.6 / 22.07.2025	नजरिया नक्शा
57	प्रदर्श पी.–56 / अ.सा.6 / 22.07.2025	स्थल शिनाख्तगी पंचनामा
58	प्रदर्श पी.–57 / अ.सा.6 / 22.07.2025	नजरी नक्शा
59	प्रदर्श पी.–58 / अ.सा.6 / 22.07.2025	सी.डी.आर एवं कैफ प्रदाय करने बाबत् लिखा गया बाबत्
60	प्रदर्श पी.–59 / अ.सा.6 / 22.07.2025	सी.डी.आर एवं कैफ प्रदाय करने बाबत् लिखा गया बाबत्
61	प्रदर्श पी.–60 / अ.सा.6 / 22.07.2025	पुजारी के कबूलियत बयान
62	प्रदर्श पी.–61 / अ.सा.6 / 22.07.2025	आरोपी पुजारी एवं आदिन के बीच हुई बातचीत का विवरण
63	प्रदर्श पी.–62 / अ.सा.6 / 22.07.2025	साक्ष्य अधिनियम धारा 65 बी का प्रमाण पत्र
64	प्रदर्श पी.–63 / अ.सा.6 / 22.07.2025	अभियुक्तों के बीच हुई बातचीत का विवरण
65	प्रदर्श पी.–64 / अ.सा.6 / 22.07.2025	पत्र
66	प्रदर्श पी.–65 / अ.सा.6 / 22.07.2025	पत्र
67	प्रदर्श पी.–66 / अ.सा.6 / 22.07.2025	वनमंडलाधिकारी गढचिरोली को लिखा गया पत्र
68	प्रदर्श पी.–67 / अ.सा.6 / 22.07.2025	आरोपी पुजारी की जानकारी प्रेषित करने बाबत् लिखा गया पत्र
69	प्रदर्श पी.–68 / अ.सा.6 / 22.07.2025	अनिल कुमार के बयान
70	प्रदर्श पी.–69 / अ.सा.6 / 22.07.2025	दिनेश कुमार शर्मा का बयान
70	प्रदर्श पी.–70 / अ.सा.6 / 22.07.2025	प्रदीप यादव के बयान

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (9)

72	प्रदर्श पी.–71/अ.सा.6/22.07.2025	राज्य शासन द्वारा जारी आदेश
73	प्रदर्श पी.–72/अ.सा.6/22.07.2025	पूरक परिवाद पत्र
74	प्रदर्श पी.–73/अ.सा.6/05.08.2025	पीओआर की सत्यापित प्रति
75	प्रदर्श पी.–74/अ.सा.6/05.08.2025	जप्ती पत्रक की सत्यापित प्रतिलिपि
76	प्रदर्श पी.–75/अ.सा.6/05.08.2025	जप्तीनामा की सत्यापित प्रतिलिपि
77	प्रदर्श पी.–76/अ.सा.6/05.08.2025	जप्तीनामा की सत्यापित प्रतिलिपि
78	प्रदर्श पी.–77/अ.सा.6/05.08.2025	पंचनामा की सत्यापित प्रतिलिपि
79	प्रदर्श पी.–78/अ.सा.6/05.08.2025	पंचनामा की सत्यापित प्रतिलिपि
80	प्रदर्श पी.–79/अ.सा.6/05.08.2025	आदिन सिंह के कबूलियत बयान की सत्यापित प्रतिलिपि
81	प्रदर्श पी.–80/अ.सा.6/05.08.2025	अनिल कुमार यादव के बयान की सत्यापित प्रतिलिपि
82	प्रदर्श पी.–81/अ.सा.6/05.08.2025	चंद्रशेखर शर्मा के बयान की सत्यापित प्रतिलिपि
83	प्रदर्श पी.–82/अ.सा.6/05.08.2025	मुकेश कुमार पटेल के बयान की सत्यापित प्रतिलिपि
84	प्रदर्श पी.–83/अ.सा.6/05.08.2025	दिलीप सिंह पटेलिया के बयान की सत्यापित प्रतिलिपि
85	प्रदर्श पी.–84/अ.सा.6/05.08.2025	पुजारी सिंह के बयान की सत्यापित प्रतिलिपि
86	प्रदर्श पी.–85/अ.सा.6/05.08.2025	पुजारी सिंह की इंट्रोगेशन रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि
87	प्रदर्श पी.–86/अ.सा.6/05.08.2025	आरोपी पुजारी एवं रिंडिक की आपस में हुई बातचीत का विवरण
88	प्रदर्श पी.–87/अ.सा.6/05.08.2025	आदेश
89	प्रदर्श पी.–88/अ.सा.6/05.08.2025	हेंडओवर पत्र

Continued Page No (10)

14/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

90	प्रदर्श पी.—89 / अ.सा.6 / 05.08.2025	अधीक्षक सेंट्रल जेल गुवाहटी द्वारा दिया गया पत्र
91	प्रदर्श पी.—90 / अ.सा.6 / 05.08.2025	आरोपी रिंडिक की फोटो
92	प्रदर्श पी.—91 / अ.सा.6 / 05.08.2025	आरोपी रिंडिक टेरोन्पी का गिरफ्तारी पत्रक
93	प्रदर्श पी.—92 / अ.सा.6 / 05.08.2025	गिरफ्तारी सूचना पत्र
94	प्रदर्श पी.—93 / अ.सा.6 / 05.08.2025	ईमेल की प्रति
95	प्रदर्श पी.—94 / अ.सा.6 / 05.08.2025	पत्र
96	प्रदर्श पी.—95 / अ.सा.6 / 05.08.2025	पत्र
97	प्रदर्श पी.—96 / अ.सा.6 / 05.08.2025	सी.डी.आर / कैफ / 65बी प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत् लिखा गया पत्र
98	प्रदर्श पी.—97 / अ.सा.6 / 05.08.2025	ईमेल की प्रति
99	प्रदर्श पी.—98 / अ.सा.6 / 05.08.2025	ईमेल की प्रति
100	प्रदर्श पी.—99 / अ.सा.6 / 05.08.2025	कैफ
101	प्रदर्श पी.—100 / अ.सा.6 / 05.08.2025	सीडीआर
102	प्रदर्श पी.—101 / अ.सा.6 / 05.08.2025	साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी का प्रमाण पत्र
103	प्रदर्श पी.—102 / अ.सा.6 / 05.08.2025	आदेश
104	प्रदर्श पी.—103 / अ.सा.6 / 05.08.2025	हेंड ओवर पत्र
105	प्रदर्श पी.—104 / अ.सा.6 / 05.08.2025	पत्र
106	प्रदर्श पी.—105 / अ.सा.6 / 05.08.2025	बैंक खाते की जानकारी
107	प्रदर्श पी.—106 / अ.सा.6 / 05.08.2025	पत्र
108	प्रदर्श पी.—107 / अ.सा.6 / 05.08.2025	बैंक खाते की जानकारी
109	प्रदर्श पी.—108 / अ.सा.6 / 05.08.2025	पूरक परिवाद पत्र
110	प्रदर्श पी.—109 / अ.सा.6 / 19.08.2025	रिंडिक टेरोन्पी के कबूलियत बयान

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (11)

111	प्रदर्श पी.–110 / अ.सा.6 / 19.08.2025	फोटो शिनाख्ती
112	प्रदर्श पी.–111 / अ.सा.6 / 19.08.2025	फोटो शिनाख्ती
113	प्रदर्श पी.–112 / अ.सा.6 / 19.08.2025	फोटो शिनाख्ती
114	प्रदर्श पी.–113 / अ.सा.6 / 28.08.2025	रिपोर्ट
115	प्रदर्श पी.–114 / अ.सा.9 / 08.11.2025	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र
116	प्रदर्श पी.–115 / अ.सा.11 / 19.11.2025	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र
117	प्रदर्श पी.–116 / अ.सा.11 / 19.11.2025	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र

बचाव पक्ष के प्रदर्श

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी 1 / अ.सा.1 / 23.11.2023	आदेश

अन्य जप्तशुदा वस्तुएं / आर्टिकल

स.क्र.	आर्टिकल संख्या / वस्तुएं	विवरण
1	वन्यप्राणी पैंगोलिन स्केल	आरोपी आदिन उर्फ कल्ला से वन्यप्राणी पैंगोलिन के स्केल्स 5 नग कमशः 10.6 गुणित 6.5 सेमी, 7.5 गुणित 6.8 सेमी, 6.8 गुणित 7.1 सेमी, 7.4 गुणित 6.3 सेमी, 5.5 गुणित 6.5 सेमी
2	कपड़े के बैग	आरोपी आदिन उर्फ कल्ला से कपड़े के 7 बैग कमशः 30 गुणित 40 सेमी, 30 गुणित 40 सेमी, 30 गुणित 39.5 सेमी, 30 गुणित 39.5 सेमी, 31 गुणित 39.5 सेमी, 30 गुणित 38.5 सेमी, 32 गुणित 40 सेमी
3	काला धागा	आरोपी आदिन उर्फ कल्ला से काला

Continued Page No (12)

4/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

		धागा 54 से.मी.
4	लाल कपड़े का ताबीज	आरोपी आदिन उर्फ कल्ला से लाल कपड़े का ताबीज (सिला हुआ) 5 गुणित 3.5 से.मी.
5	वन्यप्राणी बाघ का नाखून	आरोपी आदिन उर्फ कल्ला से वन्य प्राणी बाघ का नाखून एक नग 2.4 गुणित 5.6 से.मी
6	वन्यप्राणी बाघ की मूंछ का बाल	वन्यप्राणी बाघ की मूंछ के बाल दो नग क्रमशः 14.3 सेमी, 15.8 सेमी
7	मोबाईल	मोबाईल रियलमी 01 नग एयरटेल की सिम सहित

01. अभियुक्तगण के विरूद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2022) की धारा 44, 49/51 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उनने दिनांक 18.08.2023 को और उसके पूर्व वन्यप्राणी बाघ (Panthra Tigris) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2022) की अनुसूची 1 भाग ए में अनुक्रमांक 49 एवं CITES (Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट I के अनुक्रमांक 72 पर और वन्यप्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग–1 के अनुक्रमांक 113 एवं CITES की परिशिष्ट I के अनुक्रमांक 154 पर दर्ज वन्यजीव जिनका शिकार एवं अव्यवों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है, उक्त अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी बाघ के 01 नग नाखून, बाघ की मूंछ के 2 नग बाल और वन्य प्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) स्केल्स 05 नग का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया।

02. अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.08.2023 को वन्यप्राणी मुख्यालय म.प्र. भोपाल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घुम्मकड़ प्रजाति (बाबरिया समाज) के कुछ लोग सागर एवं विदिशा जिलों में वन्यप्राणी

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (13)

के अव्यवों का अवैध व्यापार कर रहे है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रभारी अधिकारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 211 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा दल गठित किया गया। दिनांक 18.08.23 को वन्यप्राणी बाघ/पैंगोलिन के अवैध व्यापार करने वाले व्यक्ति की पुख्ता सूचना मिलने पर गठित दल त्वरित कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। गठित दल मुखबिर की सूचना के अनुसार ग्यारसपुर बायपास तिराहा के पास जिला विदिशा पहुंचा। ग्यारसपुर बायपास तिराहा के पास मुखबिर के बताये हुलिया अनुसार एक व्यक्ति बैग बेचता हुआ दिखायी दिया नाम एवं पता पूछने पर उसने उसका नाम आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया निवासी ग्राम श्रीहपुर थाना/तहसील दसुआ जिला ग्यारसपुर (पंजाब) बताया। आदिन सिंह के पास कपड़े के 7 नग बैग थे मौके पर दल के द्वारा बैगों की तलाशी ली गयी। तलाशी के दौरान 6 नग बैग खाली एवं 1 बैग (गुलाबी गाजरी रंग) के अंदर वन्यप्राणी पैंगोलिन के 5 नग स्केल्स (शल्क) अवैध रूप से पाये गये।

03. आदिन सिंह की तलाशी लेने पर उसके गले में काले धागे में लाल कपड़े में सिला हुआ एक ताबीज था। कपड़े के ताबीज की सिलाई खोलने पर उसके अंदर वन्यप्राणी बाघ का 1 नग नाखून एवं बाघ की मूंछ के 2 नग बाल अवैध रूप से पाये गये। मौके पर वन्यप्राणी पैंगोलिन के स्केल्स 5 नग, लाल कपड़े का ताबीज सिला हुआ 01 नग, काला धागा 01 नग एवं कपड़े के बैग 7 नग की मौके पर नापजोख की कार्यवाही कर जप्ती की कार्यवाही की गयी। मौके पर आदिन से 1 नग मोबाईल (रियलमी आई.एम.ई.आई 868176057849092/01, 868176057849084/01 सिम नंबर 6232465895 एयरटेल) की जप्ती की गयी। मौके पर नजरी नक्शा तैयार किया गया। आरोपी आदिन की जामा तलाशी के दौरान आदिन का आधार कार्ड नं. 859248710202 की रंगीन छायाप्रति पायी गयी। आरोपी आदिन सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी की निशानदेही पर खुरई जिला सागर गये जहां आरोपी के डेरे लगे हुये थे। आरोपी आदिन को सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण खुरई, म.प्र. से गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण कमांक 237/10 दिनांक 18.08.23 पंजीबद्ध किया गया।

Continued Page No (14)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

04. आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला के द्वारा सहायक वनसंरक्षक श्री अंकित जामोंद, सहायक संचालक, सोहागपुर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के समक्ष वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 50(8) के तहत दिनांक 19.08.2023 को अपने बयान में बताया कि वह मोबाइल नम्बर 7889014399, 8817659949, 7087963759, 9811757059, 7845842600, 6232465895 उपयोग कर रहा है। वह खुरई में रहकर आसपास के क्षेत्रों में बैग बेचने का धन्धा करता है। वह जनावर (वन्यप्राणी) के अंगो के खरीद–फरोख्त का धन्धा भी करता है। यह काम वह लगभग 15–20 साल से कर रहा है। वह कवर धन्धे के रूप में कई वर्षों से बैग, कुशन कवर, टेबल कवर आदि को पानीपत से थोक में खरीदकर हिन्दुस्तान के अलग–अलग राज्यों में जाकर गांव में फेरी लगाकर बेचता है। इसकी आढ (कवर) में वे लोग जनावर (वन्यप्राणी) के संबंध में जानकारी एकत्रित करते रहते है। उसके पास सैम्पल के लिए कुछ वन्यप्राणी अवयव जैसे पेंगोलिन के छिलका (स्कैल्स) बाघ के मूंछ के बाल, बाघ के नाखून इत्यादि भी अपने साथ रखता है ताकि जंगल के आसपास रहने वाले लोगो से वहां रहने वाले वन्यप्राणी के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा सके। बैग बेचते समय गांव में जब भी कोई शिकार करने वाले लोग उसके संपर्क में आते है तो वह उन्हें यह सैम्पल दिखाकर यह पूछता है कि क्या इस तरह का कोई वन्यप्राणी का सामान गांव वालो के पास हैं या नहीं यदि उनके पास इस प्रकार का सामान मिलता है तो वह उसे खरीद लेता है तथा उसके अन्य साथियों के साथ गुवाहाटी, शिलांग एवं नेपाल ले जाकर बेच देता है।

05. आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला ने आगे बताया कि इसके बाद उनकी समाज की परम्परा अनुसार कोलकाता (पश्चिम बंगाल) जाकर कालीघाट के कालीमाता के मंदिर में काले बकरे की बलि चढाता है। उसका जन्म बाबरिया समाज में हुआ है जो पंजाब हरियाणा में निवास करता है तथा उनके समाज के लोग पारम्परिक रूप से वन्यप्राणियों का शिकार खाने तथा व्यापार के लिए करते रहे है। वह खुद भी बचपन से उसके समाज के लोगों के साथ यह कार्य करता रहा है। वह हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों में शिकार तथा तस्करी में शामिल रहा है उसके विरूद्ध नेपाल पुलिस के द्वारा प्रकरण भी दर्ज किया गया

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (15)

है। उसने उसके साथी दलबीर बाबरिया एवं अन्य साथियों के साथ आकर बैतूल रेल्वे स्टेशन से लगभग एक किमी दूर खाली मैदान में डेरा लगाया था वहाँ पर उनने बाघ का चमड़ा (खाल) एवं लगभग 14–15 किलो हड्डियां अजीत, केरू, एवं शेरू बहेलियाओं से लगभग 3 लाख रूपये में खरीदी थी। वहाँ पर उनने 10–15 दिन के अंतराल में दो बार इस तरह का माल (बाघ की खाल एवं अन्य अवयव) लिया, फिर उसके बाद उनने फोन लगाकर तिब्बती व्यापारी जिसका नाम लोपसोंग (लोबसिंह) है, को बैतूल डेरा पर बुलाकर लगभग 8 लाख रूपये में माल बेच दिया था। उसका नाम दलबीर के साथ आ जाने के कारण डर कर वह नेपाल जाकर छिप कर रहने लगा था।

06. आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला ने आगे बताया कि उसी दौरान उसने वर्ष 2015 में एक बाघ को नेपाल के नारायण घाट वितवन के जंगल में मार कर उसके खाल एवं हड्डियों को लोपसोंग (लोबसिंह) निवासी नेपाल को 7 लाख (नेपाल मुद्रा) में बेच दिया। इसके बाद वर्ष 2016 में एक और बाघ को नेपाल के जंगल में उसने और उसके साथी सुमन राजवती, पीरदास पिता बदलु ने मिलकर मारा था। उसे बेचते समय नेपाल पुलिस ने बाघ की खाल के व्यापारियों रतन सुनार, टोप बहादुर लामा को माल सहित पकड़ लिया और वह नेपाल पुलिस के डर से हिन्दुस्तान आ गया तथा उसके साथियों के साथ बैग बेचने का धन्धा करते हुये जीवन यापन करता रहा। माह माघ (दिसम्बर) 2022 में वह और उसके साथी पुजारी पिता पप्पू (मो.8626853283), रजनी पिता पप्पू एवं अन्य ने मिलकर ऊटी तमिलनाडू के जंगल मे खटका (लेग हॉल्ड ट्रेप) लगाकर बाघ को जिंदा फसा दिया। फिर भाले, लट्ठ की सहायता से पीट–पीट कर मार दिया व छुरी (बडा चाकू) से खाल निकाली, मांस हटाकर हड्डियां, दांत नाखून व मूंछ के बाल निकाले और मांस को वहीं पकाकर आपस में मिल बांट कर खा लिया तथा शेष अवशेषों को वही फेंक दिया।

07. आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला ने आगे बताया कि फिर वे सभी अगले दिन ईरोड स्टेशन से ट्रेन में बैठकर गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी (असम) से बस में बैठकर शिलांग (मेघालय) पहुंचकर मेडकी (मेडम) को उसने उसके मो.न. 7087963759 से फोन लगाकर मेडम के घर जाकर माल दिया जिसके अगले

Continued Page No (16)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

दिन उसे 6 लाख रूपये मेडम की लडकी ने दिये। उसके मोबाइल में मेडम (मो. 7973652810) तथा उसकी लडकी (मो. 9485169424) का नम्बर सेव है जिस पर बात हुई थी। वहाँ से वे सभी रूपये लेकर शिलांग से वापिस गुवाहाटी बस से आये तथा रूपये लेकर पैसेंजर टैक्सी से रजनी, पुजारी तथा उनके परिवार के साथ कोलकता के कालीघाट के कालीमाता मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल पहुंचे जहाँ उनने काले बकरे की बलि चढाई। कोलकाता में ही रूपये के बटवारे के बाद परंपरा के अनुसार उसने वहाँ के एक मोबाईल दुकानदार जिसका मोबाइल नम्बर (9874767441) उसके मोबाइल में सेव है उसकी सहायता से मिसराम जाखड निवासी दिल्ली (मो.9711066383) के खाते में माह दिसम्बर 2022 में नौ हजार पांच सौ (9500/–) रूपये डलवाये।

08. आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला ने आगे बताया कि मिसराम जाखड़ दिल्ली वन विभाग में काम करता था जो रिटायर्ड हो गया है, वे जब भी कोई सामान (बाघ की खाल एवं अन्य अवयव) कहीं पर भी बेचते है तो मिसराम जाखड़ को कुछ रूपये या तो नगद देते है या फिर उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करते है यदि वे जाखड को रूपये नहीं देते है तो वह उनकी शिकायत वन विभाग, पुलिस विभाग या अन्य जगह करने की धमकी देता है। जून 2023 में उसके साथियों क्रिशन पिता करनाम सिंह, रत्ना पिता सरनाम सिंह, रामचन्दर पिता परताभ सिंह, मंगल पिता क्रिशन, बिमला पत्नी क्रिशन, सुनीता पत्नी रत्ना को बाघ के शिकार एवं उसके अंगो के व्यापार में गुवाहाटी असम में गिरफ्तार कर लिया था जब उसे इस बात की जानकारी मिली कि अब वह भी इस केस में पकड़ा जायेगा तो वह मध्यप्रदेश के खुरई में आकर छिप गया तथा यहीं रहकर उसका धन्धा करने लगा, वह लगातार अपना मोबाइल नम्बर बदलता रहता था। दिनांक 18.08.2023 को वह ग्यारसपुर के आसपास बैग बेंचने का धन्धा कर रहा था वह धन्धे के हिसाब से ग्यारसपुर जब पहुंचा तब ग्यारसपुर तिराहे के पास उसे रोककर तलाशी ली गई जिसमें उसके पास से पेंगोलिन के 5 छिलके, बाघ के नाखुन एवं मूंछ के बालो का ताबीज मिला जिसे वह एवं उसके साथियों ने ऊटी, तमिलनाडू में शिकार किये गये बाघ से निकाल कर रखे थे।

11/2/26

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (17)

09. आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला ने आगे बताया कि वह माह मई 2023 में कटनी मध्यप्रदेश गया था जहाँ वह लगभग 08–10 दिन रूका उसने कटनी में पेंगोलिन का शिकार कर उसे खा लिया था तथा उसके 05 छिलकों (शल्क) को सैम्पल के लिये निकाल कर रख लिये थे। जिसे वह लोगों को दिखा–दिखा कर व्यापार कर सके। अभी हाल ही में उसके साथियों सोनू पिता रंजीत भाटिया, कविता सोनू बाबरिया, ओम प्रकाश कुरालिया, राजावति प्रकाश पत्नी ओमप्रकाश, माया देवी पत्नी प्रिया चंदागी राम, रामदास गोपी, सुमन, अर्जुन सिंग वीना को महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में बाघ के शिकार एवं उसके अंगों के व्यापार के प्रकरण में गिरफ्तार किया है वह इन लोगों के साथ रहकर बाघ की खाल एवं अन्य वन्यप्राणी अवयवों को गुवाहाटी ले जाकर बेचता था।

10. आरोपी आदिन से जप्त मोबाइल को सीलबंद कर कार्यालयीन पत्र कमांक 192 दिनांक 15.9.2023 से प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल को फॉरेंसिक लैब भेजने हेतु प्रेषित किया गया। कार्यालय प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल के पत्र कमांक 1099 दिनांक 18. 09.2023 से जप्त मोबाइल को फॉरेंसिक परीक्षण हेतु सी.एफ.एस.एल. भोपाल भेजा गया था। कार्यालयीन पत्र कमांक 199 दिनांक 27.09.2023 के द्वारा शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा सतपुड़ा भवन को लेख कर आरोपी आदिन के मोबाइल से प्राप्त ट्रांजेक्शन के स्कीनशॉट की विस्तृत जानकारी चाही गई। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 162 दिनांक 19.03.2023 के द्वारा डॉ गुरुदत्त शर्मा पशु चिकित्सा सहायक सर्जन अधिकारी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम को लेख कर प्रकरण में जप्त पैंगोलिन स्केल्स 05 नग, बाघ का नाखून 01 नग एवं बाघ की मूँछ के बाल 02 नग का नापजोख कर परीक्षण गया। परीक्षण उपरांत 03 नग पैंगोलिन स्केल्स, बाघ का नाखून 01 नग एवं बाघ की मूंछ के बाल 2 नग को फॉरेसिंक परीक्षण हेतु सीलबंद किये गये। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 175 से सीलबंद सैंपल को फॉरेसिंक लैब जबलपुर प्रेषित किया गया।

11. दिनांक 19.08.2023 को डॉ गुरुदत्त शर्मा, पशु चिकित्सा सहायक सर्जन अधिकारी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के द्वारा किये गये परीक्षण की रिपोर्ट उनके पत्र कमांक WHM/2022-23/62 DT 11–09–2023 से

Continued Page No (18)

(क्षितिज अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

कार्यालय टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम (भोपाल) को प्राप्त हुई। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता की जानकारी प्रेषित करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 169 दिनांक 22.08.2023 से महाराष्ट्र एवं पत्र क्रमांक 171 दिनांक 22.08.2023 से तमिलनाडू राज्य के वनमंडलों को लेख किया गया। कार्यालय क्षेत्र संचालक एवं मुख्य वन संरक्षक मेलघाट टाइगर रिजर्व अमरावती, महाराष्ट्र के पत्र कमांक MTR/Crime Cell /912/2023-24 एवं तमिलनाडू वन विभाग का पत्र कमांक 198/2023 दिनांक 31.08.2023 के द्वारा वन अपराध प्रकरणों की जानकारी प्रेषित की गई। आरोपी के विरूद्ध मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण कमांक 59/2938 दिनांक 06.08.2023 एवं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडू में वन अपराध प्रकरण कमांक WLOR 02/2023 दर्ज है।

12. प्रकरण में फरार अन्य आरोपी पुजारी वल्द रामकुमार सिंह बावरिया की जानकारी प्रेषित करने हेतु कार्यालयीन पत्र कमांक 189 दिनांक 12.09.2023 से वनमंडलाधिकारी गढ़चिरौली महाराष्ट्र को लेख किया गया। जिसकी जानकारी महाराष्ट्र वन विभाग के पत्र कमांक 351 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा प्रेषित की गई। आरोपी पुजारी बाबरिया महाराष्ट्र राज्य में वन अपराध प्रकरण कमांक 07659/191410 दिनांक 23.07.2023 में केन्द्रीय जेल चंद्रपुर, महाराष्ट्र में न्यायिक हिरासत में है। जिसका प्रोडक्शन वारंट माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नर्मदापुरम के द्वारा दिनांक 20.09.2023 को जारी किया गया। प्रोडक्शन वारंट की तामिली उपरांत मूल पावती प्रति माननीय न्यायालय नर्मदापुरम में प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रकरण के अन्य आरोपी मिसराम जाखड़ मोबाइल नम्बर 9711066383 एवं रिडिक टेरेन्पी मोबाइल नम्बर 7973652810 की जानकारी हेतु कार्यालयीन पत्र कमांक 224 दिनांक 10.10.2023 से कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) के लिए पत्र लेख किया गया। टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम के पत्र कमांक 165 दिनांक 21.08.2023 के द्वारा अभियुक्त आदिन उर्फ कल्ला बाबरिया से जप्त मोबाइल सिम की सीडी.आर. प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को निवेदन प्रेषित किया गया जो शासकीय ई–मेल आई.

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (19)

डी. पर दिनांक 15.10.2023 को प्राप्त हुआ। जिसके विश्लेषण पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार बातचीत होना पाया गया।

A Party	B Party	समय अवधि	कितनी बार आपस में बात हुई
7087963759 (आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया)	8626853283 (पुजारी बाबरिया)	01.07.2022 से 07.08.2023 तक	30
	7973652810 (रिंडिक टेरेन्पी)		85
	9711066383 (मिसराम जाखड़)		76
7889014399 (आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया)	8626853283 (पुजारी बाबरिया)	01.06.2022 से 01.06.2023 तक	01
8817659949 (आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया)	9711066383 (मिसराम जाखड़)	18.08.2022 से 18.08.2023 तक	04
	8626853283 (पुजारी बाबरिया)		07

13. प्रकरण में विवेचना के दौरान अन्य तीन आरोपियों पुजारी वल्द रामकुमार सिंह बाबरिया (2) मिसराम जाखड़ उम्र 80 वर्ष (3) Rindik Teronpi w/o Longsing- Senar add- Village gita Langkok, PS- Baithalangso, Sub division Hamreng- District Karbi Anglong- Assam की संलिप्तता पाई गई है। आरोपी पुजारी के विरूद्ध माननीय न्यायालय नर्मदापुरम से प्रोडक्शन वारंट दिनांक 20.09.2023 को जारी किया जा चुका है। आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत प्रथक से पूरक परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने की अनुमति से प्रस्तुत किया गया।

Continued Page No (20)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

14. प्रकरण में आरोपी पुजारी सिंह के संबंध में पूरक परिवाद पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50(8) के अंतर्गत दर्ज कबूलियत बयान में उसके अन्य साथी पुजारी सिंह के साथ तमिलनाडु राज्य में बाघ का शिकार करना स्वीकार किया है। आरोपी पुजारी सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड प्रेषित करने हेतु कार्यालयीन पत्र कमांक 189 दिनांक 12.09.23 से वनमंडलाधिकारी गढचिरौली महाराष्ट्र को लेख किया गया। जिसकी जानकारी महाराष्ट्र वन विभाग के पत्र कमांक 351 दिनांक 18.09.23 के द्वारा प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि आरोपी पुजारी बाबरिया महाराष्ट्र राज्य में वन अपराध प्रकरण कमांक 07659/191410 दिनांक 23.07.2023 में केंद्रीय जेल चंद्रपुर महाराष्ट्र में न्यायिक हिरासत में है। प्रकरण कमांक 237/10 दिनांक 18.08.23 की अग्रिम एवं विस्तृत विवेचना हेतु कार्यालय के पत्र कमांक टी.एस.एफ/2023/193 नर्मदापुरम दिनांक 20.09.23 से माननीय न्यायालय नर्मदापुरम को आरोपी पुजारी का प्रोडक्शन वारंट जारी करने हेतु निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट दिनांक 23.11.23 के परिप्रेक्ष्य में आरोपी पुजारी सिंह को केंद्रीय जेल चंद्रपुर महाराष्ट्र से लाकर दिनांक 06.12.23 को न्यायालय नर्मदापुरम में गिरफ्तार किया गया।

15. आरोपी के विरूद्ध राज्य एवं राज्य के बाहर वन्यप्राणी बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों की तस्करी के संबंध में प्रकरण दर्ज होने एवं प्रकरण की विस्तृत विवेचना हेतु आरोपी को दिनांक 14.12.2023 तक फॉरेस्ट रिमांड पर लिया जाकर कार्यालय स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल के आदेश कमांक/एसटीएफएफ/समन्वय/2023/290/ भोपाल दिनांक 07.12.23 से राज्य के बाहर तमिलनाडु ले जाया गया। दिनांक 10.12.2023 को आरोपी पुजारी वल्द रामकुमार सिंह बावरिया की निशानदेही पर तमिलनाडू राज्य के नीलगिरी वनमंडल के परिक्षेत्र उत्तर ऊटी की बीट ऐवनाड एवं परिक्षेत्र दक्षिण ऊटी की बीट ऐवलांची गये। जहाँ आरोपी पुजारी एवं उसके अन्य साथियों के द्वारा बाघ को फंदा लगाकर फसाया गया था एवं उसे भाले से पीट–पीट कर मारने उपरांत उसकी खाल, नाखून हड्डिया, मूँछ के बाल, दांत इत्यादि

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (21)

निकाले गये, उक्त घटना स्थल की शिनाख्ती आरोपी के द्वारा कराई गई। स्थल शिनाख्ती पंचनामा एवं नजरिया नक्शा मौका घटना स्थल पर तैयार किया गया। जो परिवाद के साथ संलग्न है।

16. आरोपी पुजारी सिंह के द्वारा सहायक वनसंरक्षक श्री विनोद सिंह स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल के समक्ष वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 50 (8) के तहत दिनांक 13.12.2023 को उसके बयान में बताया कि वह महाराष्ट्र, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जाकर कम्बल, बैग, कुशन कवर, टेबल कवर बेचने का धंधा करता है। वह जनावर (वन्यप्राणी) बाघ, उद्‌बिलाव आदि का शिकार कर उनके अवयवों को बेचने का धंधा भी करता है। यह काम वह लगभग 04 साल से कर रहा है। वह कवर धंधे के रूप में कई वर्षों से कम्बल बैग, कुशन कवर, टेबल कबर आदि को पानीपत से थोक में खरीदकर हिंदुस्तान के अलग–अलग राज्यों में जाकर गाँव में जाकर फेरी लगाकर बेचता है। इसकी आढ़ (कवर) में वे लोग जनावर (वन्यप्राणी) के संबध में जानकारी करते रहते हैं। वह उसके अन्य साथियों के साथ बाघ के अवयव उद्‌बिलाव गुवाहाटी, शिलांग एवं हरियाणा ले जाकर बेचता है। लगभग 01 साल पहले (साल 2022) वह एवं उसके साथी रमेश बावरिया, वकील बावरिया, किशन बावरिया, घरमवीर बावरिया अपने अपने परिवार के साथ तमिलनाडू के मेट्टूपलायन नामक जगह पर डेरे लगाकर रुके थे वहाँ से वे सभी आस पास के स्थानों में बैग एवं बैडशीट बेचने का धंधा करते थे।

17. आरोपी पुजारी ने आगे बताया कि एक दिन उसके साथ वकील बाबरिया ने कहा कि ऐंवलांची चलते है बाघ (शेर) का शिकार करेंगे वहाँ कुछ शेर हैं। इसके अगले दिन वह उसके साथियों रमेश बावरिया, वकील बावरिया, सिवन बावरिया एवं धरमवीर बावरिया के साथ ऐंवलाची नामक जगह, जो ऊटी (तमिलनाडु) के पास है, वहाँ गये। वे सभी बाघ को फंसाने का फंदा (लैग होल्ड ट्रेप) तथा खाने पीने का सूखा सामान लेकर गये। वहाँ उनने ऐंवलाची के जंगल में बाघ (शेर) के आने जाने के रास्ते पर फंदा लगाया एवं रात को वहीं जंगल में रूककर बाघ (शेर) के फंसने का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह जब वे फंदे लगाने के स्थान पर गये तो उन्हें एक बाघ (शेर) फंदे में

Continued Page No (22)

(किरोज अख्तर) 4/2/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

फंसा हुआ मिला जो जिंदा था एवं फंदे से निकलने का प्रयास कर रहा था। तब उन सभी लोगों ने भाले, लट्ठ की सहायता से पीट–पीटकर बाघ को मार दिया व छुरी (बड़ा चाकू) से खाल निकाली, मांस काटकर हड्डियां, दांत, नाखून व मूँछ के बाल निकाले और मांस को बोरी में भरकर अपने डेरे वाले स्थान मट्टूपालायन तमिलनाडू लेकर आये। जहाँ उनने बाघ का मांस पकाकर आपस में मिल बांटकर खा लिया। फिर वे सभी अगले दिन ट्रेन से कोयंबटूर गये। जहाँ से विवके डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से गुवाहाटी गये। जहाँ उन्हें आदिन उर्फ कल्ला बाबरिया मिला। गुवाहाटी में उसने बाघ के समस्त अवयव खाल, दांत, हड्डिया, मूँछ के बाल, नाखून कल्ला को दिये। वहाँ से कल्ला सामान (बाघ की खाल एवं उसके अवयव) को लेकर रिंडिक को देने शिलॉग गया।

18. पुजारी ने उसके बयान में बताया कि उसने उसके साथियों के साथ मिलकर ऊटी के पास के जंगलों में 04 बाघों (01 मादा+03 नर) का शिकार कर उनके अवयवों को गुवाहटी ले जाकर कल्ला एवं जोना को बेचा है। पुजारी ने यह भी बताया कि वे सभी लोग बाघ को मारने वाले स्थान पर किसी भी प्रकार भी प्रकार का सबूत नहीं छोड़ते है, इस प्रकार आरोपी पुजारी वल्द रामकुमार सिंह ने वन्यप्राणी बाघ का शिकार कर उसके अवयवों का अवैध व्यापार करने का अपराध स्वीकार किया है। टाइगर स्ट्राईक फोर्स नर्मदापुरम के पत्र कमांक 264 दिनांक 08.12.23 एवं पत्र कमांक 268 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा अभियुक्त पुजारी सिंह के मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी ने निवेदन प्रेषित किया गया जो कि शासकीय ईमेल आईडी पर प्राप्त हुआ। जिसके विश्लेषण पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार बातचीत होना पाया गया।

A Party	B Party	समय अवधि	कितनी बार आपस में बात हुई
8626853283 (पुजारी बाबरिया)	7087963759 (आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया)	01.01.2022 से 08.12.2023	30

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (23)

	7889014399 (आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया)		09
	8817659949 (आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया)		05
	9711066383 (मिसराम जाखड़)		02
9342897809	7087963759 (आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया)		27
	7973652810 (रिंडिक टेरेन्पी)		66
9903311783 (पुजारी बाबरिया)	7889014399 (आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया)	12.12.2021 से 11.12.2023	66
	9711066383 (मिसराम जाखड़)		30
	7973652810 (रिंडिक टेरेन्पी)		216
	7629852289 (रिंडिक टेरेन्पी)		42
	8837007728 (रिंडिक टेरेन्पी)		198
	8011931531 (रिंडिक टेरेंपी)		58

19. प्रकरण की विवेचना एवं उपरोक्त सी.डी.आर विश्लेषण में अन्य दो आरोपियों मिसराम जाखड़ एवं रिंडिक टेरोन्पी की संलिप्तता पायी गयी। आरोपी

Continued Page No (24)

(फिरोज अख्तर) 11/12/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

रिंडिक टैरेन्पी वर्तमान में बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो गुवाहटी के द्वारा पंजीबद्ध एक अन्य प्रकरण कमांक G/10 of DT 29-06-2023 (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कमांक 01 मेट्रो गुवाहटी, असम के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 178/23) में केंदीय कारागार गुवाहटी में निरूद्ध है। कार्यालय के पत्र कमांक/टी एस एफ/2024/07 नर्मदापुरम दिनांक 09.01.24 से माननीय न्यायालय नर्मदापुरम को आरोपी रिंडिक टैरेंपी के विरूद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी करने हेतु निवेदन किया गया। आरोपी पुजारी के सी.डीआर विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि आरोपी कलकत्ता, गुवाहटी, शिलांग एवं भारत के अन्य शहरों में निरंतर आना जाना करता रहता है। सी.डी.आर. की प्रति परिवाद के साथ संलग्न है। आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत प्रथक से द्वितीय पूरक परिवाद पेश करने की अनुमति के साथ परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

20. प्रकरण में पुनः आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के विरूद्ध पूरक परिवाद पत्र प्रस्तुत कर परिवाद में लेख किया गया कि अन्य आरोपी रिंडिक टेरोन्पी को माननीय न्यायालय नर्मदापुरम से जारी प्रोडक्शन वारंट दिनांक 09.01.24, दिनांक 22.01.24 एवं दिनांक 27.02.25 के परिपालन में केंद्रीय जेल गुवाहाटी से लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय की अनुमति उपरांत दिनांक 06.03.25 को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु आरोपी को दिनांक 10.03.25 तक रिमाण्ड में लिया गया। आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50(8) के अंतर्गत कबूलियत बयान श्री विनोद सिंह (सहायक वन संरक्षण) टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल के द्वारा लिये गये है जो इस प्रकार है– वह रिंडिक टेरोन्पी पत्नी लोंगसिंह सेनार आयु 51 वर्ष Gita Langkok, PS Baithalangso, Sub Division Hamren, Karbi Aglong, Assam की मूल निवासी है। उसका जन्म Sartuinek Mizoram में हुआ है, लेकिन वर्तमान में Karbi Aglong, Assam में रहती है। उसे हिंदी, असमी, इंग्लिश एवं मिजो भाषा का ज्ञान है। उसकी तीन शादियां हो चुकी है पहले पति का नाम जुलाला था, दूसरे पति का नाम लांगसिंग सेनार है एवं तीसरे पति का नाम Nicolsig है।

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (25)

21. रिंडिक टेरोन्पी ने आगे बताया कि उसके पांच बच्चे है जिसमें 2 लड़के एवं 3 लड़कियां है। सबसे बड़े लड़के का नाम लालरिंग चाना है जो मिजोरम में रहता है जो बचपन से ही उससे अलग रह रहा है। दूसरे बच्चे का नाम ग्लोरिआ है जो असम में उसके साथ ही रहती है, जिसकी शादी होने के बाद तलाक हो गया है उसके पति का नाम जोसफ है जो मिजोरम में रहता है, तीसरे बच्चे का नाम Bidasing Senar (मोबाईल 8837007728) उर्फ हेनरी है चौथे बच्चे का नाम मेलोटी (मोबाईल 8011931531) है, पांचवे बच्चे का नाम Cloriban है जो सबसे छोटी है। Bidasing, Meloti और Cloriban Damthring near Holy Chal Super care Hospital Shillong Meghalaya में रहते है। उसके तीसरे पति से 2018 में उसका तलाक हो चुका है। उसे डायबिटीज, हेपेटाइटिस बी, गेस्ट्रिक अल्सर है उसे इन्सुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। सभी बीमारियों की दवा उसे लेना पड़ता है उसका व्यवसाय खेती करना है वह अदरक की खेती करती है। सुअर एवं मुर्गी का पालन भी करती है। इससे उसे 2 से 3 लाख का इनकम होता हैं उसे उसकी बीमारी के इलाज के लिये पैसों के आवश्यकता रहती है। इसके लिये उसका संपर्क 2021 Lalzuithangi Alias Mazui से हुआ था जो खाने का सामान, स्वीट्स का दुकान चलाती है।

22. रिंडिक टेरोन्पी ने आगे बताया कि Mazui म्यांमार की रहने वाली है लेकिन शिलोंग में रहती थी। Mazui के पति असम रायफल में है, उसने उसे बाघ की खाल एवं हड्डियों का व्यापार करने के बारे में बताया था एवं इस धंधे में अच्छा मुनाफा होता है इसके बारे में भी बताया था, इस कारण उसने भी यह धंधा करने का सोचा था। Mazui को भी वन्यप्राणी के अवयवों के व्यापार के संबंध में दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है जिसकी जमानत हो चुकी है। उसके विवो कंपनी के फोन में Mazui का मोबाईल नंबर सेव किया था उसका मोबाईल नंबर उसे याद नहीं है। वह लाला नाम के एक व्यक्ति को जानती है जो कुछ लोगों को जानता था जो कामाख्या मंदिर के पास टेंट में रहते थे एवं एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहते

Continued Page No (26)

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

है तथा बाघ का शिकार एवं उसके अंगों को बेचने का व्यापार करते है। लाला ने ही उसे एक व्यक्ति से कामाख्या मंदिर के पास मिलवाया था उसका नाम पुजारी सिंह बावरिया था उसने उसका मोबाईल नंबर 7629852289 उस व्यक्ति को दिया था। दिसंबर 2022 में उसके पास पुजारी का फोन आया उसने कहा कि बाघ की खाल एवं हड्डियां बेचना है उसने उसे बाघ की खाल देखने कामख्या मंदिर के पास बुलाया था, इसके बाद वह बाघ की खाल एवं हड्डियां देखने कामाख्या मंदिर के पास गयी, जहां उसे पुजारी सिंह एवं आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया मिले उसने बाघ की खाल तथा हड्डियां देखी एवं प्रायवेट टैक्सी से शिलोंग उसके बेटे bidasingh senar के घर लेकर गयी। जहां उसने Mazui को सामान देखने के लिये बुलाया।

23. रिंडिक टेरोन्पी ने आगे बताया कि Mazui ने आकर सामान देखा एवं सामान के बदले उसे 12 लाख रूपये दिये तथा सामान लेकर चली गयी। 2 दिन बाद पुजारी सिंह ने उसे सामान का पैसा देने के लिये फोन किया तब उसने उसे शिलोंग आकर पैसे देने के लिये कहा। पुजारी सिंह ने कहा कि आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया पैसे लेने आयेगा। अगले दिन आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया पैसे लेने शिलोंग आया एवं उसे 5 लाख रूपये दिये। वह आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया एवं पुजारी सिंह का फोटो देखकर पहचान सकती है। कुछ दिनों बाद उसने उसकी बेटी Meloti के अकाउंट से भी आदिन सिंह को पैसे ट्रांसफर किये थे। उसने इसके पहले भी बाघ की खाल एवं उसके अंगों का व्यापार किया है इस धंधे में उसे 2 से 5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। वह पुजारी सिंह नाम के व्यक्ति को जानती है जो बाघ का शिकार कर उसके अंगों का व्यापार करता है एवं उसकी पुजारी सिंह से फोन पर बात भी होती रहती थी। इसके बाद उसने 4 से 5 बार बाघ की खाल एवं हड्डियां बावरिया समुदाय के लोगों से खरीदी है। वह जहां रहती है वहां नेटवर्क की समस्या के कारण उसके बेटे bidasingh senar एवं बेटी Meloti के मोबाईल फोन से भी बाघ के अव्यवों का व्यापार करने वाले लोगों से बातचीत करती है।

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदा पुरम (म0प्र0)

Continued Page No (27)

24. रिंडिक टेरोन्पी ने आगे बताया कि उसका नाम गुवाहटी में रामदास, ओमप्रकाश, राजाबती एवं मायादेवी बावरिया वाले केस में भी आया है इनके द्वारा उसे बाघ की खाल एवं हड्डियां बेचने के लिये संपर्क किया गया था जो गुवाहटी में जप्त की गयी थी। इसी प्रकरण में वह गुवाहाटी जेल में बंद है। उसे मालूम हुआ है कि महाराष्ट्र में भी किसी टाइगर केस में उसका नाम आया है। वह वन्यप्राणी बाघ के अव्यवों का व्यापार करने संबंधी अपराध को स्वीकार करती है। बस यही उसका बयान है जो वह पूरे होश–हवास में दिया है, बयान पढ़कर उसे सुनाया गया है। स्वीकार होने के उपरांत हस्ताक्षर किये। टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम के पत्र कमांक 66 दिनांक 07.03.25 के द्वारा आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को निवेदन प्रेषित किया गया जो शासकीय ईमेल आईडी पर कमशः दिनांक 20.03.25 एवं 08.04.25 को प्राप्त हुआ। आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के मोबाईल नंबर 7629852289 के पूर्व में निकाली गयी सीडीआर भी चाही गयी जो शासकीय ईमेल आईडी पर प्राप्त हुई। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी पुजारी सिंह बाबरिया की सीडीआर कार्यालयीन पत्र से चाही गयी जो शासकीय ईमेल आईडी पर प्राप्त हुई जो प्रकरण में संलग्न हैं प्राप्त समस्त सीडीआर का विश्लेषण करने पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार बातचीत होना पाया गया।

A Party	B Party	समय अवधि	कितनी बार आपस में बात हुई
7629852289 (रिंडिक टेरोन्पी)	7087963759 (आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया)	01.07.2022 से 03.07.2023	04
	9903311783 (पुजारी सिंह बाबरिया)		38
	8413006036		29

Continued Page No (28)

(फिरोज अख्तर) 1/2/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

	Lalzuithangi Alias Mazui		
9903311783 (पुजारी सिंह बाबरिया)	7629852289 (रिंडिक टेरोन्पी)	03.01.2022 से 02.05.2023	42
	8837007728 (रिंडिक टेरोन्पी)		198
	8011931531 (रिंडिक टेरोन्पी)		58

25. आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के असम ग्रामीण विकास बैंक गुवाहटी मुख्यालय से बैंक स्टेटमेंट की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन पत्र कमांक 134 दिनांक 19.04.2025 से पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी जानकारी श्री दिनेश शर्मा वनरक्षक के द्वारा प्राप्त की गयी जो प्रकरण में संलग्न है। आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50(8) के अंतर्गत दिये गये बयान में उसकी बेटी Meloti के अकाउंट से भी आदिन सिंह को पैसे ट्रांसफर किये जाना स्वीकार किया। Meloti के बैंक स्टेटमेंट की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन पत्र कमांक 122 दिनांक 11.04.2025 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाहपुरा भोपाल का पत्र प्रेषित किया गया। जिसकी जानकारी श्री दिलीप सिंह पटेलिया वनपाल टाइगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल के द्वारा प्राप्त की गयी, जो प्रकरण में संलग्न है। बैंक स्टेटमेंट का अध्ययन करने पर Meloti के पंजाब एण्ड सिंध बैंक (खाता कमांक 11241000003129) से आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया के यूको बैंक (खाता कमांक 23070110053683, आईएफएससी कोड यूसीबीए0002307) में राशि का लेन–देन होना पाया गया। दिनांक 14.12.2022 से 23.12.2022 तक कुल 375000 (तीन लाख पचहत्तर हजार रूपये) Meloti के द्वारा आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया के बैंक अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर किये गये।

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (29)

26. Meloti के बैंक स्टेटमेंट की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 30.04.2025 को कार्यालय की शासकीय ईमेल आईडी से पंजाब एण्ड सिंध बैंक शिलोंग मेघालय भी मेल किया गया, जिसकी जानकारी प्राप्त होना शेष है प्राप्त होने पर पृथक से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी। प्रकरण में मुख्य आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया के बैंक स्टेटमेंट की जानकारी प्राप्त करने हेतु यूको बैंक दसुआ पंजाब को दिनांक 30.04.25 को शासकीय ईमेल आईडी पर ईमेल प्रेषित किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्य दो आरोपियों की संलिप्तता पायी गयी जो निम्नानुसार है–

01- Lalzuithangi Alias Mazui W/o Ramchhanthanga Age 42 Years, R/O Lumbatngen (law-u-sib) Happy Valley, PS Madanriting, East Khasi Hills Meghalaya

02- Meloti Lalawmpuii Lekthepi D/O Longsing Senar, R/O Lumsohphoh, Nongehymmai Mylliem, East Khasi Meghalaya

27. प्रकरण में पूर्व में आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया (परिवाद दिनांक 17.10.23) एवं पुजारी सिंह बाबरिया (परिवाद दिनांक 02.02. 2024) के विरूद्ध दायर किये गये परिवाद में मिसराम जाखड़ फरार है। उक्त समस्त आरोपियों के विरूद्ध गिरफ्तारी उपरांत विवेचना में आये साक्ष्यों के आधार पर पृथक से परिवाद पत्र दायर किया जायेगा। आरोपी रिंडिक टेरोन्पी एवं Lalzuithangi Alias Mazui बाघ के शिकार एवं उसके अव्यवों के अवैध व्यापार में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो गुवाहटी के द्वारा पंजीबद्ध एक अन्य प्रकरण कमांक G/10 of DT 29-06-2023 (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कमांक 01 मेट्रो गुवाहटी, असम के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 178/23) में भी संलिप्त पाये गये जिनके विरूद्ध माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय गुवाहटी में परिवाद दायर किया जा चुका है। प्रकरण की विवेचना में राज्य के बाहर मेघालय, पंजाब, मिजोरम के आरोपियों की संलिप्तता पायी गयी है। इस प्रकार यह प्रकरण एक संगठित

Continued Page No (30)

(किशोर सरकार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

वन्यजीव अपराध की श्रेणी में आता है। परिवादी श्री राजू सिंह राजपूत वनक्षेत्रपाल प्रभारी अधिकारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक/एफ 15 24/06/10–2 दिनांक 03.08.2006 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश के आदेश कमांक/189 दिनांक 22.08.2006 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत है।

28. वन्यप्राणी बाघ (Panthera tigris) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची । भाग A के अनुक्रमांक 49 एवं CITES (Convention on international Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora.) की परिशिष्ट । के अनुक्रमांक 72 पर और वन्यप्राणी पैंगोलिन (Manis crassicaudata) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) अनुसूची । भाग A के अनुकमांक 113 एवं CITES की परिशिष्ट 1 के अनुकमांक 154 पर दर्ज है। जिनका शिकार एवं उनके अवयवों का व्यापार प्रतिबंधित है। आरोपी आदिन उर्फ कल्ला के द्वारा प्रकरण में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी बाघ के नाखून, मूँछ के बाल एवं वन्यप्राणी पैंगोलिन (Manis crassicaudata) के शिकार एवं पैंगोलिन स्केल्स के अवैध व्यापार करने का जघन्य अपराध किया है। आरोपी पुजारी के द्वारा प्रकरण में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी बाघ का शिकार एवं बाघ की खाल, नाखून, हड्डियां, मूंछ के बाल का अवैध व्यापार करने का जघन्य अपराध किया है। आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के द्वारा प्रकरण में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी बाघ का शिकार एवं उसके अवयवों का अवैध व्यापार करने का जघन्य अपराध किया है। जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की उपरोक्त वर्णित धाराओं में गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 51 शास्तियो की उपधारा 51 (1) में अनुसूची। के वन्यप्राणी से संबंधित अपराध में प्रथम दोष सिद्ध पर कारावास से

Continued Page No (31)

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम ना होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, ओर जुर्माने से भी जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा, से दण्डित करने का प्रावधान है। अतः विवेचना में यदि नवीन गभीर तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसका पृथक से पूरक परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने के निवेदन सहित परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने परिवाद के माध्यम से आरोपीगण को दंडित किये जाने का निवेदन किया।

29. अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्णय के चरण–1 के अनुसार आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर, अभियुक्तगण ने जुर्म अस्वीकार कर, विचारण चाहा, तदनुसार उनका अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्तगण का दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–313 के अधीन परीक्षण किये जाने पर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करना व्यक्त करते हुये मौखिक बचाव साक्ष्य में बताया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

30. अभियोजन की ओर से पक्ष समर्थन में दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा. 1), अनिल कुमार यादव (अ.सा.2), चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.3), मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.4), अंकित जामोद (अ.सा.5), राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6), विनोद सिंह (अ. सा.7), डॉ. गुरूदत्त शर्मा (अ.सा.8), वीना नायक (अ.सा.9), प्रदीप यादव (अ.सा. 10), रवि शर्मा (अ.सा.11), ऋषभ शर्मा (अ.सा.12) को परीक्षित कराया है।

31. **प्रकरण में निर्णय हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न है :–**

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 18.08.2023 को और उसके पूर्व वन्यप्राणी बाघ (Panthra Tigris) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2022) की अनुसूची 1 भाग ए में अनुक्मांक 49 एवं CITES (Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट I के अनुक्मांक 72 पर और वन्यप्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग–1 के अनुक्मांक 113 एवं CITES की परिशिष्ट I

Continued Page No (32)

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

के अनुक्रमांक 154 पर दर्ज वन्यजीव जिनका शिकार एवं अव्यवों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है, उक्त अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी बाघ के 01 नग नाखून, बाघ की मूंछ के 2 नग बाल और वन्य प्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) स्केल्स 05 नग का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया ?

—: विनिश्चय व विनिश्चय के आधार : —

32. उपरोक्त प्रस्तुत अभियोजन मामला अनुसार विरचित आरोप के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियोजन द्वारा वर्तमान मामला आरोपीगण के विरूद्ध दिनांक 18.08.2023 को और उसके पूर्व वन्यप्राणी बाघ (Panthra Tigris) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2022) की अनुसूची 1 भाग ए में अनुक्रमांक 49 एवं CITES (Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट I के अनुक्रमांक 72 पर और वन्यप्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग–1 के अनुक्रमांक 113 एवं CITES की परिशिष्ट I के अनुक्रमांक 154 पर दर्ज वन्यजीव जिनका शिकार एवं अव्यवों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है, उक्त अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी बाघ के 01 नग नाखून, बाघ की मूंछ के 2 नग बाल और वन्य प्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) स्केल्स 05 नग का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया, के संबंध में प्रस्तुत किया है और इस कारण तत्संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना को उक्त संदर्भ में किया जाना उचित होगा।

33. उक्त संबंध में यह आवश्यक है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधित उन विशिष्ट प्रावधानों का अवलोकन किया जावे, जो वर्तमान प्रकरण में सुसंगत है और उन्हें अपराध की विशेष प्रकृति के आधार पर विधायिका ने अधिनियम के समर्थनकारी उपबंधों के रूप में विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया है। उल्लेखित किसी भी अपराध के न्यायपूर्ण विचारण के लिए यह आवश्यक है कि उक्त प्रकरण अनुसंधान कार्यवाही तथा अभियोग पत्र

Continued Page No (33)

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

प्रस्तुति सक्षम प्राधिकारिता के द्वारा संपादित की जावे। परिवाद प्रस्तुति की अधिकारिता के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 विशिष्टतः यह प्रावधानित करती है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरूद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित में से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा।

34. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा–55 (ग) के अंतर्गत वनक्षेत्रपाल प्रभारी अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क. एफ 15–29–2001–X–2, दिनांक 22.01.2002 के द्वारा धारा 55 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी रेंज आफिसर को सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है एवं परिवादी श्री राजू सिंह राजपूत वनक्षेत्रपाल प्रभारी अधिकारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक एफ 15–24/06/10–2 दिनांक 03.08.2006 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश के आदेश कमांक/ 189 दिनांक 22.08.2006 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत है।

35. अतः इस परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के विवेचक राजू सिंह राजपूत (अ. सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 02.08.2023 को स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में वनक्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्य प्राणी मध्यप्रदेश के द्वारा पत्र कमांक 927/02.08.2023 के द्वारा एक एलर्ट जारी किया गया था सागर व उसके आसपास के क्षेत्रों में बाबरिया समुदाय के रूकने के संबंध में तथ्य सामने आए है, इनके द्वारा पास के राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में शिकार संबंधी घटनाए सामने आयी है। अतः वह आसपास के क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता से कार्यवाही करें, उसके बाद धीरज सिंह चौहान प्रभारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल के द्वारा पत्र कमांक 211/17.08.2023 के माध्यम से एक दल का गठन किया था जिसमें उसे प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था जो आदेश का पत्र प्रदर्श डी–1 है। दिनांक 17.08.2023 को प्रभारी अधिकारी एसटीएसएफ भोपाल को वन्य प्राणियों के अवयवों की खरीद

Continued Page No (34)

(किरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

फरोख्त के संबंध में मुखबिर से पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी जिसके उपरान्त प्रभारी अधिकारी के द्वारा जो दल गठित किया गया था उस दल के सभी सदस्यों को शासकीय दो वाहनों से मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु रवाना किया था जिसका पंचनामा दिनेश कुमार शर्मा वनरक्षक ने उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी–1 है जिसके ई से ई भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

36. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि दिनांक 18.08.2023 को वे लोग ग्यारसपुर बायपास तिराहे के पास जिला विदिशा पहुंचे थे और संदिग्ध व्यक्तियों को सर्चिंग कर रहे थे तभी मुखबिर के बताए हुलिये का एक व्यक्ति बैग बेंचता हुआ दिखाई दिया, उन लोगों ने उसके पास जाकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया पिता ग्यासन बाबरिया निवासी श्रीहपुर थाना दसुआ तहसील दसुआ जिला होशियारपुर पंजाब बताया था। मौके पर उसके बैगों की तलाशी ली, तलाशी के दौरान 6 बैग खाली मिले, एक बैग जो गुलाबी गाजरी रंग का था उसके अंदर वन्य प्राणी के अवयव पैगोंलिन के स्केल्स 5 नग अवैध रूप से पाये गये। आदिन उर्फ कल्ला ने गले में जो ताबीज पहना हुआ था वह लाल कपड़े में सिला हुआ था ताबीज को खुलवाकर देखा तो उसके अंदर वन्य प्राणी बाघ का नाखून व बाघ के मूंछ के 2 बाल अवैध रूप से पाए गये। मौके पर मुकेश पटेल ने मिले वन्य प्राणी अवयवों व बैग की सूची नापजोक कर तैयार की थी। आरोपी के पास एक रियलमी कंपनी का एक मोबाईल मिला था जिसमें एयरटेल की सिम लगी थी। मुकेश पटेल द्वारा जो सूची उसके समक्ष तैयार की गई थी वह प्रदर्श पी–2 है जिसके ई से ई भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

37. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि दिनेश शर्मा ने उसके सामने आरोपी से वन्य प्राणी अवयव पैगोंलिन के स्केल्स 5 नग, बाघ का नाखून 1 नग, बाघ की मूंछ के बाल 2 नग, कपड़े के 7 बैग, काला धागा 1 नग, लाल कपडे का सिला हुआ ताबीज 1 नग, उसके व गवाहों के समक्ष जप्त किया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–3 पर डी

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (35)

से डी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके सामने ही दिनेश कुमार शर्मा वनरक्षक ने आरोपी आदिन उर्फ कल्ला से एक रियलमी कंपनी का मोबाईल जिसका मॉडल नंबर आरएमएक्स 3263 जिसके अंदर एयरटेल की सिम थी जिसका नंबर 6232465895 था को जप्त किया था जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–4 पर डी से डी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। मौके पर दिनेश कुमार शर्मा ने घ ाटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–5 का तैयार किया था जिसके ई से ई भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। मौके पर ही समस्त कार्यवाही का घटना स्थल पर मुकेश पटेल के द्वारा पंचनामा उसके व गवाहों के समक्ष तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी–6 है जिसके ई से ई भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसने मौके पर आदिन उर्फ कल्ला से पूछताछ की थी और उसके कथन लिये थे।

38. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि आदिन ने पूछताछ में बताया था कि वह उसके परिवार व साथियों के साथ खुरई से लगे आसपास के क्षेत्रों में बैग बेंचने की आड़ में वह जंगली जानवरों के अंगो के सबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए अपने पास बैग में पैगोंलिन का स्केल्स, बाघ की मूंछ के बाल 2 नग, एक नग नाखून रखा है जो आज तलाशी के दौरान जप्त कर लिया है। उसने यह भी बताया था कि उसके परिवार के अन्य साक्षी सरस्वती शिशु मंदिर प्रागंण में डेरे लगाकर रहते है, उस स्थान की शिनाख्तगी वह जाकर करा सकता है। उसके द्वारा कथन लिये गये थे और उसके बोलने पर मुकेश पटेल ने लिखे थे, कथन प्रदर्श पी–17 पर सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके बाद वे लोग आदिन उर्फ कल्ला को उसके बताए स्थान सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण खुरई ले गये जहां पर उसके परिवार व साथियों के डेरे लगे थे, उसने उस स्थान की शिनाख्तगी करवाई थी, स्थल शिनाख्तगी पंचनामा उसके समक्ष मुकेश पटेल ने तैयार किया था जो प्रदर्श पी–18 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

39. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में आदिन उर्फ कल्ला की पुनः

Continued Page No (36)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

जामा तलाशी ली गई, तलाशी में उसके पास से एक आधार कार्ड मिला था। मुकेश पटेल ने गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी की सूचना आदिन उर्फ कल्ला के पिता ग्यासन को मुकेश पटेल ने लिखित में दी थी। उसके बाद आरोपी को एसटीएसएफ कार्यालय भोपाल लेकर आए थे जहां पर पुनः आरोपी के मोबाईल को खोलकर चैक करके सीलबंद किया था जिसका पंचनामा सुनील कुमार यादव ने उसके समक्ष बनाया था जो प्रदर्श पी–8 है जिसके डी से डी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी के विरूद्ध दिनेश कुमार ने अपराध पंजीबद्ध कर पीओआर काटा था। इसके बाद उसके द्वारा दिनांक 19 तारीख को अंकित जामोद साहब को आरोपी के धारा 50(8) के अंतर्गत कथन लेख करने हेतु पत्र लिखा था, पत्र प्रदर्श पी–22 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके बाद 19.08.2023 को ही डॉक्टर गुरूदत्त शर्मा को वन्य प्राणी के अवयवों का परीक्षण करने हेतु पत्र लिखा था, पत्र प्रदर्श पी–23 पर ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। डॉक्टर गुरूदत्त शर्मा के द्वारा जप्तशुदा सामग्री को खोलकर परीक्षण किया था जिसमें 5 नग पैगोंलिस स्केल्स, 1 नग बाघ का नाखून, दो नग बाघ के मूंछ के बाल का परीक्षण किया था उसके बाद पैगोंलिन के 3 स्केल, बाघ का एक नाखून, मूंछ के दो बाल सैम्पल फारेंसिक लैब भेजने के लिए तैयार कर सीलबंद किया था शेष दो पैंगोलिन स्केल्स को अलग सीलबंद किया था।

40. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि सील खोलने व बंद करने का पंचनामा प्रदर्श पी–15 उसके सामने मुकेश पटेल ने बनाया था जिसके डी से डी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। दिनांक 19.08.2023 को अंकित जामोद साहब ने आदिन उर्फ कल्ला के बयान कार्यालय स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में लिये थे। दिनांक 18.08.2023 को मुख्यालय में प्रभारी अधिकारी से एफओसीआर नंबर लेने हेतु पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी–24 है। आरोपी आदिन के द्वारा उपयोग किये गये सिम का सीडीआर लेने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखा था। जिसमें उसके द्वारा कॉल डिटेल प्रदाय करने का निवेदन किया गया था पत्र प्रदर्श

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (37)

पी–25 पर ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी द्वारा अपने कथन में अन्य राज्यों में भी शिकार करने के संबंध में बताया था तब उसके द्वारा टाईगर रिजर्व महाराष्ट्र तडोबा डीएफओ नागपुर, डीएफओ, अमरावती, डीएफओ चन्द्रपुर को आरोपी के अपराधों की जानकारी प्रदाय करने हेतु पत्र लिखा था, जो प्रदर्श पी–25 है। तमिलनाडु से आरोपी की जानकारी बाबत् मेल से पत्र प्राप्त हुआ था। दिनांक 04.09.2023 को तमिलनाडु को उसके द्वारा जानकारी भेजी गई थी जो प्रदर्श पी–26 है।

41. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि आदिन उर्फ कल्ला ने कटनी में जिस स्थान पर पैंगोंलिन को मारा था और उसका मांस पकाकर खा लिया था और शल्क निकालकर उसके पास रख लिये थे, उस स्थान पर आदिन उर्फ कल्ला ने ले जाकर शिनाख्तगी करवाई थी और उसकी जीपीएस रीडिंग भी ली थी, रीडिंग एन–23.49.54ई80. 24.21 थी, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–9 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। दिनांक 23.08.2023 को पुनः आरोपी का मोबाईल जांच करने के लिए खोला गया था और पुनः सीलबंद किया गया था जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–10 है जिसके डी से डी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। सैम्पलों को उसके द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर संचालक वाईल्ड लाईफ विज्ञान विद्यालय जबलपुर को भेजा था जो प्रदर्श पी–27 है, सैम्पल की पावती प्रदर्श पी–11 है। आरोपी से जप्त मोबाईल को फोरेंसिक जांच में भेजने हेतु प्रभारी अधिकारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल को पत्र क्रमांक 192/15.09.2023 लिखा था, जो प्रदर्श पी–28 है। अन्य आरोपी पुजारी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वन मण्डल अधिकारी गढ चिरोली महाराष्ट्र को पत्र लिखा था, पत्र प्रदर्श पी–29 है। आरोपी पुजारी को महाराष्ट्र जेल से जाने हेतु प्रोडक्शन वारंट जारी करने हेतु माननीय न्यायालय को पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी–30 है। आरोपी के मोबाईल में दस हजार रूपये के लेनदेन की जानकारी प्राप्त हुई थी जिसके ट्रान्जेक्शन की जानकारी हेतु एसबीआई सतपुड़ा भवन भोपाल को पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी–31 है।

(क्षितिज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (38)

42. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि आरोपी की सीडीआर शासकीय मेल आईडी पर मिली थी जिसका परीक्षण उसके द्वारा किया गया था और बातचीत का सारांश तैयार किया था जो प्रदर्श पी–32 है। आरोपियों का आपस में संबंध होने का एक चार्ट उसके द्वारा तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी–33 है। मिश्राम झाकड, लालनी सिंह रिंडिक टेरेन्पी का कैफ मांगने हेतु अपर प्रधान मुख्य संरक्षक को पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी–34 है, जो सीडीआर शासकीय मेल आईडी पर प्राप्त हुई थी उसका प्रिन्ट उसके द्वारा निकाला गया था एवं सीडी में भी उसे कॉपी किया गया था जिसके संबंध में उसके द्वारा 65बी का प्रमाण पत्र दिया था जो प्रदर्श पी–35 है, जिसकी सीडी प्रदर्श पी–36 है। प्रदर्श पी 24 लगायत 35 के ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी का क्रिमिनल रिकार्ड उसे मेल से दिल्ली से प्राप्त हुआ था, जिसका नेपाल में क्रिमिनल रिकार्ड था। जिसका प्रिन्ट प्रकरण में संलग्न है। विवेचना के दौरान उसने गवाह दिलीप सिंह व मुकेश के बयान लिये थे जो प्रदर्श पी–37 व 38 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसने चन्द्रशेखर शर्मा व अनिल यादव के बयान लिये थे जो प्रदर्श पी–21 व 14 है जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

43. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि साक्षियों के समक्ष आरोपी ने कबूलियत बयान में यह स्वीकार किया था कि उसने वन्य जीव बाघ और पैगोंलिन के अवयवो एवं व्यापार करना स्वीकार किया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 की प्रति लगाई थी जिसमें बाघ 49 नंबर पर एवं पैगोलिंन 113 नंबर पर है। जिसकी प्रति प्रदर्श पी–39 है। आरोपी आदिन उर्फ कल्ला से जप्त मोबाईल जो जांच के लिए भेजा गया था उसकी रिपोर्ट केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त हुई थी जो प्रदर्श पी–41 है उसके साथ संलग्न पेनड्राईव प्रदर्श पी–42 है। वन्य जीवों के सैम्पल जो जांच हेतु भेजे थे उसकी रिपोर्ट डायरेक्टर स्कूल वाईल्ड लाईफ जबलपुर से प्राप्त हुई थी जो प्रदर्श पी–43, 44, 45 है। उसके द्वारा रिपोर्टें न्यायालय में पेश की थी जिसका पत्र प्रदर्श पी–46 है

11/4/22
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (39)

जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रकरण में उसके द्वारा परिवाद तैयार कर पेश किया गया था परिवाद प्रदर्श पी–47 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

44. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया कि जप्तशुदा मुद्देमाल को उभयपक्ष के मध्य खोला गया। एक पेटी में सीलबंद अवस्था में एक पैकिट है जिसे खोला गया जिस पर जप्ती चिट लगी है जिसके अंदर एक नीले रंग का रियलमी कंपनी का मोबाईल है जिसे आर्टिकल ए–1 मार्क किया गया, जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर, बी से बी भाग पर आरोपी आदिन सिंह के हस्ताक्षर, सी से सी भाग पर दिनेश शर्मा वनरक्षक के हस्ताक्षर हैं। एक सफेद रंग के कपड़े में सीलबंद अवस्था में एक पैकेट है जिसे खोला गया जिसे आर्टिकल ए–2 मार्क किया गया। पैकेट के उपर ए से ए भाग पर उसके, बी से बी भाग पर आरोपी आदिन सिंह के हस्ताक्षर, सी से सी भाग पर दिनेश शर्मा वनरक्षक के हस्ताक्षर हैं। प्लास्टिक की डिब्बी के अंदर दो पैंगोलिन स्केल्स रखे हुये है जिसे आर्टिकल ए–3 मार्क किया गया। एक सफेद रंग की कपड़े की सीलबंद पैकेट को खोला गया जिसके अंदर के एक प्लास्टिक की डिब्बी निकली जिसके अंदर एक लाल रंग के कपड़े में बंधा ताबीज है जिसमें काला धागा लगा है, कपड़े के उपर आर्टिकल ए–4 मार्क किया गया, पैकेट के उपर ए से ए भाग पर उसके, बी से बी भाग पर आरोपी आदिन सिंह के हस्ताक्षर, सी से सी भाग पर दिनेश शर्मा वनरक्षक के हस्ताक्षर हैं।

45. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया कि इसी ताबीज के अंदर से एक नग बाघ का नाखून और दो मूंछ के बाल मिले थे। एक सफेद रंग कपड़े में बंधे हुये 7 नग बैग जो सीलबंद अवस्था में, कपड़े के उपर आर्टिकल ए–5 मार्क किया गया। पैकेट के उपर ए से ए भाग पर इस साक्षी के, बी से बी भाग पर आरोपी आदिन सिंह के हस्ताक्षर, सी से सी भाग पर दिनेश शर्मा वनरक्षक के हस्ताक्षर हैं, निकले बैंगो पर आर्टिकल ए–6 लगायत ए–11 मार्क किया गया। उसी पैकेट में से एक गुलाबी रंग का पैकेट निकला है जिसके संबंध में साक्षी का कहना है कि 5 नग

Continued Page No (40)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

पैगोलिन स्केल्स इसी गुलाबी रंग के बैग में रखे हुये थे जिसे उसने जप्त किया था, उक्त बैग को आर्टिकल ए–12 मार्क किया गया। प्रकरण में फरार आरोपी पुजारी सिंह बाबरिया की गिरफ्तारी की अनुमति बाबत् माननीय न्यायालय को पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी–48 है। अनुमति उपरान्त आरोपी पुजारी सिंह बाबरिया को उसके समक्ष प्रदीप यादव वनपाल ने उसे गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–49 है। आरोपी को गिरफ्तारी के पश्चात पी.आर. पर लिया था और उससे उसने अपराध के संबंध में पूछताछ की थी, उसने बताया था कि उसने तमिलनाडु के नीलगिरी डिवीजन में 4 शेरों का शिकार किया है, उसने बताया था कि जो शिकार उसने किया था उसके बाघों के अवयव कल्ला बाबरिया उर्फ आदिन सिंह को दिया था और शिलांग जाकर रिडिंक टेरोन्पी को बेंचा था। उसके बाद वे लोग आरोपी को तमिलनाडु लेकर गये थे। आदिन सिंह ने कुछ वन्य प्राणी अवयव सैम्पल के तौर पर अपने पास रखे हुये थे जिन्हें वह लोगों को दिखाकर वन्य प्राणी अवयवों की मांग करता है, उसके बाद आदिन उर्फ कल्ला ने बताया था कि बाघ का शिकार उसने एवं उसके साथियों ने नीलगिरी डिवीजन तमिलनाडु में किया था जिसके अवयवों को आदिन सिंह ने एवं उसके साथियों ने शिकार किया था।

46. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया कि आदिन ने उसे गिरफ्तारी के समय बताया था कि जो वन्य प्राणी बाघ के अवयव जो उससे मिले वह उसे पुजारी बाबरिया ने दिये थे। उसके द्वारा जो पूछताछ की गई थी उसकी इन्टोगेशन रिपोर्ट प्रदर्श पी–50 है, प्रदर्श पी 48 लगायत 50 के ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी पुजारी को जहां पर बाघ का शिकार किया गया था उस स्थान पर ले जाने हेतु धीरज सिंह चौहान प्रभारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, उक्त आदेश प्रदर्श पी–51 है। आदेश के पालन में गठित टीम के द्वारा आरोपी पुजारी सिंह बाबरिया को लेकर नीलगिरी डिवीजन तमिलनाडु गये थे, जहां रेंज उत्तर उटी के बीट एवनाड नामक स्थान पर लेकर गये थे जहां उसने घटना स्थल की शिनाख्त उसके समक्ष की थी, स्थल पंचनामा शिनाख्तगी प्रदर्श पी–52 है। जो स्थान आरोपी ने बताया था उसका

Continued Page No (41)

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

नजरी नक्शा अनिल यादव ने तैयार किया था जो प्रदर्श पी–53 है। आरोपी ने दूसरा घटना स्थल जहां उसने दूसरे बाघ का शिकार किया था, उस स्थान नीलगिरी वनमण्डल दक्षिण उंटी रेंज की एवलान्ची पीठ में स्थान शिनाख्तगी का पंचनामा उसके समक्ष प्रदीप यादव ने बनाया था जो प्रदर्श पी–54 है, उस स्थान का नजरी नक्शा उसके समक्ष तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी–55 है।

47. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया कि आरोपी ने एक अन्य घटना स्थल नीलगिरी वनमण्डल की दक्षिण उंटी रेंज के बीट एवलान्ची में वह स्थान दिखाया जहां पर उसने दो बाघों का शिकार किया था। उसके समक्ष उस स्थान का स्थल पंचनामा शिनाख्ती प्रदीप यादव ने तैयार किया था जो प्रदर्श पी–56 है, जिसका स्थल नजरी नक्शा **प्रदर्श पी–57** है। आरोपी पुजारी सिंह बाबरिया की कॉल डिटेल प्राप्त करने हेतु उसने अपर प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य प्राणी को पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी–58 है, दूसरा पत्र प्रदर्श पी–59 है। प्रदर्श पी 52 लगायत 59 के ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके वरिष्ठ अधिकारी एसडीओ टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल जो भोपाल में ही पदस्थ हैं जिनका नाम विनोद सिंह है उन्हें उसने प्रकरण में 50(8) के बयान हेतु निवेदन किया था, उन्होंने दिनांक 13.12.2023 को कार्यालय स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में आरोपी पुजारी के धारा 50(8) के कथन लिये थे उस समय वहां वह भी उपस्थित था और गवाह दिनेश शर्मा और अनिल कुमार यादव भी उपस्थित थे। 50(8) के बयान जो उसकी उपस्थिति में विनोद सिंह साहब ने लिये थे वह प्रदर्श पी–60 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

48. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया कि स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स की सायबर शाखा से उसे मेल पर उसकी शासकीय आईडी पर आरोपी पुजारी बाबरिया की काल डिटेल प्राप्त हुई थी जो 26 पृष्ठों में है जो प्रदर्श पी–61 है। सीडीआर के संबंध में उसने उसके ऑफिस के कम्प्यूटर से सीडीआर का प्रिन्ट निकाला था जिसके संबंध में उसने धारा 65बी का प्रमाण पत्र भी दिया था जो प्रदर्श पी–62 है। सीडीआर को परीक्षण उपरान्त परीक्षण रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गई थी, परीक्षण रिपोर्ट में आरोपी

Continued Page No (42)

(विनोज अख्तर)
द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

पुजारी सिंह बाबरिया का मोबाईल नंबर 8626853283 के द्वारा आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया के मोबाईल नंबर 7087963759 पर दिनांक 01.01. 2022 से 08.12.2022 तक 30 बार बातचीत होना, आदिन सिंह के नंबर 7889014399 पर 9 बार एवं मोबाईल नंबर 8817659949 पर 5 बार बातचीत होना पाया गया था। आरोपी पुजारी बाबरिया के मोबाईल नंबर 8626853283 के द्वारा प्रकरण के अन्य फरार आरोपी मिसराम जाखड़ के मोबाईल नंबर 9711066383 पर दो बार बातचीत होना पाया गया। आरोपी पुजारी के अन्य मोबाईल नंबर 9342897809 से आरोपी आदिन सिंह के मोबाईल नंबर 7087963759 पर 27 बार एवं आरोपी रिडिंक टेरोन्पी मोबाईल नंबर 7973652810 पर 66 बार बातचीत होना पाया गया। आरोपी पुजारी के अन्य मोबाईल नंबर 9903311783 से आरोपी आदिन सिंह बाबरिया के मोबाईल नंबर 7889014399 पर 12.12.2021 से 11.12.2023 के बीच 66 बार बातचीत होना पाया गया।

49. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया कि आरोपी पुजारी बाबरिया के मोबाइल नंबर 9903311783 से आरोपी मिसराम जाखड़ से 30 बार बातचीत होना पाया गया था। इसी नंबर से रिंडिक टेरोन्पी के मोबाईल नंबर 7973652810 पर 16 बार, रिडिंक के मोबाईल नंबर 7629852289 पर 42 बार रिडिंक के अन्य मोबाईल नंबर 8837007728 पर 198 एवं मोबाईल नंबर 8011931531 पर 58 बार बात करना पाया। समस्त आरोपी अलग अलग राज्यों के थे और लगातार इनमें बातचीत होना सीडीआर में प्रदर्शित है। उसके द्वारा आरोपीगणों के द्वारा आपस में किये गये कॉल का विवरण तैयार किया था जो प्रदर्श पी–63 है। प्रदर्श पी 61 लगायत 63 के ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। तमिलनाडु से आरोपी पुजारी के संबंध में जानकारी का पत्र उसे प्राप्त हुआ था जो प्रदर्श पी–64 है जिसके पालन में उसने तमिलनाडु को आरोपी पुजारी की जानकारी भेजी थी जो प्रदर्श पी–65 है। महाराष्ट्र राज्य से उसने आरोपी पुजारी सिंह आपराधिक रिकार्ड के संबंध में जानकारी चाही गई थी जो प्रदर्श पी–66 है। महाराष्ट्र से जो जानकारी प्राप्त हुई थी वह प्रदर्श पी–67 है, जो सीडीआर उसे प्राप्त हुई थी उसके साथ

Continued Page No (43)

4/4/25
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

आरोपीगण की कैफ रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी। उसने साक्षी अनिल कुमार यादव, दिनेश कुमार शर्मा, प्रदीप यादव के कथन लिये थे जो प्रदर्श पी–68 लगायत 70 है। प्रकरण में परिवाद करने के लिये अधिकृत है इस बात का आदेश राज्य शासन द्वारा जारी किया गया है जो 4 पृष्ठों में है जिसे उसने सत्यापित किया है जो प्रदर्श पी–71 है। प्रकरण उसके द्वारा आरोपी के विरूद्ध परिवाद पत्र तैयार किया था और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था। परिवाद पत्र प्रदर्श पी–72 है। प्रदर्श पी 65 लगायत 72 के ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

50. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया कि वह विगत 5 वर्षों से टाईगर स्ट्राईक फोर्स नर्मदापुरम एवं भोपाल में पदस्थ है। दिनांक 17.10.2023 को इस प्रकरण के आरोपी आदिन उर्फ कल्ला का परिवाद उसके द्वारा पेश किया गया था। आदिन उर्फ कल्ला के धारा 50(8) के कथनों में एवं सीडीआर के विश्लेषण एवं आरोपी पुजारी सिंह बाबरिया के कॉल डिटेल व विश्लेषण व धारा 50 (8) के कथनों के आधार पर आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के विरूद्ध उसके द्वारा विवेचना की गई थी एवं उसे इस प्रकरण में आरोपी बनाया था। रिंडिक टेरोन्पी के खिलाफ गुवाहाटी में प्रकरण दर्ज था जिसमें वह गुवाहाटी केन्द्रीय जेल में बंद थी, उसके द्वारा माननीय न्यायालय में आवेदन पेश कर आरोपी के विरूद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया था। उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये परिवादों की सत्यापित प्रति पेश की है जिसमें पीओआर प्रदर्श पी–73, जप्त सामग्री की सूची प्रदर्श पी–74, वन्य प्राणी अवयवों का जप्तीनामा प्रदर्श पी–75, मोबाईल जप्तीनामा प्रदर्श पी–76, पंचनामा प्रदर्श पी–77, सैम्पल खोलने व बंद करने का पंचनामा प्रदर्श पी–78, आदिन सिंह के कबूलियत बयान प्रदर्श पी–79 जो दो पृष्ठों में है। साक्षियों के कथन प्रदर्श पी–80 लगायत प्रदर्श पी–83, पुजारी के कबूलियत बयान प्रदर्श पी–84, जो दो पृष्ठों में है। पुजारी की इन्ट्रोगेशन रिपोर्ट प्रदर्श पी–85, सीडीआर प्रदर्श पी–86 है।

51. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया कि आरोपी रिडिंग टेरोन्पी को लाने के लिए एक टीम गठित की गई थी। टीम

Continued Page No (44)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म०प्र०)

रीतेश सिरोठिया प्रभारी एसटीएसएफ के द्वारा गठित की गई थी जिसका प्रदर्श पी–87 है जिसके ए से ए भाग पर उनके डिजीटल हस्ताक्षर हैं। आदेश के परिपालन में वे लोग गुवाहाटी सेन्ट्रल जेल गये थे जहां असिस्टेन्ट जेलर ने उन्हें आरोपी रिडिंग टेरोन्पी को उनके हैंडओवर किया था। जिसका पत्र प्रदर्श पी–88 है। अधीक्षक सेन्ट्रल जेल गुवाहाटी के द्वारा आरोपी का पता व उसकी डिटेल दी गई थी जो प्रदर्श पी–89 है साथ में आरोपी की फोटो दी गई थी जो प्रदर्श पी–90 है। माननीय न्यायालय से अनुमति उपरान्त आरोपी को वीना नायक के द्वारा गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–91 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की लड़की गलोरिया को दी थी जो प्रदर्श पी–92 है। आरोपिया रिंडिक टेरोन्पी के गुवाहाटी में दर्ज वन्य प्राणी प्रकरण कमांक 178/2023 के संबंध में उसके द्वारा विवेचना अधिकारी वाईल्ड लाईफ काईम कन्ट्रोल ब्यूरो गुवाहाटी को पत्राचार किया गया था जिसकी ईमेल प्रति संलग्न है, जो प्रदर्श पी–93 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। दौराने साक्षी की साक्ष्य बचाव पक्ष के द्वारा ईमेल की प्रति पर प्रदर्श डालने हेतु आपत्ति की गई है कि उक्त प्रति ईमेल से प्राप्त प्रति है उस पर प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता है साथ में 65बी का प्रमाण पत्र भी नहीं है। अभियोजन की ओर से निवेदन किया गया कि ईमेल की प्रति साक्षी द्वारा स्वयं ईमेल आईडी से निकाली गई है जिस पर डेट, टाईम, कहां से मेल किया व मेल करने का पूरा विवरण है, अतः आपत्ति का निराकरण निर्णय के स्तर पर किया जावेगा। इस संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रदर्श पी 93 ईमेल इलेक्ट्रानिक संव्यवहार है और उसे ईमेल आईडी के द्वारा प्राप्त किया गया है जिस पर समय, तिथि का विवरण अंकित है, अतः आरोपीगण की ओर से की गयी आपत्ति अमान्य की जाती है।

52. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया कि आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के कॉल रिकार्ड, कैफ, 65बी का प्रमाण पत्र बैंक डिटेल व अन्य जानकारी के संबंध में उसके द्वारा प्रभारी अधिकारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स को पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी–94 है। आरोपी को धारा 50(8)

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (45)

के कथनों के लिए विनोद सिंह सहायक वन संरक्षक प्रभारी अधिकारी एसटीएसएफ के समक्ष मय प्रपत्रों के पेश किया था, उनके द्वारा आरोपी के धारा 50(8) के कथन लिये गये थे। आरोपी की बैंक डिटेल के लिये ब्रांच मैनेजर असम ग्रामीण बैंक अपर चिन्थोंग कर्बीआंगलोंग डिस्ट्रिक असम को पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी–95 है को उसके द्वारा मेल से भेजा गया था जिसकी पावती संलग्न है। आरोपी के मोबाईल नंबर 7629852289, 8837007728, 8011931531 की कॉल डिटेल कैफ व 65बी के प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव मध्यप्रदेश भोपाल को पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी–96 है। दिनांक 20 मार्च 2025 को एपीसीसीएफ वन्य जीव की शासकीय मेल आई डी से उसकी शासकीय मेल आईडी पर मेल किया था, जिसका प्रिन्ट उसके द्वारा निकाला गया जो प्रदर्श पी–97 एवं 98 है। उसके द्वारा आरोपी की निकाली गई कैफ प्रदर्श पी–99 है, कैफ के साथ आईडी भी संलग्न है। प्रदर्श पी 94 लगायत 99 के ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है जो सीडीआर उसे प्राप्त हुई थी जिसका पेज नंबर 55 लगायत 371 है जो प्रदर्श पी–100 है, जो प्रिन्ट आउट उसके द्वारा निकाले गये थे उसके संबंध में 65 बी का प्रमाण पत्र दिया गया है जो प्रदर्श पी–101 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

53. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया कि आरोपी रिडिंक टेरोन्पी को रिमांड उपरान्त वापिस असम गुवाहाटी में छोड़ने के निर्देश माननीय न्यायालय से प्राप्त किया था जिसके पालन में प्रभारी रितेश सिरोठिया के द्वारा एक दल का गठन किया गया था जिसमें वह भी था जिसका पत्र प्रदर्श पी–102 है। उसने आरोपी को गुवाहाटी सेन्ट्रल जेल में ले जाकर हैंडओवर किया था जिसका पत्र प्रदर्श पी–103 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी रिडिंक टेरान्पी के द्वारा दिये गये 50(8) के बयान में उसकी बेटी मेलोटी के खाते से लेनदेन हुआ है इस संबंध में उसके द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैक शाहापुरा से पत्र लिखकर जानकारी चाही गई थी जिसका प्रत्र प्रदर्श पी–104 है, जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के द्वारा उसे मांगे गये खाते की जानकारी मय सील

Continued Page No (46)

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

सहित जानकारी प्रदान की थी जो प्रदर्श पी–105 है। उसने जिस खाते नंबर की जानकारी मांगी थी उस खाते से आरोपी आदिन सिंह के खातों में पैसों का लेन देन हुआ है। इसी तारतम्य में उसने आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला के खाते की जानकारी के लिए यूको बैंक पंजाब को पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी–106 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

54. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया कि प्रकरण में प्रभारी अधिकारी एसटीएसएफ के द्वारा आरोपी रिडिंक टेरोन्पी के खाते की जानकारी लेने हेतु अनिल यादव वनरक्षक को असम भेजा था उनके द्वारा असम ग्रामीण विकास बैंक से आरोपी रिडिंक टेरोन्पी के खाते की जानकारी 5 पृष्ठों में लाकर उसके समक्ष पेश की थी जिसे उसने विवेचना में संलग्न किया था और उसकी विवेचना की थी जो प्रदर्श पी–107 है। विवेचना उपरान्त उसके द्वारा आरोपी रिडिंक टेरोन्पी के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया था जो प्रदर्श पी–108 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

55. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में कथन कर बताया कि प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रदर्श डी 1 के पत्र के माध्यम से उसे दल प्रभारी नियुक्त किया था उस पत्र में ग्यारसपुर जाने का निर्देश नहीं दिया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रभारी अधिकारी के द्वारा दिनांक 17.08.2023 मुखबिर की सूचना के बाबत कोई भी मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार नहीं किया था, स्वतः कथन किया कि प्रभारी अधिकारी ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी के कद, काठी, हुलिया की जानकारी दी थी, स्वतः कहा कि प्रभारी अधिकारी ने भी मुखबिर से टेलीफोन पर बात भी कराई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मुखबिर से टेलीफोन पर बात होने के संबंध में उसके द्वारा कोई भी पंचनामा तैयार नहीं किया था, स्वतः कथन किया प्रभारी अधिकारी ने आरोपी के हुलिया के बारे में उसे मौखिक बताया था। उसके द्वारा भी प्रभारी अधिकारी द्वारा आरोपी के हुलिया बताए जाने के संबंध में कोई पंचनामा तैयार नहीं किया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उन लोगों को देखने के बाद आरोपी

Continued Page No (47)

11/12/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की थी, स्वतः कहा कि दल के समस्त सदस्य सिविल ड्रेस में साधारण भेष भूषा में थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पैगोलिन की उम्र के हिसाब से उनके स्केल्स का कलर बदलता रहता है, स्वतः कहा कि हल्का और गहरे कलर का हो जाता है।

56. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 3 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि पैगोंलिन के जप्तशुदा स्कल्स भूरे रंग के थे, गहरे अथवा हल्के थे इसका उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–5 के मौका नक्शा में आरोपी किस स्थान पर खड़ा था और उनका दल किस स्थान पर उपस्थित था उसका उल्लेख नहीं किया है, स्वतः कहा कि घ टना स्थल को लाल घेरे से गोला बनाकर मार्क किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि नक्शा मौका में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस स्थान पर रखकर आरोपी के उन सातों बैग की तलाशी ली गई थी, स्वतः कहा कि आरोपी ने बैग कंधे पर टांगे हुये थे तभी दल के सदस्यों के द्वारा एक–एक करके बैगों की तलाशी ली गई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी के बैग की तलाशी ली गई थी आरोपी के शरीर की जामा तलाशी नहीं ली थी, स्वतः कहा कि बैग की तलाशी उपरान्त आरोपी की तलाशी ली गई थी जिसमें उसके गले में एक लाल रंग का ताबीज काले रंग के धागे में बंधा हुआ था, उसको टटोलकर देखा गया और उससे खोलने के लिए कहा गया था, ताबीज के अंदर बाघ का एक नग नाखून व दो बाघ के मूंछ के बाल पाए गये। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी के बैग की तलाशी लेने के पूर्व दल के सदस्यों की आरोपी को कोई जामा तलाशी नहीं दी थी।

57. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आरोपी की दूसरी बार जो जामा तलाशी ली गई थी उस समय आधार कार्ड की प्रति के अलावा अन्य कोई सामग्री या वस्तु जप्त नहीं हुई थी एवं दल के भोपाल लौटने के उपरान्त शाम को दिनेश शर्मा द्वारा इस प्रकरण का पीओआर काटा गया था एवं पीओआर आरोपी आदिन उर्फ कल्ला

Continued Page No (48)

(गिरीज आर्कर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

के विरूद्ध काटा गया था अन्य किसी आरोपी का नाम पीओआर में नहीं था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपिया रिंडिक का नाम इस पीओआर में नहीं था और उनके द्वारा बाद में भी आरोपिया रिंडिक के खिलाफ कोई पीओआर नहीं काटा गया था, स्वतः कहा कि आरोपी रिंडिक का नाम प्रकरण के विवेचना मे दौरान बाद में आया था जिसे आदिन उर्फ कल्ला बाबरिया के द्वारा अपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50(8) के अंतर्गत लिये गये कथनों में बताया गया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी आदिन उर्फ कल्ला की प्रदर्श पी–16 की धारा 50(8) के कथन में आरोपिया रिंडिक का नाम व इस अपराध में भूमिका के बारे में कुछ नहीं बताया था, स्वतः कहा कि आरोपी आदिन सिंह को रिंडिक का नाम सही से नहीं पता था उसे वह मेंडकी मैडम कहकर बुलाता था, यह आरोपी के बयान में बताया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपिया रिंडिक को मेडकी मैडम के रूप में जाना जाता है, इस संबंध में उसके द्वारा कोई अन्वेषण नहीं किया गया और न ही उसने इस संबंध में कोई दस्तावेज इस परिवाद में पेश किये हैं, स्वतः कहा कि आरोपी के मोबाईल में मेडकी मैडम का मोबाईल सेव था जिसे अन्वेषण के दौरान जांच में रिंडिक टेरोन्पी का होना पाया गया था।

58. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–17 के कथन में भी आरोपिया रिंडिक का नाम व उसकी प्रकरण में भूमिका की कोई जानकारी नहीं थी, स्वतः कहा कि आरोपिया रिंडिक का नाम जांच के दौरान आया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी– 17 के बयान में मेडकी मैडम के नाम के संबंध में भी उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 में कॉलम नंबर 14 में लाल कपड़े का ताबीज सिला हुआ के आगे 5 गुणित 3.5 सेंमी. लिखा है परन्तु उसकी लंबाई और चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया है, स्वतः कहा कि उस ताबीज की लंबाई 5 सेंमी. और चौड़ाई साढ़े 3 सेंमी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि कॉलम नंबर 15 में बाघ का नाखून वाले कॉलम में 2.4 गुणित 5.6 सेमी लिखा हुआ है परन्तु इस

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (49)

कॉलम में लंबाई व चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, साक्षी ने स्वतः कहा कि 2.4 नाखून की मोटाई, 5.6 सेमी लंबाई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सामान्यतः कोई भी सख्त वस्तु अगर लंबाई में बड़ी हो और उसके ताबीजनुमा पैकिंग में लंबाई में बड़ी होने के कारण वह बाहर आयेगी, स्वतः कहा कि ताबीज का डायमेंशन 5 गुणित साढ़े 3 सेंमी था जो सिले हुये ताबीज का था, ताबीज को खोलने पर कपड़े की लंबाई 5 सेंमी से अधिक ही आयेगी जिसके अंदर साढ़े 5 सेंमी की कोई भी चीज आ सकती है।

59. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 में ऐसा उल्लेख नहीं है कि कपड़े के ताबीज के अंदर बाघ को नाखून को तिरछा करके रखा गया हो और फिर सिलाई की गई हो। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि बाघ के मूंछ के बाल कठोर होते हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि बाघ की मूंछ के बाल कमशः 14.3 सेंमी, 15.8 सेंमी की लंबाई में थे एवं बाघ के मूंछ के बाल की मोटाई का उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि बाल की मोटाई ज्ञात करना संभव नहीं है इसलिए सिर्फ लंबाई का उल्लेख किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि बाघ की मूंछ का बाल नीचे की ओर मोटा और उपर की ओर पतला होता है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि 5 सेंमी के ताबीज में दोनों मूंछ के बाल रखने के लिए उन्हें करीबन 3 बार मोड़ना पड़ेगा। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि बाजार में बाघ के नाखून एवं मूंछ के बाल नकली भी मिलते है एवं सामान्यतः कई लोग बाघ की नकली मूंछ के बाल एवं नकली नाखून को फैशन के लिए भी पहनते हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसे अन्वेषण के दौरान आरोपी के डेरे एवं उसके बताए स्थान कटनी से अन्य कोई पैगोंलिन स्केल्स प्राप्त होकर जप्त नहीं हुये थे।

60. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अंकित जामौद सर ने 19.08.2023 को प्रदर्श पी–22 का पत्र भोपाल में आकर प्राप्त किया था परन्तु किस समय प्राप्त किया था उसका भी उल्लेख नहीं किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि

11/4/26

Continued Page No (50)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

उस समय अंकित जामौद सहायक संचालक सोहागपुर सतपुड़ा टाईगर के पद पर पदस्थ थे एवं उसने उनके कार्यालय सोहागपुर में कोई भी पत्र नहीं भेजा था स्वतः कहा कि बयान दर्ज करने हेतु श्री अंकित जामौद सहायक संचालक को उसके द्वारा दूरभाष पर दिनांक 18.08.2023 को शाम को सूचित किया गया था, उसके पश्चात् उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह बयान से संबंधित पत्र कार्यालय आकर ही ले लेंगे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि बयान दर्ज करने हेतु श्री अंकित जामौद सहायक संचालक को उसके द्वारा दूरभाष पर दिनांक 18.08.2023 को शाम को सूचित किया गया था, उसके पश्चात् उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह बयान से संबंधित पत्र कार्यालय आकर ही ले लेंगे वाली बात प्रदर्श पी–22 के पत्र में नहीं लिखी है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पत्र कमांक 165 दिनांक 21.08.2023 में बताए गये 6 मोबाईल नंबर में से कोई भी नंबर आरोपी आदिन के नाम से पंजीकृत नहीं है, स्वतः कहा कि आरोपी के द्वारा अपने बयान में इन नंबरो का उपयोग करना बताया गया है। आरोपी के द्वारा अलग अलग मोबाईल नंबर की सिम अपने रिश्तेदारों के नाम से कय की जाकर इस्तेमाल की जा रही थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इस पत्र में दर्शाये गये मोबाईल नंबर आरोपी आदिन के नाम से होने के संबंध में संबंधित कंपनी ने भी उन्हें नहीं बताया है।

61. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–35 की धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर किस–किस कंपनी के थे और मोबाईल से संबंधित कंपनियों के नोडल अधिकारी द्वारा इसे जारी नहीं किया गया था, स्वतः कहा कि प्रदर्श पी–35 का प्रमाण पत्र उसके द्वारा जारी किया गया था जो दर्शाये गये मोबाईल नंबर की सीडीआर प्राप्त करने के संबधं में है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में जो सीडीआर उसके द्वारा प्रस्तुत की गई है वह कार्यालय के कम्प्यूटर में उपलब्ध सीडीआर की कॉपी से फिल्टर करके पेश की है, स्वतः कहा कि प्रकरण से संबंधित तथ्यों की कॉल डिटेल रिकार्ड फिल्टर करके पेश की है, सीडीआर की मूल कॉपी प्रदर्श पी–36 में दी

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (51)

गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–36 की सीडीआर रिपोर्ट एवं प्रदर्श पी–100 की सीडीआर रिपोर्ट की हेस वेल्यू क्या थी और उसे किस एल्गोरिदम से तैयार किया गया था इसका उल्लेख उसने धारा 65बी के प्रमाण पत्र में नहीं किया है, स्वतः कहा कि सीडी की साफ्ट कॉपी इंडियन एविडेन्स एक्ट 1872 की धारा 65बी के तहत दिया गया है हेस वेल्यू एवं एल्गोरिदम का उल्लेख नवीन लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप में दिया जाना पुराने एक्ट में हेस वेल्यू दिये जाने का उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सीडीआर रिपोर्ट में वह किस दिनांक को व किस समय निकाली गई है इसका उल्लेख नहीं है।

62. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सीडीआर रिपोर्ट में जो हैडिंग के रूप में आरोपीगणों के बीच में हुई बातचीत का लिखा है वह उसने बाद में लिखा है, उसे कंपनी के अपने ईमेल पर नहीं भेजा गया है, स्वतः कहा कि कंपनी के द्वारा प्रदत्त सीडीआर मे आरोपी के मोबाईल नंबर का उल्लेख किया गया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस आरोपी के द्वारा किस नंबर पर फोन लगाकर बातचीत की गई है, कंपनी द्वारा प्रदत्त सीडीआर में आरोपी के मोबाईल नंबर के साथ में उसका नाम नहीं आया है अतः यह स्पष्ट करने के लिए कि किस आरोपी के बीच में बातचीत हुई है, उपर हैडिंग उसके द्वारा लेख किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सामान्य रूप से कंपनी द्वारा ईमेल पर जैसी सीडीआर भेजी जाती है वैसी ही न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, स्वतः कहा कि सीडीआर की मूल कॉपी प्रदर्श पी 36 में संलग्न सीडी में प्रस्तुत की गई है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

63. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–105 का बैंक स्टेटमेंट आरोपिया रिंडिक के नाम से नहीं है, स्वतः कहा कि उसकी लड़की मेलोटी के नाम पर है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–107 का स्टेटमेंट रिंडिक के नाम से नहीं है, रिंडिका के नाम से है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार

Continued Page No (52)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

किया है कि प्रदर्श पी–107 के बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा किसके नाम से भेजा गया और किसके नाम का किसने भेजा इस बात का उल्लेख नहीं है, स्वतः कि आरोपिया रिंडिक टेरोन्पी के द्वारा धारा 50(8) के अंतर्गत दिये गये कथनों में यह कथन किया है कि उसकी लड़की मेलोटि के खाता आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया को छोटे छोटे ट्रान्जेक्शन के रूप में 3 लाख रूपये हस्तांतरित किये गये है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–107 के बैंक स्टेटमेंट वाले खाते से कितना पैसा किसके खाते में गया उन व्यक्तियों का उसके द्वारा कोई बैंक स्टेटमेंट निकालकर पेश नहीं किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के द्वारा अपने खाता के बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श पी–107 के माध्यम से कोई भी राशि किसी भी आरोपी आदिन और पुजारी को ट्रान्सफर नहीं किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी आदिन उर्फ कल्ला का प्रदर्श पी–16 का कथन किस कानूनी प्रावधान के तहत लिया था उसका उल्लेख उसके द्वारा नहीं किया गया है, स्वतः कहा कि आरोपी का कथन विवेचना अधिकारी के रूप में प्रकरण की जांच के दौरान उसके समक्ष मुकेश पटेल के द्वारा लेख किया गया है और उसका विस्तृत कथन धारा 50 (8) के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक श्री अंकित जामौद के समक्ष दर्ज कराया गया है।

64. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में जांच के दौरान आरोपी के कथन लेने का कोई प्रावधान नहीं है, स्वतः कहा कि धारा 50 (8) में सहायक वनसंरक्षक के समक्ष कथन दर्ज करने का प्रावधान है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि ग्यारसपुर बायपास तिराहा जिला विदिशा में वन विभाग द्वारा की गई रेड/सर्चिंग में जो वन प्राणी के अवयव प्राप्त हुये थे उसका शिकार मध्यप्रदेश राज्य में नहीं हुआ था, स्वतः कहा कि वन्य प्राणी बाघ का शिकार तमिलनाडु राज्य में पुजारी के द्वारा किया गया था जिसके अवयव गुवाहाटी जाकर आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया के साथ मिलकर आरोपी रिंडिक टेरोन्पी को बेंचे थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (53)

स्वीकार किया है कि उसे संपूर्ण भारतवर्ष में संरक्षित वन्य प्राणियों के संबंध में अधिकृत नहीं किया गया है, स्वतः कहा कि प्रकरण में जप्त वन्य प्राणी अवयव को मध्यप्रदेश राज्य के विदिशा जिले के ग्यारसपुर बायपास तिराहा से जप्त किया गया है, इसी साक्षी ने कथन किया कि मध्यप्रदेश राज्य में जप्त करने हेतु स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स अधिकृत है, वन्य प्राणी अवयवों की जप्ती के आधार पर ही प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई, जांच के दौरान वन प्राणी का शिकार तमिलनाडु में उंटी के जंगलों में होना पाया गया, जो आरोपी पुजारी के द्वारा किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि एक अपराध में आरोपी के विरूद्ध एक ही प्रकरण दर्ज कराया जाता है एवं ग्यारसपुर बायपास तिराहे के पास से आरोपी पुजारी से कोई वन्य प्राणी की जप्त नहीं हुई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त भी आरोपी पुजारी से कोई वन्य प्राणी के अवयवों की जप्ती नहीं हुई है।

65. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) से प्रतिपरीक्षण के दौरान पूछे जाने पर कि अभियुक्त पुजारी के विरूद्ध तमिलनाडु राज्य में उसके द्वारा अपराध कारित किये जाने के तथ्यों की जानकारी होने पर आपके द्वारा इस अपराध में उसे गिरफ्तार न किया जाकर सीधे तमिलनाडु वन विभाग को क्यो नहीं सौंपा गया साक्षी ने उत्तर दिया कि दिनांक 18.08.2023 को प्रकरण में मुख्य आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया को वन्य प्राणी बाघ एवं पैगोंलिन के अवयवों सहित गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान यह तथ्य आया कि इस प्रकरण में आरोपी आदिन सिंह बाबरिया के अलावा अन्य आरोपियों की संलिप्तता है, आरोपी आदिन सिंह ने आरोपी पुजारी सिंह बाबरिया, रिंडिक टेरोन्पी के बारे में बताया था साथ ही यह भी बताया कि बाघ का शिकार तमिलनाडु राज्य में पुजारी के द्वारा किया गया था जिसके अवयव आरोपी आदिन सिंह एवं रिंडिक टेरोन्पी को बेंचे गये थे, इसके आधार पर आरोपी पुजारी बाबरिया को तमिलनाडु राज्य ले जाकर बाघ का शिकार करने वाले घ ाटना स्थल की शिनाख्तगी कराई गई चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण वन्य प्राणियों के अवयवों के अवैध व्यापार से संबधित था बाघ का शिकार पुजारी के द्वारा

4/26

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (54)

तमिलनाडु राज्य में किया गया उसके आधार पर बाद में पुजारी के विरूद्ध शिकार का प्रकरण तमिलनाडु राज्य में पंजीबद्ध किया गया है।

66. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि तमिलनाडु राज्य के किसी वनकर्मी की साक्ष्य उसके द्वारा परिवाद पत्र में नहीं कराई गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पूरे प्रकरण में तमिलनाडु राज्य की किसी भी जिले की किसी भी वन परिक्षेत्र की कोई सील नहीं लगाई गई है, स्वतः कहा कि प्रभारी अधिकारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल मध्यप्रदेश के द्वारा तमिलनाडु राज्य में आरोपी पुजारी सिंह बाबरिया को लेकर जाने हेतु 4 सदस्य दल बनाया गया था जो प्रदर्श पी–51 है, आरोपी पुजारी सिंह बाबरिया को तमिलनाडु राज्य में बाघ का शिकार करने वाले स्थान की शिनाख्तगी कराई गई जो प्रदर्श पी–52, 54, 56 है जिसमें तमिलनाडु के वन कर्मचारियों के हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उनकी टीम द्वारा तमिलनाडु जाकर कोई शिनाख्तगी पंचनामा तैयार करने संबंधी कोई फोटोग्राफ परिवाद पत्र में संलग्न नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि तमिलनाडु जाने संबंधी कोई रिजर्वेशन अथवा शासकीय वाहन की कोई टोल टैक्स पर्ची, फ्लाईट टिकिट, शासकीय वाहन में ईधन डालने की रसीद, परिवाद पत्र में संलग्न नहीं है।

67. दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 18.08.2023 को टीएसएफ (टाईगर स्ट्राईक फोर्स) में होशंगाबाद/भोपाल में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उनके विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी एसटीएसएफ भोपाल को वन्य प्राणी अवयवों की खरीद फरोख्त के संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा एक दल का गठन किया गया था, जिसमें 6 सदस्य थे। वे लोग 18.08.2023 को सुबह शासकीय अनुबंधित वाहन से त्वरित कार्यवाही हेतु ग्यारसपुर जाने के लिए रवाना हुये थे। मौके पर रवाना होने का पंचनामा प्रदर्श पी 1 उसके द्वारा तैयार किया गया था। वे ग्यारसपुर तिराहे पर जाकर खड़े हो गये थे और सर्च करने लगे थे उसी दौरान आरोपी आदिन बैग बेंचता हुआ

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला ... (म0प्र0)

Continued Page No (55)

ग्यारसपुर तिराहे के पास मिला था उन लोगों ने उसे पकड़ा था उसके बाद उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम आदिन सिंह आत्मज ग्यासन निवासी ग्राम श्रीहपुर बताया था। आरोपी के पास 7 बैग थे फिर उन लोगों ने उन सभी बैगों की तलाशी ली थी 6 बैग खाली मिले 7वें बैग में वन्य प्राणी के अवयव मिले थे। पैंगोलिन के स्केल 5 नग, आरोपी ने एक ताबीज पहन रखा था जो काले धागे में और लाल कपड़े का सिला हुआ ताबीज था उस ताबीज को आरोपी के सामने खोला गया था उसमें एक वन्य प्राणी बाघ का एक नाखून एवं वन्य प्राणी के मूंछ के दो बाल मिले थे मौके पर खाली बैंगों की नापतौल की थी।

68. दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि उसके द्वारा एवं मुकेश पटेल के द्वारा नाखून व मूंछ के बाल की भी नापतौल की गई थी। आरोपी के पास से एक रियलमी मोबाईल मिला था जिसमें एक नग एयरटेल की सिम डली थी। मौके पर मुकेश पटेल के द्वारा जप्त बैग व वन्य प्राणी के अवयवों की नापतौल की सूची तैयार की गई थी जो प्रदर्श पी–2 है। मौके पर उसके द्वारा आरोपी के कब्जे से वन्य प्राणी पेंगोलिन के 5 नग स्केल्स, वन्य प्राणी बाघ का एक नग नाखून व मूंछ के दो नग बाल कपड़े के 7 नग बैग, काला धागा एक नग, लाल कपड़े का ताबीज एक नग जप्त किया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–3 है। आरोपी के कब्जे से एक रियलमी मोबाईल जिसमें एक एयरटेल की सिम लगी हुई थी जिसका मॉडल आरएमएक्स 3263 था को जप्त किया था जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–4 है। मौके पर उसके द्वारा नजरी नक्शा प्रदर्श पी 5 तैयार किया गया था। मौके पर मुकेश पटेल के द्वारा पंचनामा प्रदर्श पी 6 तैयार किया गया। मौके पर ही उसके द्वारा पीओआर प्रदर्श पी 7 जारी किया गया था। कार्यालय वापसी के उपरान्त विवेचना हेतु जप्तशुदा सीलबंद मोबाईल को उसके समक्ष पंचनामा प्रदर्श पी 8 बनाकर खोला गया था ताकि प्रकरण की विवेचना हो सके मोबाईल को उसी दिन पुनः सीलबंद किया गया था।

69. दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि दिनांक 21.08.2023 को रेंजर साहब, डिप्टी साहब और दिलीप

11/4/26

Continued Page No (56)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

पटेरिया साहब के साथ कटनी स्थल शिनाख्तगी के लिए गये थे आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने पैंगोलिन का शिकार कटनी स्टेशन के पास कुंडा घाट जहां पर वो टेंट लगाकर रहता था वहां किया था। आरोपी ने बताया था कि पैगोंलिन को मारकर उसका मांस पकाकर खा लिया था और पैंगोलिन स्केल्स को निकालकर रख लिया था। मौके पर जाकर स्थल शिनाख्तगी का पंचनामा प्रदर्श पी–9 अधिकारियों के समक्ष उसके द्वारा तैयार किया गया था। विवेचना के दौरान दिनांक 23.08.2023 को टीएसएफ कार्यालय नर्मदापुरम में प्रकरण की विवेचना हेतु आरोपी से जप्तशुदा मोबाईल को पुनः सील तोड़कर खोला गया था। मोबाईल को खोलने एवं विवेचना के बाद पुनः सीलबंद करने का पंचनामा प्रदर्श पी 10 उसके समक्ष तैयार किया गया था। प्रदर्श पी 1 लगायत 10 के ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। जप्तशुदा वन्य प्राणी के अवयवों को फोरेसिंक परीक्षण हेतु संचालक स्कूल वाईल्ड लाइफ फोरेसिंक एण्ड हेल्थ नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर को जांच हेतु जमा करके आया था, जिसकी रसीद प्रदर्श पी–11 है। उसे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आरोपी से जप्तशुदा मोबाईल को सीएफएसएल भोपाल में जाकर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था।

70. दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसके द्वारा उक्त मोबाईल जाकर जमा कराया गया था जिसकी रसीद प्रदर्श पी–12 है। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरएस राजपूत रेंजर साहब के द्वारा उसके कथन लिये थे। उसके कथन प्रदर्श पी–13 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। मालखाना से मालपर्चा अनुसार प्रकरण से संबंधित मुद्देमाल बुलाया गया जो कि टीन की पेटी में रखा गया है, उभयपक्ष के मध्य उक्त पेटी का ताला खोला गया। एक सफेद रंग की डिब्बी जिस पर आर्टिकल ए–2 अंकित है, डिब्बी के अंदर दो पेंगोलिन स्केल्स रखे हुये है। साक्षी से पूछे जाने पर साक्षी ने कहा कि यह वही पेंगोलिन स्केल्स है जो उसने आदिन सिंह कल्ला से ग्यारसपुर तिराहे पर जप्त किये थे, साक्षी ने कहा कि आदिन कल्ला से उसने 5 पैंगोलिन स्केल्स और दो नग मूंछ के बाल और एक नग बाघ का नाखून जप्त किया था। 3 पैगोलिन स्केल्स, एक बाघ का

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (57)

नाखून, दो मूंछ के बाल जांच हेतु नानाजी देशमुख फारेंसिंग यूनिवर्सिटी जबलपुर भेजे थे, जो सैम्पल जांच हेतु भेजे गये थे उन्हें माननीय न्यायालय में जमा कर दिया गया जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष खोला गया। डिब्बे के अंदर से जांचशुदा तीन नग पैगोलिन के स्केल्स जो कि पॉलीथिन के अंदर पैक है जिसे आर्टिकल ए–13 मार्क किया गया। एक सफेद रंग की पन्नी में बाघ का एक नाखून जिसे आर्टिकल ए–14 मार्क किया गया। एक सफेद रंग की पन्नी के अंदर मूछ के दो बाल है जिसे आर्टिकल ए–15 मार्क किया गया। उक्त सभी आर्टिकल उसने आरोपी आदिन सिंह कल्ला से साक्षी अनिल यादव, चन्द्रशेखर शर्मा, राजू सिंह राजपूत के समक्ष जप्त किये थे, ये वही सामग्री है। फोरेसिंक को भेजे गये आर्टिकल की जांच रिपोर्ट पेंगोलिन स्केल्स प्रदर्श पी–44 है तथा वन्य प्राणी मूंछ व नाखून की रिपोर्ट प्रदर्श पी–45 है।

71. दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा कोई भी मुखबिर सूचना का पंचनामा तैयार नहीं किया गया था एवं उनके ओआईसी को मुखबिर की सूचना कब प्राप्त हुई थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मुखबिर की सूचना की जानकारी उनके वरिष्ठ अधिकारी को दिनांक 18.08.2023 के पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी थी एवं उनके वरिष्ठ अधिकारी को जो मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी उसमें उस व्यक्ति की कद, काठी व फोटो भी प्राप्त हुये थे जो वन्य जीव के अवयवों को बेंच रहा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 के मौका रवानगी पंचनामा में इस बात का उल्लेख नहीं है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी को तथाकथित व्यक्ति की कद काठी और फोटोग्राफ का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मुखबिर द्वारा जो फोटोग्राफ उनके वरिष्ठ अधिकारी को तथाकथित व्यक्ति के भेजे गये थे वे इस परिवाद में संलग्न नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 के पंचनामा में ग्यारसपुर के किस स्थान पर उन्हें पहुंचना था उसकी कोई जानकारी अथवा पता इस पंचनामा में लेख नहीं है। प्रकरण में उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जो गठित दल बनाया गया था उसका आदेश इस

Continued Page No (58)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला बालाघाट (म0प्र0)

प्रकरण में पेश है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि कार्यालय के पत्र क्रमांक एसपीएसएफ/2023/काईमसेल/2011, दिनांक 17.08.2023 में 6 कर्मचारियों के दल गठित करने का उल्लेख हैं किन्तु कार्यवाही के लिए ग्यारसपुर स्थान पर जाना इस बात का कोई उल्लेख नहीं है जो प्रदर्श डी–1 है और इस पत्र के माध्यम से उसे दल गठित होने की सूचना प्राप्त हुई थी।

72. दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–1 में उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह नहीं कहा गया था कि दिनांक 18.08.2023 को ही ग्यारसपुर दल को रवाना होना है, स्वतः कहा कि किन्तु सुबह वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ग्यारसपुर जाने के लिए मौखिक रूप से आदेशित किया गया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में दिनांक 18.08.2023 को वह मुख्यालय से बाहर रहेगा उस संबंध में कोई पत्र प्रकरण में संलग्न नहीं है, स्वतः कहा कि मुख्यालय से बाहर जाने की मौखिक रूप से सूचना मिली थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 में आरोपी के टेंट में लगी दुकान का कोई उल्लेख नहीं है एवं घटना स्थल वाला रोड़ तिराहा है और वहां पर सभी लोग आते–जाते रहते हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर आसपास दुकाने भी हैं एवं ग्यारसपुर बायपास रोड़ दो रास्तों में बंटा हुआ है, स्वतः कहा कि तिराहा है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 में क्रमांक 6 लगायत 12 तक के जो कपड़े के बैग जप्त होना बताया गया है उनके कलर का उल्लेख प्रदर्श पी–2 के जप्ती पत्रक में नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2 में आरोपी की वल्दीयत का उल्लेख नहीं है वह स्थान रिक्त पड़ा है एवं प्रदर्श पी–2 के 18 नंबर कॉलम अलग से जोड़ा गया है, स्वतः कहा कि उसी समय 18 नंबर कॉलम लिखा गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 में सीलबंद का उल्लेख नहीं है एवं प्रदर्श पी–2 में आरोपी के संबंध उम्र, निवास एवं किस राज्य का निवासी है उसका उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि प्रदर्श पी–2 में नीचे की तरफ आरोपी के पिता का उल्लेख किया गया है।

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (59)

73. दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 में वन्यजीव बाघ के नाखून की गोलाई का उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–3 के कॉलम नंबर 6अ में मोबाईल जप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है एवं प्रदर्श पी–3 के कॉलम नंबर 6अ में मोबाईल का आईएमईआई नंबर व सिम का उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि दूसरे जप्ती नामा में मोबाईल की सारी जानकारी लिखी है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–3 के जप्ती पत्रक में कॉलम नंबर 8 में चिन्ह/सीलबंद को टिक नहीं किया गया है एवं प्रदर्श पी–3 में कपड़े के बैग का कौन सा रंग था उसका उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–3 में वन्य जीवों के अवयव को किस पैकेट में रखा था उसका उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने कथन कर बताया कि घटना स्थल पर वे लोग लगभग 2 घंटे रूके थे। आरोपी के पास से कोई भी रूपये पैसे नहीं मिले थे। आरोपी के पास से उसका आधार कार्ड भी नहीं मिला था। उसके समक्ष आरोपी से कोई भी पूछताछ पंचनामा नहीं बना था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मोबाईल खोले जाने का पृथक से कोई पंचनामा नहीं बनाया गया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–7 में कपड़ों के रंग एवं अवयवों की लंबाई–चौड़ाई का उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–9 में स्थान के आगे कटनी लिखा हुआ है तथा उसके बाद कटनी में पर्टिक्यूलर स्थान का उल्लेख नहीं है। स्थल शिनाख्तगी पंचनामा के समय आसपास के लोगों से कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उनके कोई बयान लिये थे, स्वतः कहा कि आरोपी से पूछताछ के समय आरोपी ने बताया कि वह कटनी स्टेशन के पास कुंडा घाट में टेंट लगाकर रहा था, वहां पर पैगोंलिन को पकड़कर मांस पकाकर खा लिया और पैगोंलिन के स्केल्स निकालकर रख लिये थे एवं स्थल का जीपीएस रीडिंग ली थी।

74. दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कटनी में उनने कोई घटना स्थल का नक्शा मौका नहीं

Continued Page No (60)

11/4/26

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

बनाया था एवं पंचनामा प्रदर्श पी–10 में मोबाईल के आईएमईआई नंबर एवं सिम के नंबर का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मोबाईल को सीलबंद करके जांच हेतु भेजा गया था उसका प्रतिवेदन नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सभी अवयवों को आफिस में कहा रखा गया था इस बात का उल्लेख प्रकरण में नहीं है और न ही कोई दस्तावेज प्रकरण में संलग्न है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मुखबिर की सूचना उसे प्राप्त नहीं हुई थी, स्वतः कहा उसके साहब को प्राप्त हुई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मुखबिर की सूचना उनके वरिष्ठ अधिकारियों को कब प्राप्त हुई थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पत्र कमांक 211 में आरोपी के कद, काठी व फोटो की जानकारी उन्हें नहीं दी थी, स्वतः कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे मौखिक जानकारी दी थी व फोटो दिखाकर जानकारी दी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जब वे जांच के लिये ग्यारसपुर जा रहे थे तब उनके पास आरोपी की कद, काठी एवं फोटोग्राफ के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सर्चिंग के दौरान उनने मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति या उससे मिलते जुलते व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की थी।

75. दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आरोपी आदिन उस समय रोड़ पर बैग बेंच रहा था एवं उस समय आदिन के आसपास कोई ग्राहक या खरीददार नहीं थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मौका स्थान ग्यारसपुर में उसके द्वारा पीओआर नहीं काटा गया था, स्वतः कहा कि पीओआर भोपाल स्थित टाईगर स्ट्राईक फोर्स के कार्यालय में बनाया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–73 के पीओआर पर इस बात का इन्द्राज नहीं है कि उसके द्वारा इस पीओआर की एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को उसी दिनांक के आधा एक घंटे के अंदर भेज दी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में उसके आरोप पूर्व दिनांक 22.11.2023 को

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (61)

कथन हुये थे उसके अलावा अन्य कोई कथन नहीं हुये थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि दिनांक 05.05.2025 के बाद आरोपिया रिंडिक के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत होने के बाद उसका उसके विरूद्ध कोई भी बयान आरोप पूर्व नहीं हुआ था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त पुजारी के संबंध में उसके द्वारा कोई दस्तावेजी कार्यवाही नहीं की थी।

76 दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पैगोलिन स्केल्स 5 नग व टाईगर के मूंछ के 2 नग बाल, एवं एक नग नाखून मौके पर ही जप्त कर सीलबंद किये थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि शेष दो पैगोलिन स्केल्स परिवाद पत्र पेश होने तक उनके पास ही रखे रहे और उसकी जानकारी में ही थे, स्वतः कहा कि शेष सामग्री सहित माननीय न्यायालय में जमा कर दिये थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में उसकी एक बार आरोप पूर्व एवं एक बार आरोप पश्चात् साक्ष्य हो चुकी है, उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि शेष दो पैगोलिन स्केल्स को बयान के समय उसने प्रदर्श नहीं करवाया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पत्राचार प्रकरण में संलग्न नहीं है।

77. अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 18.08.2023 को एसटीएसएफ (टाईगर स्ट्राईक फोर्स) भोपाल में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उनके विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी एसटीएसएफ भोपाल को वन्य प्राणी अवयवों की खरीद फरोख्त के संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा एक दल का गठन किया गया था, जिसमें 6 सदस्य थे। वे लोग 18.08.2023 को सुबह शासकीय अनुबंधित वाहन से त्वरित कार्यवाही हेतु ग्यारसपुर जाने के लिए रवाना हुये थे। मौके पर रवाना होने का पंचनामा प्रदर्श पी 1 उसके द्वारा तैयार किया गया था। वे ग्यारसपुर तिराहे पर जाकर खड़े हो गये थे और सर्च करने लगे थे उसी दौरान आरोपी आदिन बैग बेंचता हुआ ग्यारसपुर तिराहे के पास मिला था उन लोगों ने उसे पकड़ा था उसके बाद उससे पूछताछ की तो

11/4/26

Continued Page No (62)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

उसने अपना नाम आदिन सिंह आत्मज ग्यासन निवासी ग्राम श्रीहपुर बताया था। आरोपी के पास 7 बैग थे फिर उन लोगों ने उन सभी बैगों की तलाशी ली थी 6 बैग खाली मिले 7वें बैग में वन्य प्राणी के अवयव मिले थे। पैंगोलिन के स्केल 5 नग, आरोपी ने एक ताबीज पहन रखा था जो काले धागे में और लाल कपड़े का सिला हुआ ताबीज था उस ताबीज को आरोपी के सामने खोला गया था उसमें एक वन्य प्राणी बाघ का एक नाखून एवं वन्य प्राणी के मूंछ के दो बाल मिले थे मौके पर खाली बैंगों की नापतौल की थी। दिनेश शर्मा एवं मुकेश पटेल के द्वारा नाखून व मूंछ के बाल की भी नापतौल की गई थी। आरोपी के पास से एक रियलमी मोबाईल मिला था जिसमें एक नग एयरटेल की सिम डली थी। मौके पर मुकेश पटेल के द्वारा जप्त बैग व वन्य प्राणी के अवयवों की नापतौल की सूची तैयार की गई थी जो प्रदर्श पी–2 है।

78. अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि मौके पर दिनेश शर्मा के द्वारा आरोपी के कब्जे से वन्य प्राणी पेंगोलिन के 5 नग स्केल्स, वन्य प्राणी बाघ का एक नग नाखून व मूंछ के दो नग बाल कपड़े के 7 नग बैग, काला धागा एक नग, लाल कपड़े का ताबीज एक नग जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–3 है। आरोपी के कब्जे से एक रियलमी मोबाईल जिसमें एक एयरटेल की सिम लगी हुई थी जिसका मॉडल आरएमएक्स 3263 था को जप्त किया था जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–4 है। मौके पर दिनेश शर्मा के द्वारा नजरी नक्शा प्रदर्श पी 5 तैयार किया गया था। मौके पर मुकेश पटेल के द्वारा पंचनामा प्रदर्श पी 6 तैयार किया गया है। दिनेश शर्मा द्वारा पीओआर प्रदर्श पी 7 जारी किया गया था। कार्यालय वापसी के उपरान्त विवेचना हेतु जप्तशुदा सीलबंद मोबाईल को उसके द्वारा पंचनामा बनाकर खोला गया एवं सीलबंद किया गया था ताकि प्रकरण की विवेचना हो सके मोबाईल को उसी दिन पुनः सीलबंद किया गया था। जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–8 है। विवेचना के दौरान दिनांक 23.08.2023 को टीएसएफ कार्यालय नर्मदापुरम में प्रकरण की विवेचना हेतु आरोपी से जप्तशुदा मोबाईल को पुनः सील तोड़कर खोला गया था। मोबाईल को खोलने एवं विवेचना के बाद पुनः

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (63)

सीलबंद करने का पंचनामा प्रदर्श पी 10 उसके द्वारा तैयार किया गया था। प्रदर्श पी 1 लगायत 10 के बी से बी भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

79. अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उससे राजू सिंह राजपूत विवेचना अधिकारी द्वारा पूछताछ कर कथन प्रदर्श पी 14 लेख किये गये थे। दिनांक 19.08.2023 को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कार्यालय में डॉक्टर गुरूदत्त शर्मा के द्वारा वन्य प्राणी बाघ और पेगोंलिन के जप्त अवयव के सैम्पल लेकर सैम्पल को सीलबंद किया गया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी 15 मुकेश पटेल के द्वारा तैयार किया गया था। आरोपी आदिन के बयान स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल कार्यालय में उसके समक्ष आरोपी से पूछताछ कर उसके कथन एसडीओ साहब के द्वारा लिये गये थे। कथन प्रदर्श पी–16 है। दिनांक 18.08.2023 को आरोपी आदिन से उसके समक्ष अधिकारियों ने पूछताछ की थी। आरोपी ने बताया था कि वह बैग बेंचने का कार्य करता है और उसकी आड़ में वन्य प्राणियों के अवयवों को खरीदने व बेंचने का काम भी करता है। पूछताछ पंचनामा प्रदर्श पी–17 है। आरोपी आदिन को उसके डेरे पर जिला सागर तहसील खुरई में लेकर गये थे। स्थल शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–18 है। आरोपी की जामा तलाशी उसके समक्ष ली गई थी जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–19 है। आरोपी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–20 है। प्रदर्श पी 14 लगायत 20 के ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

80. अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि दिनांक 06.12.2023 को न्यायालय परिसर में आरोपी पुजारी सिंह पिता रामकुमार सिंह की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 49 है, जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी पुजारी सिंह को विवेचना के दौरान स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल द्वारा तमिलनाडू लेकर गये थे, वहॉ पर वन्य जीव अपराध नियंत्रण वीयूरों दक्षिण क्षेत्र चैन्नई एवं तमिलनाडू वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ उत्तर उटी रेन्ज के बीच ऐवनार्ड में आरोपी पुजारी के बताये स्थान पर पहूंचे थे तथा उसकी निशादेही पर बाघ के शिकार स्थल की शिनाख्ती की गई। जहां उसके द्वारा

Continued Page No (64)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

बताया गया कि उसने और उसके साथियों द्वारा 4 वर्ष पूर्व लोहे का खटका लगाकर शिकार किया था। बाघ को मारकर उसकी खाल हड्डियां निकाली थी तथा गोहाटी में कल्ला के साथ बैच दिया था। पंचनामा प्रदर्श पी 52 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। विट ऐवनार्ड रेन्ज उत्तर उटी आरोपी के बताये स्थान ओर नजरी नक्शा प्रदर्श पी 53 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसी दौरान आरोपी ने विट ऐवलाची दक्षिण उटी स्थान पर आरोपी पुजारी ने अपने साथियों के साथ दो वर्ष पूर्व बाघ का शिकार करना बताया था। जिसका स्थलीय शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी–54 है, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी 55 है, जिसकी जीपीएस रीडिंग ऐन 11 अंश 17 मि0 53 सेकेण्ड ई–76 डिग्री 36 मि0 20.5 सेकेण्ड है। आरोपी द्वारा इसी घ ाटना स्थल के पास जिसकी रिडिंग ऐन 11 अंश 17 मि0 53 सेकेण्ड ई–76 डिग्री 36 मि0 21 सेकेण्ड में सिलोन के पेड के पास बाघ का शिकार करना बताया था। स्थल शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी 56 है, वीट ऐवलाईची का नजरी नक्शा प्रदर्श पी 57 है, प्रदर्श पी 55 लगायत 57 के सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

81. अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि आरोपी पुजारी के साथ रामकुमार सिंह ने उसके समक्ष सहायक वन संरक्षक श्री विनोद सिंह को प्रदर्श पी 60 के बयान दिये थे। उसने उक्त कार्यवाही के संबंध में प्रदर्श पी 68 का बयान दिया था, प्रदर्श पी 60 एवं 68 के सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी रिडींक टेरोन्पी ने उसके समक्ष श्री विनोद सिंह सहायक वन संरक्षक के समक्ष प्रदर्श पी 109 के बयान दिये थे, जिसके डी से डी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है जिसे उसके द्वारा टंकित किया गया। उसके समक्ष रिंडिक टेरोन्पी ने फोटो शिनाख्ती कार्यवाही से आदिन उर्फ कल्ला की शिनाख्त किया था, शिनाख्ती प्रदर्श पी 110 है। उसी दौरान फोटो शिनाख्ती कार्यवाही में आरोपी पुजारी सिंह फोटो कमांक 01 पहचान किया था शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी 111 है। रिडींक ने उसके समक्ष फोटो शिनाख्ती प्रदर्श पी 112 की फोटो कमांक 08 माजूयी की पहचान किया था। प्रदर्श पी 110 एवं 112 के सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (65)

रिडींक टेरोन्पी ने उक्त शिनाख्ती के साथ वन्य प्राणी बाघ एवं अन्य प्राणियों के अवयव के संबंध में जानपहचान होना बताया था।

82. अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मुखबिर सूचना के संबंध में कोई पंचनामा तैयार नहीं किया है, स्वतः कहा कि आवश्यकता नहीं रहती है, रवानगी पंचनामा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मुखबिर सूचना के माध्यम से इस बात की जानकारी नहीं हुई थी कि वह व्यक्ति जिसकी सूचना दी गई है उसकी कद, काठी, रंग आदि कैसा है, स्वतः कहा कि उसकी फोटो दल प्रभारी को प्राप्त हुई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि फोटो उसे प्राप्त नहीं हुई थी एवं मुखबिर सूचना के माध्यम से जो फोटो प्राप्त हुई थी वह इस प्रकरण में संलग्न नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 के पंचनामा पर ग्यारसपुर क्षेत्र के किस स्थान के लिए रवाना हुये थे इस बात का उल्लेख प्रदर्श पी–1 में नहीं है एवं प्रदर्श डी–1 के पत्र में गठित दल को ग्यारसपुर जाकर वन अपराध में लिप्त गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करना है इसका उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि मुखबिर की सूचना का उल्लेख है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–1 के पत्र में मुखबिर सूचना किस तारीख व समय पर प्राप्त हुई इसका उल्लेख नहीं है एवं प्रदर्श डी–1 के पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि गठित दल को किस दिनांक को किस स्थान पर कार्यवाही करने के लिए जाना है, स्वतः कहा कि सामान्यतः आदेश दिनांक या उसके उपरान्त कार्यवाही करना पड़ती है।

83. अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वन्य प्राणी की खाल, नाखून, मूंछ के बाल आदि की पहचान के संबंध में उसने कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं ली है, स्वतः कहा कि उन्हें विभाग के द्वारा ट्रेनिंग के दौरान इस संबंध में बताया जाता है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त वस्तुओं को उसने उसके हस्ताक्षर से एफएसएल नहीं भेजा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–3 के जप्ती पत्रक में रियलमी कंपनी के मोबाईल को

Continued Page No (66)

11/2/26
(... अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

जप्त करने का उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि प्रदर्श पी–4 में मोबाईल जप्त करने का उल्लेख है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि ग्यारसपुर तिराहे के आसपास दुकाने हैं एवं प्रदर्श पी–1 लगायत 6 के दस्तावेजों में सभी साक्षी विभाग के हैं, कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा घटना स्थल के आसपास के लोगों से कोई भी पूछताछ नहीं की थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उनके दल के साथ कोई पशु चिकित्सक जो वन्य प्राणियों के अवयवों की मौके पर ही जांच कर सके, उपस्थित नहीं थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी का ऐसा कोई दस्तावेज नहीं देखा जिसमें उसका नाम कल्ला हो, स्वतः कहा कि आरोपी आदिन ने स्वयं बताया था कि उसका नाम कल्ला भी है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल से संबंधित थाने के थाना प्रभारी को सूचना नहीं दी थी, स्वतः कहा कि दल प्रभारी के द्वारा दी गई हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है।

84. अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 109 का बयान उसके द्वारा टाईप करना 09.03. 2025 के 6.10 बजे शाम को शुरू किया गया था, प्रदर्श पी 109 का बयान टाईप करने में लगभग 20–25 का मिनिट लगा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 109 का बयान दिनांक 09.03.2025 के कितने बजे समाप्त हुआ था उस समय का उल्लेख नही है एवं उसने प्रदर्श पी 109 का बयान अपने कार्यालय की चेम्बर में उपलब्ध शासकीय कम्प्यूटर पर टाईप किया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि टाईप करने के बाद उसने उसके हस्ताक्षर कर प्रदर्श पी 109 का बयान श्री विनोद सिंह प्रभारी अधिकारी के पास भेज दिया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 109 के बयान की कोई हस्तलिपि में लिखित कापी उसके पास नही थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी रिंडिक टेरोन्पी के बताये अनुसार बयान टाईप किया गया, इसका उल्लेख बयान में नही है, स्वतः कहा कि बयान के पहले पैराग्राफ में ही लिखा

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (67)

हुआ है कि वह बयान दे रही है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी रिडींक टेरोन्पी ने प्रदर्श पी 110 एवं 111 में आरोपी आदिन एवं पुजारी को हाथ रखकर नहीं पहचाना था, स्वतः कहा कि दोनों आरोपी को प्रदर्श पी 110 एवं 111 में लिखे गये क्रम व क्रमांक से पहचाने, प्रदर्श पी 110 एवं 111 की कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत करायी गयी।

85. अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अनुसार आरोपी की पहचान उसके समान व्यक्यिों के एक ही उम्र और एक ही सकल–सूरत को मिलाकर की जाती है, स्वतः कहा कि आरोपी आदिन एवं आरोपी पुजारी पहचान किये जाने वाले स्थान पर उपस्थित नही थे, जिस कारण उनकी फोटो शिनाख्ती की गई। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 110, 111 की कार्यवाही करते समय न तो आरोपीगण और न ही मिलाये गये व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा नगर गुवाहाटी में जाकर इस संबंध में कोई जॉच नही की गई थी कि आरोपी आदिन और पुजारी ने शेर की खाल का वहां जाकर विक्रय किया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इस परिवाद पत्र में किसी भी टाईगर की खाल जप्त नही हुयी है इसलिये यह प्रकरण टाईगर की खाल के संबंध में नही है स्वतः कहा कि टाईगर की खाल के संबंध में इस परिवाद के विवेचना अधिकारी ही बता सकते है, वह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी रिडींक टेरोन्पी के विरूद्व उसके द्वारा आरोप पूर्व कोई साक्ष्य नहीं दी गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपिया रिडींक की ओर से आरोप पश्चात् भी साक्ष्य हेतु न्यायालय में नही बुलाया गया स्वतः कहा कि वह साक्ष्य दिनांक को माननीय न्यायालय के आदेश से साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ।

86. अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही अभियुक्त पुजारी से किसी भी संरक्षित वन्य जीव के शरीर अथवा शरीर के अवयवों की जप्ती नही हुयी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 52, 54,

4/2/26

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (68)

56 में दो से चार वर्ष पूर्व तमिलनाडू, गोवाहाटी, उटी के संबंध में कथानकों का वर्णन उसके समक्ष लेख किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 52, 54, 56 उसके द्वारा लेखबद्ध नहीं की गई और न ही उक्त दस्तावेजों की कार्यवाही उसके द्वारा की गई। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी 52, 54, 56 में उल्लेखित बाघ आरोपी पुजारी के कब्जे से प्राप्त नहीं हुआ है।

87. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.3) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि दल प्रभारी राजू सिंह राजपूत को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो दिल्ली से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के पास वन्य जीव के अवयव है और वह उसे बेंचने के लिए घूम रहा है। वह दिनांक 18.08.2023 को स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में उपवनक्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर की सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यवाही के लिए एक दल का गठन किया था फिर वे लोग दल के साथ ग्यारसपुर विदिशा गये थे, मौका रवानगी का पंचनामा प्रदर्श पी–1 है। फिर वे लोग ग्यारसपुर के पास बायपास तिराहे के पास खड़े हो गये थे वहां पर एक व्यक्ति खड़ा होकर बैग बेंच रहा था तो दल प्रभारी ने उसे उसका परिचय दिया और उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम आदिन उर्फ कल्ला बताया और पंजाब का रहने वाला बताया था। आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसके पास रखे 7 बैगों की तलाशी दल प्रभारी के द्वारा ली गई थी, स्वतः कहा कि आरोपी ने खुद बैग खोलकर दिखाया था। एक बैग में पैंगोलिन के स्केल्स रखे हुये थे अन्य बैग खाली थे। पूछताछ करने पर आदिन ने बताया कि उसने जो ताबीज पहना है उसके अंदर भी वन्य जीव के अवशेष है फिर उसने ताबीज खोलकर दिखाया तो ताबीज के अंदर एक नग बाघ का नाखून और मूंछ के दो बाल मिले थे।

88. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.3) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसके समक्ष जो जामा तलाशी ली गई थी उसका पंचनामा प्रदर्श पी 19 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। मौके पर दिनेश शर्मा ने आरोपी के कब्जे से वन्य प्राणी पैंगोलिन के 5 नग स्केल्स, बाघ का एक नाखून, बाघ के मूंछ के बाल, कपड़े के बैग 7 नग जप्त

11/2/26

Continued Page No (69)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

किये थे, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–3 है, जो सामग्री जप्त की गई थी उसकी सूची नाप सहित बनाई थी जो प्रदर्श पी–2 है। उसके समक्ष आरोपी आदिन से एक रियलमी कंपनी का मोबाईल जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–4 है। मौके पर स्थल पंचनामा प्रदर्श पी 6 तैयार किया गया था। मौके पर ही घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 5 तैयार किया था। प्रदर्श पी 1 लगायत 6 के सी से सी भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

89. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.3) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी आदिन खुरई में अपने डेरे पर ले गया था जहां पर वह टेन्ट तम्बू लगाकर रह रहा था, स्थल का शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी 9 उसके समक्ष तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके समक्ष पीओआर प्रदर्श पी 7 काटा गया था जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी को उसके समक्ष गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–20 में बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी आदिन के धारा 50 (8) के बयान उसके वरिष्ठ अधिकारी ने लिये थे जो प्रदर्श पी–16 है जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान उसके समक्ष जप्तशुदा सीलबंद मुद्देमाल को फांरेसिंक लैब में डॉक्टर गुरूदत्त शर्मा के द्वारा खोलकर उनका परीक्षण किया गया और परीक्षण उपरान्त पुनः सीलबंद किया गया जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–15 है जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उससे पूछताछ कर उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसके कथन भी लिये थे, कथन प्रदर्श पी–21 पर ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

90. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है घटना स्थल पर वाला क्षेत्र खुला हुआ स्थान और सभी लोग वहां आते जाते रहते है। उनके दल के साथ मौके पर कोई भी स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट से अन्य स्टेट में सफर करता है तो वह अपने साथ पहनने, ओड़ने के कपड़े साथ लेकर चलता है, स्वतः कहा कि आरोपी के कपड़े व अन्य सामान उसके डेरे में था जहां उसका परिवार भी रूका था। उक्त

Continued Page No (70)

1/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि डेरे की तलाशी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दल के सभी सदस्यों के पास स्मार्टफोन थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जिस कार्यवाही में वह शामिल होने की बात बता रहा है उसमें पुजारी बाबरिया के संलिप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि आरोपी आदिन सिंह ने अपने दिनांक 19.08.2023 को दिये कबूलियत बयान में माह दिसम्बर 2022 में आरोपी पुजारी के साथ तमिलनाडू के जंगल में बाघ को मारने की बात बताई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि ग्यारसपुर चौराहा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आरोपी उसके दोनों हाथों पर बैग नहीं रखा था, स्वतः कहा कि अपने कंधे पर बैग टांगे खड़ा था।

91. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है आरोपी सातो बैग एक साईड के कंधे पर टांगकर खड़ा था, स्वतः कहा कि छोटे छोटे बैग थे इसलिए एक तरफ कंधे पर रखे हुये थे। साक्षी से पूछे जाने पर कि क्या आपके दल के किसी सदस्य ने आरोपी की तलाशी ली थी तो साक्षी ने उत्तर दिया कि आरोपी ने स्वयं अपना बैग खोलकर दिखाया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी को जब उनके दल ने परिचय दिया था तो उसने भागने की कोशिश नहीं की थी, स्वतः कहा कि वह हड़बड़ा गया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी के पास वन्य जीव की कोई ट्रॉफी नहीं मिली थी, स्वतः कहा कि वन्य जीव के अवशेष मिले थे, आरोपी ने उसका पहला बैग उन्हें खोलकर दिखाया था उसमें ही वन्य जीव के अवशेष मिल गये थे बाकी शेष बैग खाली थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी के ढेरे पर कोई भी अवैध वन्य जीव या उससे संबंधित अवशेष या वस्तु नहीं मिली थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वापिस आकर भोपाल में समस्त प्रकरण की लिखा पढ़ी की कार्यवाही की थी, स्वतः कहा कि मौके पर उनने पंचनामा, जप्तीनामा व अन्य वैधानिक कार्यवाही मौके पर की थी शेष कार्यवाही भोपाल में की थी।

11/2/26

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (71)

92. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जैसे नाखून मिले थे वैसे नाखून आर्टिफिशियल नाखून बाजार में मिलते हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपिया रिंडिक के पकड़ने के बाद उसके इस प्रकरण में कोई भी आरोप पूर्व साक्ष्य आरोपिया रिंडिक के लिये नहीं हुये थे, स्वतः कहा कि रिंडिक वाली कार्यवाही में वह उपस्थित नहीं था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त पुजारी के विरूद्ध उसके द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रकरण के सहअभियुक्त आदिन सिंह के कथन के आधार पर अभियुक्त पुजारी को प्रकरण में आरोपी बनाया है एवं अभियुक्त पुजारी से उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी।

93. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 18.08.2023 को टीएसएफ (टाईगर स्ट्राईक फोर्स) में होशंगाबाद/भोपाल में वनपाल के पद पर पदस्थ था। उनके विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी एसटीएसएफ भोपाल को वन्य प्राणी अवयवों की खरीद फरोख्त के संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा एक दल का गठन किया गया था, जिसमें 6 सदस्य थे। वे लोग 18.08.2023 को सुबह शासकीय अनुबंधित वाहन से त्वरित कार्यवाही हेतु ग्यारसपुर जाने के लिए रवाना हुये थे। मौके पर रवाना होने का पंचनामा प्रदर्श पी 1 दिनेश शर्मा द्वारा तैयार किया गया था। वे ग्यारसपुर तिराहे पर जाकर खड़े हो गये थे और सर्च करने लगे थे उसी दौरान आरोपी आदिन बैग बेंचता हुआ ग्यारसपुर तिराहे के पास मिला था उन लोगों ने उसे पकड़ा था उसके बाद उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम आदिन सिंह आत्मज ग्यासन निवासी ग्राम श्रीहपुर बताया था। आरोपी के पास 7 बैग थे फिर उन लोगों ने उन सभी बैगों की तलाशी ली थी 6 बैग खाली मिले 7वें बैग में वन्य प्राणी के अवयव मिले थे। पैंगोलिन के स्केल 5 नग, आरोपी ने एक ताबीज पहन रखा था जो काले धागे में और लाल कपड़े का सिला हुआ ताबीज था उस ताबीज को आरोपी के सामने खोला गया था उसमें एक वन्य प्राणी बाघ का एक नाखून एवं

Continued Page No (72)

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

वन्य प्राणी के मूंछ के दो बाल मिले थे मौके पर खाली बैगों की नापतौल की थी। उसके द्वारा एवं दिनेश शर्मा के द्वारा नाखून व मूंछ के बाल की भी नापतौल की गई थी। आरोपी के पास से एक रियलमी मोबाईल मिला था जिसमें एक नग एयरटेल की सिम डली थी।

94. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि मौके पर उसके द्वारा जप्त बैग व वन्य प्राणी के अवयवों की नापतौल की सूची तैयार की गई थी जो प्रदर्श पी–2 है जिसके डी से डी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। मौके पर दिनेश शर्मा द्वारा नजरी नक्शा प्रदर्श पी 5 तैयार किया गया था। मौके पर उसके द्वारा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 6 तैयार किया गया। मौके पर ही दिनेश शर्मा के द्वारा पीओआर प्रदर्श पी 7 जारी किया गया था। प्रदर्श पी 5 लगायत 7 के डी से डी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। कार्यालय वापसी के उपरान्त विवेचना हेतु जप्तशुदा सीलबंद मोबाईल को अनिल यादव के द्वारा पंचनामा बनाकर खोला गया था ताकि प्रकरण की विवेचना हो सके मोबाईल को उसी दिन पुनः सीलबंद किया गया था। जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–8 पर सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान दिनांक 23.08.2023 को टीएसएफ कार्यालय नर्मदापुरम में प्रकरण की विवेचना हेतु आरोपी से जप्तशुदा मोबाईल को पुनः सील तोड़कर खोला गया था। मोबाईल को खोलने एवं विवेचना के बाद पुनः सीलबंद करने का पंचनामा अनिल यादव के द्वारा तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी–10 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

95. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि दिनांक 18.08.2023 को मौके पर प्रभारी अधिकारी के द्वारा आरोपी से पूछताछ बयान तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी–17 है जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी के द्वारा उनके डेरे खुरई जिला सागर स्थान सरस्वती शिशु मंदिर के पास डेरे की शिनाख्तगी कराई थी, पंचनामा प्रदर्श पी–18 उसके द्वारा तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी आदिन की जामा तलाशी ली गई थी उसके पास कपड़ो में एक आधार कार्ड की छायाप्रति मिली थी। जामा

11/4/26

Continued Page No (73)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–19 में सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया था गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–20 में सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। दिनांक 19.08.2023 को वन्य प्राणी चिकित्सक के द्वारा जप्तशुदा अवयवों की सील खोलकर अवयवों के सैम्पल निकाले थे और उन्हें पुनः सीलबंद किया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी 15 उसके द्वारा तैयार किया गया था जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

96. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा कोई भी मुखबिर सूचना का पंचनामा तैयार नहीं किया गया था एवं उनके ओआईसी को मुखबिर की सूचना कब प्राप्त हुई थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मुखबिर की सूचना की जानकारी उनके वरिष्ठ अधिकारी को दिनांक 18.08.2023 के पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 के मौका रवानगी पंचनामा में इस बात का उल्लेख नहीं है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी को तथाकथित व्यक्ति की कद काठी और फोटोग्राफ का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मुखबिर द्वारा जो फोटोग्राफ उनके वरिष्ठ अधिकारी को तथाकथित व्यक्ति के भेजे गये थे वे इस परिवाद में संलग्न नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 के पंचनामा में ग्यारसपुर के किस स्थान पर उन्हें पहुंचना था उसकी कोई जानकारी अथवा पता इस पंचनामा में लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि कार्यालय के पत्र कमांक एसटीएसएफ/2023/काईमसेल/211, दिनांक 17.08.2023 में 6 कर्मचारियों के दल गठित करने का उल्लेख हैं किन्तु कार्यवाही के लिए ग्यारसपुर स्थान पर जाना इस बात का कोई उल्लेख नहीं है जो प्रदर्श डी–1 है और इस पत्र की सूचना उसे किस माध्यम से प्राप्त हुई यह लेटर उसे आफिस में दिखाया गया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–1 के पत्र में उसे प्राप्त होने की पावती नहीं है।

Continued Page No (74)

14/4/26
(दिनेश अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

97. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–1 में उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह नहीं कहा गया था कि दिनांक 18.08.2023 को ही ग्यारसपुर दल को रवाना होना है, स्वतः कहा कि किन्तु सुबह वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ग्यारसपुर जाने के लिए मौखिक रूप से आदेशित किया गया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में दिनांक 18.08.2023 को वह मुख्यालय से बाहर रहेगा उस संबंध में कोई पत्र प्रकरण में संलग्न नहीं है, स्वतः कहा कि मुख्यालय से बाहर जाने की मौखिक रूप से सूचना मिली थी, स्वतः कहा कि मुख्यालय से बाहर जाने का आदेश वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त हुआ था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 में आरोपी के टेंट में लगी दुकान का कोई उल्लेख नहीं है एवं घटना स्थल वाला रोड़ तिराहा है और वहां पर सभी लोग आते–जाते रहते एवं घटना स्थल पर आसपास दुकाने भी है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि ग्यारसपुर बायपास रोड़ दो रास्तों में बंटा हुआ है, स्वतः कहा कि तिराहा है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 में कमांक 6 लगायत 12 तक के जो कपड़े के बैग जप्त होना बताया गया है उनके कलर का उल्लेख प्रदर्श पी–2 के जप्ती पत्रक में नहीं है एवं प्रदर्श पी–2 के 18 नंबर कॉलम अलग से जोड़ा गया है, स्वतः कहा कि प्रदर्श पी–2 में 18 नंबर कॉलम की नंबरिंग नहीं है, परन्तु मौके पर ही लिखा गया है।

98. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 में जप्ती का उल्लेख नहीं है एवं प्रदर्श पी–2 में आरोपी के संबंध उम्र, निवास एवं किस राज्य का निवासी है उसका उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि प्रदर्श पी–2 में नीचे की तरफ आरोपी के पिता का उल्लेख किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 में वन्यजीव बाघ के नाखून की गोलाई का उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि कोई भी जप्तशुदा वन्य जीव के अवयव की पुष्टि फारेसिंक लेब की रिपोर्ट आने के बाद ही की जाती है, कि वह किस वन्यजीव के अवयव है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (75)

कि आरोपी की जामा तलाशी के समय उसके आधार कार्ड की फोटो प्रति के अलावा कोई मोबाईल जप्त नहीं हुआ था, स्वतः कहा कि मोबाईल आरोपी से पहले ही प्राप्त कर लिया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–17 के कथन उसके द्वारा कितने बजे समाप्त किये गये इसका उल्लेख इस बयान में नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में आदिन को अभिरक्षा में लेने का पंचनामा भी पेश नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–7 में कपड़ों के रंग एवं अवयवों की लंबाई–चौड़ाई का उल्लेख नहीं है।

99. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पंचनामा प्रदर्श पी–10 में मोबाईल के आईएमईआई नंबर एवं सिम के नंबर का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मोबाईल को सीलबंद करके जांच हेतु भेजा गया था उसका प्रतिवेदन नहीं है एवं सभी अवयवों को आफिस में कहा रखा गया था इस बात का उल्लेख प्रकरण में नहीं है और न ही कोई दस्तावेज प्रकरण में संलग्न है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी पुजारी के संबंध में उसके द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसे मुखबिर की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी एवं रवानगी पंचनामा में मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना की जानकारी उसे नहीं है और न ही उसे यह जानकारी है कि रवानगी पंचनामा में तथाकथित व्यक्ति की कद, काठी तथा फोटोग्राफ का उल्लेख है या नहीं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि ग्यारसपुर एक तहसील है और ग्यारसपुर के किस स्थान पर पहुंचना था इसकी रवानगी के पूर्व जानकारी नहीं थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि एसटीएसएफ/2023/काईमसेल/211 दिनांक 17.08.2023 के कार्यालयीन पत्र कमांक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ग्यारसपुर जाना है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली उक्त डायरी न्यायालय में पेश नहीं की है और न ही उक्त डायरी में उल्लेखित किसी बात का कोई हवाला दिया गया है।

Continued Page No (76)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

100. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 2 में कमांक 6 लगायत 12 तक जप्तशुदा बैग के रंग, रूप व आकार का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त प्रकार के बैग बाजार में उपलब्ध हो जाते है एवं प्रदर्श पी–2 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि उक्त बैग जप्त किये गये या नहीं किये गये, इस बात का उल्लेख भी नहीं है कि उन बैग का आरोपी से कोई संबंध है या नहीं, आरोपी के निवास स्थान का भी उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–7 में अवयवों की लंबाई, चौड़ाई का उल्लेख नहीं है एवं पंचनामा प्रदर्श पी–10 में मोबाईल के आईएमईआई नंबर एवं सिम के नंबर का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त जप्तशुदा मोबाईल को जांच हेतु भेजने के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा यह जप्तशुदा अवयवों को कार्यालय में किसके पास कहां रखा गया था इसका भी उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपिया रिंडिक के संबंध में उसके समक्ष टीएसएफ के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी एवं उसके माननीय न्यायालय के समक्ष रिंडिक के संबंध में आरोप पूर्व या आरोप पश्चात कोई साक्ष्य अंकित नहीं की गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसे आरोपिया रिंडिक के संबंध में कोई जानकारी नहीं है एवं पुजारी के संबंध में उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पुजारी के संबंध में किस अधिकारी ने क्या क्या कार्यवाही की होगी उसे जानकारी नहीं है।

101. अंकित जामोद (अ.सा.5) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 18.08.23 को सहायक संचालक सोहागपुर सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम के पद पर पदस्थ था। स्टेट टाईगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल के कार्यालय में उसे परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा पत्र देकर बुलाया गया था। वहां पर उसे आदिन सिंह उर्फ कल्ला के धारा 50 (8) के अंतर्गत कथन लेना था। उसने एस.टी.एस.एफ के ऑफिस में एक अलग रूम में दो साक्षियों के समक्ष आदिन उर्फ कल्ला से पूछताछ कर उसके कथन धारा 50 (8) के अंतर्गत

11/2/26

Continued Page No (77)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

लिये थे। कथन से पूर्व उसको बताया था कि यह कथन वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (9) के तहत पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य होंगे। आदिन ने पूछताछ में बताया कि उसे ग्यारसपुर तिराहे से पैंगोलिन की छाल, बाघ के नाखून, बांघ की मूंछ से बने ताबीज के साथ दिनांक 18.08.23 को गिरफ्तार किया गया था। उसने उसे बताया कि वह कई वर्षों से वन्य प्राणी के शिकार व व्यापार में संलिप्त रहा है। वह बैग के कवर का व्यापार करता है व उसकी आड़ में वन्यप्राणी के अव्यवों के सैंपल देकर देश के कई स्थानों पर स्थानीय लोगों से उन अव्यवों की मांग करता है व लालच देकर उन्हें खरीदता है। वह उनको शिलांग, नेपाल व देश के अन्य जगहों में बेचता है। उसके द्वारा बताया गया कि उसने कई वर्षों पूर्व बैतूल जिले में बहेलियाओं से बाघ के अव्यवों को खरीदकर लोपसिंह नामक व्यक्ति को बेंचा था। उसने बताया कि वर्ष 2015–16 में बाघ का शिकार नेपाल में कर नेपाल में ही लोपसिंह को बेचा था। वहां केस दर्ज होने के कारण वहां से भागकर भारत आ गया था। भारत में उसने तमिलनाडु उटी के जंगल में भी बाघ का शिकार कर शिलांग में उसको मेटकी मैडम को बेंचा था। इसके अलावा उसने महाराष्ट्र की गढ़चिरौली, म.प्र. के कटनी जिले में भी पैंगोलिन का शिकार करना स्वीकार किया था।

102. अंकित जामोद (अ.सा.5) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि आदिन ने बताया था कि वह शिकार कर वन्यप्राणी अव्यवों को बेचने के बाद उससे प्राप्त राशि को दिल्ली के वन विभाग के पूर्व कर्मचारी मिसराम जाखड़ को नगद या उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करता था। यदि वह जाखड़ को पैसा नहीं देता था तो जाखड़ से उनको पकड़वाने का खतरा बना रहता था। उसके द्वारा धारा 50 (8) के अंतर्गत आरोपी आदिन उर्फ कल्ला का लिया गया कबूलियत बयान प्रदर्श पी 16 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके बोलने पर शैलेंद्र गर्ग के द्वारा उक्त कथन टाइप किये गये थे जिसके डी से डी भाग पर शैलेंद्र गर्ग के हस्ताक्षर है। कथन होने के पश्चात् आरोपी आदिन उर्फ कल्ला ने कथनों पर हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी 16 में इ से इ भाग पर आदिन उर्फ कल्ला के हस्ताक्षर है।

11/2/26

Continued Page No (78)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

103. अंकित जामोद (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 16 का बयान उसके द्वारा टंकित नहीं किया गया है स्वतः कथन किया कि उसकी उपस्थिति में टंकित किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रदर्श पी 16 के बयान में कोई ऐसी टीप अंकित नहीं है कि कथनों को उसके द्वारा बोलकर टंकित कराया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि धारा 50 (8) के अंतर्गत बयान लेने के लिये वह अधिकृत है ऐसा कोई भी आदेश उसने संलग्न नहीं किया है और न ही प्रदर्श पी 16 में इस बात का उल्लेख है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि शैलेंद्र गर्ग धारा 50 (8) के बयान लेने के लिये अधिकृत नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि गवाह चंद्रशेखर शर्मा और अनिल यादव उनके वन विभाग के ही कर्मचारी है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि बयान लेने के बाद उसने विवेचना अधिकारी को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि आरोपी के द्वारा किये गये अपराधों के संबंध में संबंधित स्थानों पर जाकर जानकारी एकत्रित करे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने इस प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी को इस बाबत् कोई निर्देश नहीं दिये थे कि आरोपी आदिन उर्फ कल्ला ने जो पूर्व में वन्य अधिनियम से संबंधित अपराध किये है उनमें 50 (8) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत बयान दिये है अथवा नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उनके साथ कोई हिंदी अनुवादक नहीं था।

104. अंकित जामोद (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी–16 के कथन में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि उसने एसटीएफ के ऑफिस में एक अलग रूम में दो साक्षियों के समक्ष आरोपी आदिन उर्फ कल्ला से पूछताछ कर उसके कथन धारा 50(8) के अंतर्गत लिये थे, स्वतः कहा कि जब उसने कथन लिये थे तब दो गवाह मौके पर वहां पर उपस्थित थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–16 के दोनों साक्षीगण उनके वन विभाग के ही कर्मचारी थे एवं उसने आरोपी के कथन लेने के पूर्व कोई भी स्वतंत्र साक्षी को नहीं बुलाया था।

11/12/25

Continued Page No (79)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह जांच दल के साथ ग्राम ग्यारसपुर नहीं गया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह ग्यारसपुर नहीं गया था इसलिए उसे यह नहीं मालूम कि वन्य प्राणी के अवयव कैसे प्राप्त हुये थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पैगोंलिन के स्केल्स वह स्वयं प्राकृतिक रूप से अपने शरीर से त्याग देती है तथा अन्य किसी वन्य जीव से संघर्ष के दौरान भी पैंगोलिन के स्केल्स उसके शरीर से टूट जाते हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त पुजारी से कोई पूछताछ नहीं की थी एवं उसने अभियुक्त पुजारी के संबंध में प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी आदिन उर्फ कल्ला ने अपने कथनों में आरोपी पुजारी के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी।

105. प्रदीप यादव (अ.सा.10) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 06.12.2023 को टाईगर स्ट्राईक फोर्स में वनपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने पुजारी सिंह पिता राम कुमार सिंह बाबरिया को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 49 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था। उसके समक्ष शैलेन्द्र गर्ग वनरक्षक ने पुजारी सिंह वल्द रामकुमार सिंह के कथन प्रदर्श पी 50 उसके बताए अनुसार लेख किये थे, प्रदर्श पी 49 एवं 50 के बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। पुजारी सिंह ने अपने कथन में अपने व्यवसाय और वन्य प्राणियों के खरीद फरोख्त के संबंध में जानकारी दी थी जिसमें उसके द्वारा अन्य आरोपीगण, रमेश, वकील, शिवन, रामकुमार, पप्पू, प्रकाश के साथ वन्य प्राणी बाघ के शिकार कर उसके अंगों के विकय किया। पुजारी सिंह ने बताया था कि वह उंटी तमिलनाडु के जंगलों में भी वन्य प्राणियों के शिकार में शामिल रहा है। दिनांक 10.12.2023 को पुजारी सिंह की निशादेही पर बीट एवनार्ड रेंज उत्तर उंटी वन मंडल नीलगिरी तमिलनाडु वन विभाग की टीम, स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स वन जीव अपराध नियत्रंण ब्यूरो दक्षिण क्षेत्र चैन्नई की संयुक्त टीम के साथ उसे लेकर गये थे। मौके पर पुजारी सिंह की निशादेही पर लोहे का खटका लगाकर मारे जाने वाले बाघ के स्थान की शिनाख्तगी की गई। मौका स्थल का पंचनामा प्रदर्श पी 52

11/2/26

Continued Page No (80)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

उसके द्वारा तैयार किया था, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी 53 अनिल कुमार यादव वनरक्षक एसटीएसएफ द्वारा उसके समक्ष तैयार किया था।

106. प्रदीप यादव (अ.सा.10) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि दिनांक 10.12.2023 को 4:35 पीएम बजे बीट इवलांची, दक्षिण उंटी रेंज नीलगिरी वनमण्डल तमिलनाडु संयुक्त टीम के साथ गये थे जहां पुजारी सिंह ने दो वर्ष पूर्व किये गये बाघ के शिकार के स्थान की पहचान की थी, उसके द्वारा स्थल शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी 54 तैयार किया था जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी 55 अनिल कुमार यादव वनरक्षक एसटीएसएफ द्वारा बनाया था। उसी दौरान शाम 5 बजे बीट इवलांची दक्षिण उंटी रेंज नीलगिरी वनमण्डल तमिलनाडु के स्थान की शिनाख्तगी पुजारी सिंह के द्वारा की गई थी जहां पर सिलोन के पेड़ के पास उसके द्वारा बाघ का शिकार करना बताया था, उसके द्वारा उक्त घटना स्थल का जीपीएस रीडिंग लिया जाकर स्थल शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी 56 तैयार किया था तथा घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–57 उसके द्वारा तैयार किया था, प्रदर्श पी 52 लगायत 57 के बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा की गई कार्यवाही गिरफ्तारी, स्थल शिनाख्तगी, नजरी नक्शा तैयार किये गये थे जिसके संबंध में उसने एसटीएसएफ प्रभारी अधिकारी (श्री राजू सिंह राजपूत) को बयान दिये थे जो प्रदर्श पी–70 है जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

107. प्रदीप यादव (अ.सा.10) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आरोपी पुजारी सिंह के गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–49 में गिरफ्तारी का स्थान सीजेएम न्यायालय नर्मदापुरम लेख है एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–49 में ऐसा कही भी उल्लेख नहीं है कि आरोपी पुजारी को किसी अन्य प्रकरण से अपराध कमांक 237/10 में फार्मल गिरफ्तार किया हो। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–49, इन्टेरोगेशन रिपोर्ट प्रदर्श पी–50, पंचनामा स्थल शिनाख्तगी प्रदर्श पी–52 में दस्तावेजों के साक्षी वन विभाग के कर्मचारी है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि तीनों दस्तावेजों में कोई स्वतंत्र साक्षीगण को साक्षी नहीं बनाया गया है एवं प्रदर्श पी 70 के उसके कथन रिपोर्ट दर्ज हो

Continued Page No (81)

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म0प्र0)

जाने के पश्चात् लेख किये गये है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह एवं शैलेन्द्र गर्ग वनरक्षक समान पद के कर्मचारी है। प्रदर्श पी–50 का कथन कार्यालय स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में कम्प्यूटर पर टाईप हुआ था, उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज में किसी भी वन विभाग के अधिकारी की पदमुद्रा अंकित नहीं है।

108. प्रदीप यादव (अ.सा.10) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अवलांची तमिलनाडु एवं गोवाहाटी उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी पुजारी से बाघ के कोई अवयवों की जप्ती नहीं की गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी पुजारी के कथन प्रदर्श पी–50 में उसके हिस्से में आयी राशि का क्या हुआ इस बात का उल्लेख नहीं है एवं आरोपी से कोई राशि की जप्ती भी नहीं की है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पंचनामा स्थल शिनाख्तगी प्रदर्श पी–52 में तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी वनमण्डल रेंज उत्तर उंटी के किसी भी वन अधिकारी की पदमुद्रा अंकित नहीं है।उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि स्थल शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–52 पर आरोपी पुजारी सिंह के हस्ताक्षर नहीं है एवं प्रदर्श पी–52 में सभी वन विभाग से संबंधित कर्मचारियों के हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि तमिलनाडु राज्य के किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि स्थल शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–54 एवं 56 में आरोपी पुजारी के हस्ताक्षर नहीं है एवं मात्र वन विभाग के कर्मचारियों के हस्ताक्षर है।

109. विनोद सिंह (अ.सा.7) ने न्यायायलीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 13.12.2023 को कार्यालय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में सहायक वनसंरक्षक (एसडीओ) प्रभारी टाईगर स्ट्राईक फोर्स नर्मदापुरम/भोपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी पुजारी सिंह पिता रामकुमार सिंह बाबरिया को लेकर उसके भोपाल कार्यालय में उपस्थित हुये थे और उन्होंने उसे बताया था कि आरोपी इस प्रकरण में संलिप्त है जिसकी उनके द्वारा कार्यवाही की गई है अतः वह धारा 50(8) के अंतर्गत

Continued Page No (82)

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

कथन लेवे, तब उसके द्वारा स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स मुख्यालय भोपाल के कक्ष में आरोपी पुजारी सिंह से पूछताछ की थी, पूछताछ में उसने बताया कि वह होशियारपुर पंजाब का मूल निवासी है, उसने बताया कि वह महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जाकर कंबल, बैग, कुशन कवर, टेवल कवर बेंचने का धंधा करता है, वह वन्य प्राणी बाघ, उदबिलाव आदि का शिकार कर उनके अवयवों को बेंचने का धंधा करता है, यह कार्य 4 साल से कर रहा है। उसने उसे यह भी बताया कि वह बैग, कंबल, कुशन कवर, आदि सामान पानीपत से थोक भाव में खरीदकर अलग अलग राज्यों में जाकर फेरी लगाकर बेंचता है और उसी की आड़ में वे लोग वन्य प्राणी के संबंध में जानकारी एकत्रित करते हैं। वह उसके अन्य साथियों के साथ बाघ के अवयव उदबिलाव, गोवाहाटी शिलांग एवं हरियाणा ले जाकर बेंच देता है।

110. विनोद सिंह (अ.सा.7) ने न्यायायलीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसे दिये गये बयान में पुजारी सिंह ने उसे यह भी बताया कि उसने उसके साथियों वकील बाबरिया, रमेश बाबरिया, शिवन बाबरिया, धरमवीर बाबरिया के साथ मिलकर वर्ष 2019, 20, 21, 22 में उंटी, तमिलनाडु में बाघ का शिकार, खटका (लेग होल्ड ट्रेप) लगाकर किया था। वर्ष 2022 में, वह उसके साथियों के साथ मेटुपलायंम तमिलनाडु में डेरे लगाकर रहा था एवं आसपास के क्षेत्र में कुशन कवर, कंबल, बेटशीड बेंचने का काम कर रहे थे उसके साथी वकील बाबरिया ने कहा कि उंटी के पास अभिलांची चलते है वहां बाघ का शिकार करेंगे फिर वह और वकील, शिवन, धमरवीर, रमेश सभी लोग बस से बैठकर अभिलांची पहुंचे और अपने साथ में खाने का सूखा सामान भी लेकर गये थे और जंगल में जाकर बाघ के आने जाने के रास्ते पर फंदा लगाया और बाघ के फंसने का इंतजार करने लगे, अगले दिन जब फंदा लगाने के स्थान पर गये तो देखा कि एक बाघ फंसा हुआ था जो फंदे से निकलने का प्रयास कर रहा था उन सभी लोगों ने भाले लट्ठ की सहायता से पीट पीटकर बाघ को मार दिया था और छुरी से खाल निकाली, बाघ की हड्डिया, दांत, नाखून, मूंछ के बाल निकालकर मांस को बोरी में भरकर अपने डेरे पर आ गये जहां पर मांस को पकाकर मिल बांटकर खा लिया एवं बाघ की खाल, हड्डिया, दांत, नाखून,

11/2/26

Continued Page No (83)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

मूंछ के बाल लेकर कोयबटूर चले गये वहां से गुवाहाटी गये जहां उन्हें आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया मिला, वह भी तमिलनाडु से वहां पहुंचा था फिर उन्होंने बाघ के सारे अवयव कल्ला को दे दिये थे फिर कल्ला बाघ की खाल व उसके अवयव लेकर रिंडिक को देने के लिए शिलांग चला गया था फिर दो दिन बाद कल्ला ने उन लोगों को 5 लाख रूपये दिये थे जो उनने आपस में बांट लिये थे और उसके हिस्से में एक लाख रूपये आए थे।

111. विनोद सिंह (अ.सा.7) ने न्यायायलीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसने उसे यह भी बताया कि लोगों ने 2–2 हजार रूपये कुल 10 हजार रूपये एकट्ठा करके मिशराम जाखड़ जिसका नाम चौधरी चाचा भी है, देने के लिए कल्ला को दिये थे, उसके बाद वे लोग अपने घर चले गये थे। उसने उसे यह भी बताया कि उसने अपने दूसरे अन्य साथियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के गढचिरोली में भी बाघ का शिकार किया था। उसने यह भी बताया कि वर्ष 2019 में अपने साथियों वकील, शिवान, धरमवीर, रमेश के साथ मिलकर एबेनोड तमिलनाडु में बाघ का शिकार किया था एवं उसकी खाल व अवयवों को गुवाहाटी में कल्ला को ले जाकर दिया था जिसने उन्हें दो दिन बाद 5 लाख रूपये दिये थे जिसमें से उसे 1 लाख रूपये मिले थे। ऐसी ही घटना उसने वर्ष 2020 में भी अभिलांची तमिलनाडु में इन्ही साथियों के साथ मिलकर की थी जिसमें नर बाघ को मारा था और उसकी खाल व अवयवों को निकालकर गुवाहाटी में जोना नामक व्यक्ति मिला था जिसे अवयव व खाल बेंच दी थी और 5 लाख रूपये लेकर वापिस आ गये थे। उसने उसे यह भी बताया कि वर्ष 2021 में अभिलांची में ही रजनी, धरमवीर, वकील, शिवन, दीवान के साथ मिलकर नर बाघ का शिकार किया था उसके भी हड्डी व खाल, अवयव गुवाहाटी जाकर जोना को दी थी और उसके बदले में पौने 4 लाख रूपये मिले थे। पूछताछ के दौरान उसने उसके समक्ष स्वीकार किया था कि उसने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों में 4 बाघों का शिकार खटका लगाकर (लेग होल्ड ट्रेप) किया था और उनके अवयवों को गुवाहाटी ले जाकर कल्ला व जोना के माध्यम से बेंच देते थे और पैसे मिलने पर वापिस आ जाते थे।

11/12/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (84)

112. विनोद सिंह (अ.सा.7) ने न्यायायलीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसके द्वारा गवाहों के समक्ष आरोपी से पूछताछ कर उसका धारा 50(8) का कथन टंकित कर लेखबद्ध कराया है। जो प्रदर्श पी–60 है जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार दिनांक 09.03.2025 को विवेचना अधिकारी के पेश करने पर उसने रिंडिक टेरोन्पी का धारा 50(8) का कथन उसके बताए अनुसार गवाहों के समक्ष टंकित कर लेखबद्ध कराया था जिसमें रिंडिक ने उसे बताया था कि वह कर्बीअंगलोंग असम में रहती है और वह मूलतः मिजोरम की रहने वाली है, उसकी तीन शादियां हुई है एवं 5 बच्चे हैं। उसका एक लड़का वेदा सिंह एवं लड़की मेलोटी तथा किलोरीबेन शिलोंग मेघालय में रहते है। उसकी मुलाकात शिलोंग मेघालय में लालजुईथंगी उर्फ माजुई से मुलाकात हुई थी। माजुई की खाने एवं मिठाई की दुकान है। माजुई के पति असम रायफल में थे, माजुई ने रिंडिक को बाघ की खाल एवं हड्डियों के व्यापार में बताया था। रिंडिक ने बताया था कि उसे शुगर, हेपेटाईटिस आदि की बीमारी है जिसके इलाज हेतु पैसों की आवश्यकता होती है। रिंडिक ने माजुई का मोबाईल नंबर ले लिया। रिंडिक ने आगे बताया कि वह लाला नाम के व्यक्ति को जानती है जो कि कुछ लोगों को जानता हैं जो कामाख्या मंदिर के पास डेरा लगाकर रहते हैं एवं बाघ का शिकार व अवयवों को बेंचने का व्यापार करते हैं। लाला ने ही उसे वहां पर एक व्यक्ति से मिलवाया था जिसका नाम पुजारी सिंह बाबरिया था जिसे उसे अपना मोबाईल नंबर दे दिया था फिर 2022 में पुजारी का फोन उसके पास आया तो उसने कहा कि बाघ की खाल एवं हड्डियां बेंचना है और उसे कामाख्या मंदिर के पास बुलाया था तब वह वहां बाघ की खाल एवं हड्डिया देखने गई थी जहां उसे पुजारी व आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया मिले थे। इन लोगों से बाघ की खाल एवं अवयव लेकर टैक्सी से शिलांग चली गई थी।

113. विनोद सिंह (अ.सा.7) ने न्यायायलीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि रिंडिक ने उसे बताया कि उसने शिलांग में माजुई को बाघ की खाल व अवयव दे दिये तब माजुई ने उसे 12 लाख रूपये दिये थे फिर दो दिन बाद पुजारी ने उसे फोन किया और पैसे लाने के लिए कहा तब उसने उससे कहा

11/12/26

Continued Page No (85)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

कि आप ही आकर पैसे ले जाओं तो उसने कहा कि कल्ला पैसे लेने आयेगा फिर कल्ला अगले दिन पैसे लेने आया उसने कल्ला को 5 लाख रूपये दे दिये थे। उसने कुछ पैसे आदिन सिंह को अपनी लड़की मेलोटी के खाते से आदिन सिंह को ट्रान्सफर किये थे। उसने 4–5 बार बाबरिया लोगों से बाघ की खाल एवं हड्डी व अवयव खरीदी हैं एवं उन्हें आगे बेंचा है। उक्त काम में उसे हर बार 2 से 5 लाख का फायदा हो जाता है। वह पुजारी सिंह एवं कल्ला बाबरिया को जानती है जिनसे बाघ की खाल, हड्डिया, अवयव का व्यापार करना स्वीकार किया था। उसने उसे यह भी बताया था कि उसका नाम गुवाहाटी में एक वन्य प्राणी के केस में रामदास, ओमप्रकाश, राजावती, मायादेवी के साथ केस में आया था और उसी केस में वह गुवाहाटी जेल में बंद थी, उसके द्वारा गवाहों के समक्ष रिंडिक का धारा 50(8) का कथन टंकित कराकर लेखबद्ध किया था जो प्रदर्श पी–109 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

114. विनोद सिंह (अ.सा.7) ने न्यायायलीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि बयान लेने से पूर्व उसने रिंडिक को आरोपीगणों आदिन सिंह उर्फ कल्ला, पुजारी, माजुई की फोटो दिखाकर फोटो की शिनाख्तगी कराई थी और उसने फोटो देखकर आदिन सिंह उर्फ कल्ला, पुजारी व माजुई को पहचान लिया था। फोटो शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–110, 111, 112 है जिसके ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी–110 में रिंडिक ने आदिन सिंह को पहचाना था। प्रदर्श पी–111 में पुजारी सिंह को पहचाना था। प्रदर्श पी–112 में उसने माजुई को पहचाना था।

115. विनोद सिंह (अ.सा.7) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दिनांक 09.03.2025 के 6:10 पीएम पर आरोपिया रिंडिक का बयान टाईप किया गया था एवं अनिल कुमार यादव ने प्रदर्श पी–109 का बयान टाईप किया गया था, उक्त बयान उसके समक्ष अनिल कुमार द्वारा टाईप किया गया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–109 के बयान में उसके द्वारा ऐसी टीप नहीं लगाई गई है कि आरोपिया का बयान

11/4/26

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

Continued Page No (86)

उसके द्वारा लिया गया, स्वतः कहा बयान उसके द्वारा आरोपिया से पूछने पर जो बताया गया था वह अनिल यादव द्वारा उसके समक्ष टंकित किया गया। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–109 में उसके द्वारा ऐसी टीप नहीं लगाई गई है कि आरोपिया से पूछने पर उसने जो बताया वह अनिल यादव ने टाईप किया है, स्वतः कहा आरोपिया ने बयान दिया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–109 में बी से बी स्थान पर जो अंगूठा निशानी लगी है उस पर कोई टीप अंकित नहीं है कि वह किसकी अंगूठा निशानी है, स्वतः कहा कि आरोपिया के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी के पास अंकित है। साक्षी से पूछे जाने पर कि प्रदर्श पी–109 पर जब आरोपिया हस्ताक्षर करना जानती थी तो उसके अंगूठा निशानी लगवाने का क्या कारण था तो साक्षी ने उत्तर दिया कि आरोपिया हस्ताक्षर करना भी जानती थी और अंगूठा लगाना भी जानती थी इसलिए उसके द्वारा दोनों ही करवा लिये थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त पुजारी के आधिपत्य से बाघ के शरीर के कोई अवयव जप्त नहीं किये थे एवं अभियुक्त पुजारी के कथन प्रदर्श पी–60 में उसके आधिपत्य में बाघ के कोई अवयव होने के संबंध में कथन नहीं दिये थे, स्वतः कहा कि आरोपी पुजारी अन्य केस में महाराष्ट्र में जेल निरूद्ध जिसे प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था, इस कारण से उससे कोई जप्ती नहीं हुई थी।

116. विनोद सिंह (अ.सा.7) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में अभियुक्त पुजारी के कब्जे से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त को अन्य प्रकरण से जरिये प्रोडक्शन वारंट इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपिया का बयान उसने किस समय लेना शुरू किया था उसका उल्लेख प्रदर्श पी–109 में नहीं है, स्वतः कहा कि सवा 5 से साढ़े 5 बजे के मध्य बयान लेना शुरू किया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–109 के बयान में आरोपिया ने माजुई का मोबाईल नंबर नहीं बताया था, स्वतः कहा कि आरोपिया ने कहा था कि माजुई का नंबर उसके मोबाईल में सेव है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला जमईपुरम (म0प्र0)

Continued Page No (87)

स्वीकार किया है कि आरोपिया के कथन प्रदर्श पी–109 में जो तथ्य आए थे उनकी जांच के लिए उसने कोई भी पत्र अन्वेषण अधिकारी को नहीं लिखा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–110, 111, 112 के 8–8 फोटोग्राफ अलग अलग व्यक्ति के है एवं आठों व्यक्ति अलग अलग शहर व गांव के निवासी हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–110, 111, 112 मे चित्रित आठों व्यक्ति के नाम व पता नहीं लिखे हैं, स्वतः कहा कि प्रदर्श पी–110 में 3 नंबर पर प्रदर्श पी–111 में 1 नंबर पर एवं प्रदर्श पी–112 में 8 नंबर पर जो फोटोग्राफ लगा है उसका नाम व पता लिखा है।

117. विनोद सिंह (अ.सा.7) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–110, 111, 112 के आठों व्यक्ति अलग अलग उम्र, शक्ल, कद, काठी, हुलिया, व रंग के व्यक्ति हैं। उक्त सभी फोटोग्राफ उनके ऑफिस के रिकार्ड में रखी हुई फोटो थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–110, 111, 112 के शिनाख्ती पंचनामा में आरोपिया द्वारा हाथ रखकर एवं मुंह से बोलकर पहचानने वाली बात का उल्लेख नहीं है।

118. वीना नायक (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में वर्ष 2021 से वर्तमान समय तक वनरक्षक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत है साथ ही सायबर सेल का प्रभार उसके पास था। दिनांक 13.10.2023 को उसके द्वारा सायबर सेल के सहायक प्रभारी के रूप में कार्य करते हुये वन पीओआर नंबर 237/10 दिनांक 18.08.2023 में सहायक प्रभारी एसटीएसएफ के आदेश दिनांक 22.08.2023 के माध्यम से मोबाईल नंबर 6 सिम के नंबर क्रमशः 7889014399, 8817659949, 7087963759, 9811757059, 7845842600, 6232465895 की स्थिति कॉल डिटेल की जानकारी लोकेशन वर्किंग ऑर्डर में होने की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई थी। उसके द्वारा शासकीय ईमेल में सिम की (नोडल एजेन्सी से प्राप्त, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, जियो) के मूल रूप में प्राप्त कर प्रदान की थी। उसके द्वारा जिस कम्प्यूटर प्रिन्टर से सायबर सेल से जानकारी

11/2/26

Continued Page No (88)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

संकलित किया था वे सभी कम्प्यूटर उपकरण नियमित उपयोग में होकर विधिवत् नियंत्राणाधीन थे। सभी संकलित इलेक्ट्रानिक रिकार्ड डाटा संकलित तथ्य एवं साक्ष्य की शुद्धता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई थी। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में सायबर सेल संयोजित कम्प्यूटर उपकरण के माध्यम से इलेक्ट्रानिक की जानकारी एवं रूपातंरण संबंधी कार्यवाही संचालित रही थी। उसके द्वारा दिया 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–114 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

119. वीना नायक (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि प्रकरण में संलग्न सीडीआर की सूची प्रदर्श पी–63 के अनुसार प्रकरण में संलग्न है। उसने आरोपी रिंडिक टेरोन्पि पत्नी लोंगसिंह सोनार को गिरफ्तार किया था गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–91 है जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। दिनांक 09.03.2025 को उसके सामने श्रीमती रिंडिक टेरोन्पी ने प्रभारी अधिकारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स को बयान दिये थे जो प्रदर्श पी–109 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उसके समक्ष फोटो शिनाख्तगी की कार्यवाही हुई थी। रिंडिक टेरोन्पी ने कॉलम 3 में दर्शित फोटो पहचानकर बताया था कि वह फोटो कल्ला बाबरिया की है, फोटो शिनाख्तगी प्रदर्श पी–110 है। दूसरी फोटो शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी–111 की कार्यवाही में रिंडिक ने फोटो क्रमांक 1 में पुजारी सिंह बाबरिया की पहचान की थी। प्रदर्श पी–112 फोटो शिनाख्तगी की कार्यवाही में रिंडिक ने फोटो क्रमांक 8 की फोटो माजुई के नाम से किया था, प्रदर्श पी–110 लगायत 112 के बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

120. वीना नायक (अ.सा.8) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी– 114 के प्रमाण पत्र में जो 6 नंबर सिम के बताए है वह किस किस कंपनी के थे और वह किन किन व्यक्तियों के नाम पर थी उसका उल्लेख नहीं किया है, स्वतः कहा कि नाम एवं कंपनी का नाम का प्रोफार्मा अलग आता है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त सभी नंबरों की सिम किसके नाम पर थी और किस कंपनी की थी वह प्रोफार्मा इस परिवाद में प्रस्तुत नहीं है एवं उपरोक्त सभी नंबरों की जो सीडीआर पेश

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (89)

की गई है वह किसी भी कंपनी के नोडल अधिकारी द्वारा असल पेश नहीं की है, स्वतः कहा कि नोडल अधिकारी द्वारा उनके कम्प्यूटर आईडी पर जो शासकीय ईमेल पर भेजी थी जिसे उसके द्वारा डॉउनलोड कर संबंधित अधिकारी द्वारा परिवाद के साथ पेश किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–114 में हैज वेल्यू एवं किस नेटवर्किंग से निकाली थी उसका उल्लेख नहीं है अब कहा कि उसके ऑफिस में बीएसएनएल का इंटरनेट कनेक्शन था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके प्रमाण पत्र में बीएसएनएल इंटरनेट कनेक्शन होने का उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपिया रिंडिक गुवाहाटी जेल में निरूद्ध थी वहां से नर्मदापुरम लाने पर उसके द्वारा फार्मल गिरफ्तारी की गई है, स्वतः कथन किया आरोपिया की गिरफ्तारी की सूचना उसकी बेटी को मोबाईल से दी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–110 के जो 8 फोटोग्राफ है वह सभी व्यक्ति अलग अलग शक्ल, उम्र, वेश भूषा के व्यक्तियों की तस्वीर है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपिया रिंडिक की कोई भी फोटो शिनाख्तगी नहीं कराई गई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके इस प्रकरण में आज दिनांक के पूर्व कभी भी आरोप पूर्व या आरोप पश्चात कोई गवाही नहीं हुई थी।

121. रवि शर्मा (अ.सा.11) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 07.03.2025 को स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स मुख्यालय भोपाल में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था और वनरक्षक रहते हुये सायबर सेल के प्रभारी के रूप में कार्यरत था। विवेचना अधिकारी एसटीएसएफ इकाई भोपाल द्वारा प्रकरण में आरोपी रिंडिक टेरोंपि के मोबाईल नंबर 7629852289, 8837007728, 8011931531 मोबाईल नंबर की सीडीआर कैफ प्राप्त करने हेतु पत्र अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन जीव एवं नियत्रंणकर्ता अधिकारी एसटीएसएफ भोपाल को लेख किया था जिसे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जानकारी प्रदान करने हेतु पृष्ठाकिंत किया गया था जो प्रदर्श पी–96 है जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उक्त पत्र के परिपालन में उसके द्वारा उपरोक्त

11/4/26

Continued Page No (90)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

मोबाईल नंबरो की सीडीआर/कैफ विवेचना अधिकारी को प्रदान किया था। उसके द्वारा उक्त नंबरो की सीडीआर/कैफ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) की शासकीय ई-मेल आईडी apccfwl.prot@mp.gov.in से विवेचना अधिकारी की शासकीय ई-मेल आई डी acftsf.hbd@mp.gov.in, oictsf.hbd@mp.gov.in पर मूल स्वरूप में प्रदान की गई थी।

122. रवि शर्मा (अ.सा.11) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि इसी प्रकार मोबाईल नंबर 9903311783, 8626853283, 9149984469, 9342897809 की सीडीआर/कैफ की वांछा की गई थी जिसके संबंध में उसके द्वारा विवेचना अधिकारी को सीडीआर भेजी गई थी। सीडीआर प्रदर्श पी-100 है, जिसमें करीब 320 पृष्ठ है। उसके द्वारा दिया 65बी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-115 एवं 116 है जिनके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उक्त जानकारी उसके प्रभार में शासकीय कम्प्यूटर/प्रिन्टर से संबंधित टीएसपी/टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर एवं तकनीकी शाखा से शासकीय ई-मेल आईडी stsf.bpl@mp.gov.in, apccfwl.prot@mp.gov.in पर प्राप्त कर विवेचना अधिकारी को प्रदान की गई थी। उस समय कम्प्यूटर सिस्टम उसके नियंत्रण में था तथा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में संयोजित होकर कार्यरत् था, जानकारी उसके अनुसार शुद्ध थी।

123. रवि शर्मा (अ.सा.11) ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि प्रदर्श पी-96 का जो पत्र उसे प्राप्त हुआ था उसमें मोबाईल नंबर जो 3 संख्या में बताए है वे सभी रिंडिक टेरोंपि आरोपिया के थे ऐसा विवेचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया है। प्रदर्श पी-99 के फार्म में मोबाईल नंबर 7629852289 का नंबर ही रिंडिक का होना बताया गया है शेष दो नंबर 8837007728, 8011931531 के कैफ का उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-99 की कैफ रिपोर्ट फोटोप्रति होकर परिवाद में पेश की गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपिया रिंडिक के संबंध में जो सीडीआर रिपोर्ट पेश की गई है वह उनके ऑफिस के ईमेल पर भेजी गई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि रिंडिक से संबंधित मोबाईल की सीडीआर संबंधित कंपनियों द्वारा अन्वेषण अधिकारी को स्वयं

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य ... मजिस्ट्रेट
... (म0प्र0)

Continued Page No (91)

उपस्थित होकर नहीं दी गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि कंपनी द्वारा आरोपिया रिंडिक से संबंधित सीडीआर उसे ऑफिस के मेल पर प्राप्त हुई थी वह उसने अन्वेषण अधिकारी की मेल आईडी पर फारवर्ड कर दी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसके समक्ष आरोपिया रिंडिक से संबंधित सीडीआर नहीं निकाली गई है एवं आरोपिया रिंडिक से संबंधित सीडीआर उसके द्वारा उसके कार्यालय की आईडी से प्रिन्टर के माध्यम से निकालकर अन्वेषण अधिकारी को नहीं सौंपी है।

124. रवि शर्मा (अ.सा.11) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–116 के प्रमाण पत्र में उसके द्वारा कंपनी द्वारा भेजे गये सीडीआर की हेश वेल्यू का उल्लेख नहीं है एवं प्रदर्श पी–116 के प्रमाण पत्र में उसके द्वारा इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सीडीआर रिपोर्ट किस कंपनी के नेटवर्किंग साईट से उसे प्राप्त हुई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी आदिन उर्फ कल्ला तथा रिंडिक टेरोन्पि के प्रकरण में उसकी आरोप पूर्व एवं आरोप पश्चात् कोई साक्ष्य नहीं हुई थी, साक्ष्य दिनांक को पहली बार उसकी साक्ष्य इस प्रकरण में हो रही है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–100 की सीडीआर असल प्रति में नहीं है बल्कि ईमेल से प्राप्त होने पर प्रिन्टर द्वारा निकाली गई है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–100 की सीडीआर से यह जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती कि किस नंबर से किस नंबर की क्या बातचीत हुई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त पुजारी के मोबाईल नंबर के संबंध में उसके द्वारा सीडीआर नहीं निकाली है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मोबाईल नंबर 9903311783, 8626853283, 9149984469, 9342897809 किस व्यक्ति के नाम से सिम जारी की गई है यह वह साक्ष्य दिनांक को नहीं बता सकता है।

125. ऋषभ शर्मा (अ.सा.12) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह पंजाब और सिंध बैंक शाखा शाहपुरा भोपाल में शाखा प्रबंधक के पद पर 08 मई 2023 से वर्तमान तक पदस्थ है। शाखा शाहपुरा बैंक से जारी स्टेटमेंट खाता कमांक 11241000003129 खाता धारक मेलोटी लालावम्पुई

11/4/26

Continued Page No (92)

(किरीज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

लेक्थेपी का उक्त खाता पंजाब एवं सिंध बैंक शिलांग शाखा 1124 में है, का दिनांक 01.01.2020 से 15.04.2025 तक का स्टेटमेंट जारी हुआ था, जिसे पंजाब और सिंध बैंक शाखा शाहपुरा भोपाल में श्री अमृतपाल सिंह बैंक अधिकारी द्वारा निकाला गया था। खाता धारक मेलोटी लालावम्पुई लेक्थेपी के खाता कमांक 11241000003129 से दिनांक 14.12.2022 से दिनांक 23.12.2022 तक 25 ट्रान्जेक्शन यूपीआई के माध्यम से यूसीबीए बैंक (यूको बैंक) के खाता कमांक 23070110053683 में किये गये, जिसमें कुल राशि 3,75,000/–रूपये अंतरित हुये।

126. ऋषभ शर्मा (अ.सा.12) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि दिनांक 14.12.2022 को 3 ट्रान्जेक्शन कमशः बीस हजार, बीस हजार एवं दस हजार रूपये, दिनांक 16.12.2022 को 4 ट्रान्जेक्शन कमशः बीस हजार, दस हजार, बीस हजार, बीस हजार, दिनांक 17.12.2022 को 02 ट्रान्जेक्शन कमशः बीस हजार एवं दस हजार रूपये, दिनांक 18.12.2022 को 5 ट्रान्जेक्शन कमशः दस हजार, बीस हजार, दस हजार, बीस हजार, दस हजार रूपये, दिनांक 19.12.2022 को 5 ट्रान्जेक्शन कमशः दस हजार, बीस हजार, दस हजार, बीस हजार, दस हजार रूपये, दिनांक 21.12.2022 को 1 ट्रान्जेक्शन दस हजार रूपये, दिनांक 23.12.2022 को 5 ट्रान्जेक्शन कमशः दस हजार, बीस हजार, बीस हजार, बीस हजार एवं पन्द्रह हजार रूपये के हुये। उक्त स्टेटमेंट पंजाब और सिंध बैंक शाखा शाहपुरा भोपाल में श्री अमृतपाल सिंह बैंक अधिकारी द्वारा दिनांक 15.04.2025 को निकाला जाकर प्रदान किये थे जो प्रदर्श पी– 105 है जिसके ए से ए भाग पर श्री अमृतपाल सिंह बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर है तथा बैंक शाखा की सील मुद्रा अंकित है। श्री अमृतपाल सिंह उसके साथ बैंक में सेवा देते है इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है।

127. ऋषभ शर्मा (अ.सा.12) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट आरोपिया रिंडिक के नाम से लेन देन के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही रिंडिक के खाते से संबंधित है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जो स्टेटमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है सिस्टम से निकाली गई प्रतियां है एवं साक्ष्य अधिनियम की

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (93)

धारा 65 का कोई प्रमाण पत्र उसके द्वारा सिस्टम से प्रतिलिपि निकालने के संबंध में नहीं दिया गया है।

128. डॉ. गुरूदत्त शर्मा (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 19.08.2023 को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में वन्य प्राणी चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। आफिसर इन्जार्च टाईगर स्टाईक फोर्स नर्मदापुरम (भोपाल) द्वारा उसके समक्ष कुछ सैम्पल परीक्षण हेतु सीलबंद अवस्था में प्राप्त हुये थे जिनकी सील तोड़कर उसके द्वारा वन्य प्राणी के अवयवों की जांच की गई थी जिसमें उसने पाया था किः–वन्य प्राणी के शल्क (स्केल्स) जिसका नाप 10.6 सेंमी गुणित 6.5, 7.5 सेंमी गुणित 6.8, 6.8 सेंमी गुणित 7.1, 7.4 सेंमी गुणित 6.3, 5.5 सेंमी गुणित 6.5 था। वन्य प्राणी का नाखून जिसका नाप 5.6 सेंमी गुणित 2.4 सेमीं था, वन्य प्राणी के मूंछ का बाल जिसकी लंबाई 14.3 सेंमी थी एवं वन्य प्राणी के मूंछ का बाल जिसकी लंबाई 15.8 सेंमी थी। उसके अभिमतानुसार उसके द्वारा परीक्षण करने पर पाया गया कि सैम्पल कमांक 01 लगायत 05 तक के स्केल्स वन्य प्राणी भारतीय पैंगोलिन के थे जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची कमांक–1 का प्राणी है। सैम्पल कमांक 6 का परीक्षण करने पर उसने पाया कि उक्त नाखून बाघ का है। सैम्पल कमांक 7 एवं 8 जो बाल हैं वह बाघ की मूंछ के बाल हैं। उक्त परीक्षण के पश्चात् सैम्पल कमांक 01, 02, 03, 06, 07 एवं 08 को प्रयोगशाला परीक्षण हेतु पुनः सीलबंद कर आफिसर इन्जार्च को स्कूल ऑफ वाईल्ड लाईफ ऑफ फारेसिंग एण्ड हेल्थ जबलपुर को भेजने हेतु सीलबंद करके दे दिया था। सैम्पल कमांक 04 एवं 05 को सीलबंद कर विवेचना अधिकारी के सुपुर्द कर दिया था। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–113 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

129. डॉ. गुरूदत्त शर्मा (अ.सा.8) ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–113 में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि जिन वन्य प्राणियों के अवयवों की उसने जांच की है उन वन्य प्राणियों की मृत्यु अवयवों की रिपोर्ट जांच के कितने समय पूर्व हो गई थी, स्वतः कहा कि यह बताना संभव नहीं है, यह केवल प्रयोगशाला परीक्षण उपरान्त ही बताया जाना

11/4/26

Continued Page No (94)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

संभव है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसे सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में शासन द्वारा वन्य जीवों के चिकित्सा हेतु पदस्थ किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–23 के पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जो अवयव जांच हेतु उसके पास भेजे गये थे वे सीलबंद अवस्था में थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इस पत्र में जो अवयव भेजे गये थे उन पर सील लगी है और उसका नमूना का उल्लेख इस पत्र में नहीं है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–113 में पैंगोलिन के स्केल्स किस कलर में थे उसका उल्लेख नहीं किया है, स्वतः कहा कि पैगोंलिन के स्केल्स हल्के पीले कलर के ही होते हैं और उसका कोई दूसरा रंग नहीं होता है इसलिए पृथक से उसके रंग का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पैगोलिन के स्केल्स रेतीला पीला, हल्का भूरा, जैतून का रंग, गहरा भूरा और काले कलर का होता है, स्वतः कहा कि विश्व में पैगोलिन की कई प्रजातियां पाई जाती है किन्तु भारत में पाये जाने वाले भारतीय पैगोंलिन के स्केल्स का कलर हल्का पीला से गहरा पीला होता है और उम्र के साथ साथ यह कलर बहुत हल्का सा परिवर्तित होता है।

130. डॉ. गुरूदत्त शर्मा (अ.सा.8) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–113 में उसने पैगोंलिन के स्केल्स का कलर नहीं लिखा है इसलिए वह स्केल्स किस उम्र के पैगोंलिन के थे वह भी नहीं लिखा है, स्वतः कहा कि जो उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये थे उसमें अलग अलग आकार के स्केल्स थे जिससे कहा जा सकता है कि वे अलग अलग उम्र के पैगोंलिन के स्केल्स थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि भारतीय पैगोंलिन के शरीर पर मौजूद स्केल्स पत्तेदार होते हैं और वह शरीर के उपर से नीचे की ओर घटते कम में होते हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि भारतीय पैगोंलिन पर स्केल्स शरीर के उपरी हिस्से पर बड़े आकार के होते हैं और नीचे के ओर घटते कम में छोटे होते हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि एक व्यस्क पैगोंलिन के शरीर पर स्केल्स 11 से 13 पक्तियों में होते हैं, स्वतः कथन किया वह पक्के

11/4/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

Continued Page No (95)

तौर पर यह नहीं बता सकता कि उसके द्वारा जांच किये गये स्केल्स पैगोंलिन के शरीर के उपरी हिस्से के थे अथवा मध्य या नीचे के हिस्से के थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने उसकी प्रदर्श पी–113 की रिपोर्ट में नाखून और मूंछ के बाल बाघ के होना संदिग्ध बताया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–113 की रिपोर्ट में कॉलम नंबर 6 पर जो उसने नाखून बताए हैं वैसे नाखून बाजार में नकली सामग्री से तैयार किये हुये भी मिलते हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने कॉलम नंबर 7 और 8 की मूंछ के बाल टाईगर के थे इस संबंध में स्पष्ट अपनी राय नहीं दी है, स्वतः कहा कि टाईगर, बाघ और तेन्दुए के मूंछ के बाल में काफी समानता होती है इसलिए उनके सैम्पल एकत्रित कर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गये थे।

131. डॉ. गुरूदत्त शर्मा (अ.सा.8) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जो मूंछ के बाल उसके पास जांच हेतु आए थे वे किस कलर में थे उसका भी उल्लेख नहीं किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि सामान्यतः नाखून और बाल प्राकृतिक रूप से वन्य प्राणियों के टूटकर जंगल में गिरते हैं तथा दो वन्य प्राणियों के संघर्ष में भी नाखून और मूंछ के बाल टूट जाते हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जो अवयवों की जांच की गई है उनकी रिपोर्ट प्रयोगशाला से आने के बाद ही पक्के तौर पर बताया जा सकता है कि वे किस वन्य प्राणी की है और कब उनको निकाला गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि दिनांक 19.08.2023 को उपरोक्त अवयव उसके पास आए थे उसने उन्हें खोलकर देखा था और फिर तुरन्त ही सीलबंद करके संबंधित अधिकारी को सौंप दिया था, तद्उपरान्त दिनांक 11.09.2023 को प्रदर्श पी–113 की रिपोर्ट तैयार की गई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि दिनांक 11.09.2023 को जब वह उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–113 तैयार कर रहा था तब उसके पास अवयव मौजूद नहीं थे, स्वतः कहा कि जब उसने सैम्पल परीक्षण हेतु खोलकर देखे थे उसी समय उसके द्वारा इन अवयवों से संबंधित समस्त जानकारी एकत्रित कर ली गई थी।

11/2/26

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (96)

132. डॉ. गुरूदत्त शर्मा (अ.सा.8) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जांच रिपोर्ट देने के पूर्व संबंधित अवयवों की जांच का पैमाना क्या था एवं किन आधारों पर उसने उन अवयवों को पैगोंलिन एवं बाघ के अवयव होना बताया है, ऐसा कहीं रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने एफएसएल जांच रिपोर्ट को आए बगैर जप्तशुदा वन्य जीव के अवयवों को पैगोंलिन एवं बाघ के अवयव होना बताया है, स्वतः कहा कि उसके समक्ष जो अवयव प्रस्तुत किये गये थे उनका परीक्षण किये जाने के उपरान्त ही उसने बाघ एवं पैगोंलिन के अवयव होना अपनी रिपोर्ट में बताया है। उक्त साक्षी से पूछे जाने पर कि जब आपने जप्तशुदा वन्य जीव अवयवों की जांच उपरान्त उन अवयवों को पैगोंलिन एवं बाघ के अवयव होना अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी–113 में लेख कर दिया था तब उन अवयवों को एफएसएल जांच हेतु क्यों भेजा गया था तो साक्षी ने उत्तर दिया कि सभी अवयव उसके अनुसार संदिग्ध थे एवं उन अवयवों की उचित परीक्षण एवं जांच एवं कन्फर्म करने हेतु उन्हें एफएसएल प्रयोगशाला भेजे जाने हेतु भेजा गया था क्योंकि इस प्रकार के अवयव शिकारियों द्वारा नकली भी बनाकर तस्करी की जाती है। साक्षी से यह भी पूछे जाने पर कि आपके अनुसार जप्तशुदा अवयव असली थे या नकली थे आपको निश्चित नहीं पता है तो साक्षी ने उत्तर दिया कि उक्त जप्तशुदा अवयव असली थे किन्तु शेर एवं तेंदुआ के नाखूनों में काफी समानता होती है इसलिए उसको कन्फर्म करने के लिए उन्हें रासायनिक प्रयोगशाला भेजा गया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसे यह निश्चित तौर पर ज्ञात नहीं था कि जप्तशुदा नाखून शेर, बाघ अथवा तेंदुआ के हैं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में शेर एवं तेंदुआ के नाखून जप्त नहीं किये हैं।

133. अभिलेख में संलग्न सी.डी. एवं पेनड्राइव को खुले न्यायालय में अभियोजन पक्ष एवं आरोपीगण के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में न्यायालय के कम्प्यूटर में परिचालित किया गया। परिचालन के दौरान कॉल डिटेल की

11/4/26

Continued Page No (97)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

जानकारी, कुछ फोटोग्राफ्स जैसे राष्ट्रीय ध्वज, बंदर, पारिवारिक फोटोग्राफ्स, अभिनेत्रियों के फोटोग्राफ्स आदि पाये गये।

134. अब प्रश्न यह है कि क्या उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण ने दिनांक 18.08.2023 को और उसके पूर्व वन्यप्राणी बाघ (Panthra Tigris) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2022) की अनुसूची 1 भाग ए में अनुक्रमांक 49 एवं CITES (Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट I के अनुक्रमांक 72 पर और वन्यप्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग–1 के अनुक्रमांक 113 एवं CITES की परिशिष्ट I के अनुक्रमांक 154 पर दर्ज वन्यजीव जिनका शिकार एवं अव्यवों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है, उक्त अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी बाघ के 01 नग नाखून, बाघ की मूंछ के 2 नग बाल और वन्य प्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) स्केल्स 05 नग का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया?

135. साक्ष्य के कमबंधन के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि विचारित आरोपीगण के आरोपों के संबंध में राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6), चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.3), मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.4), अनिल कुमार (अ.सा. 2) एवं दिनेश शर्मा (अ.सा.1) को प्रदर्श डी 1 के पत्र द्वारा वन्यप्राणी मुख्यालय म.प्र. भोपाल को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन्यप्राणी के अव्यव की अवैध व्यापार में लिप्त अपराध गिरोह के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु दल गठित कर आदेशित किया गया है, दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.1) द्वारा गठित दल के साथ घटना स्थल नजरी नक्शा प्रदर्श पी 5 पर पहुंचकर आरोपी आदिन सिंह वल्द ग्यासन से वन्यप्राणी पैंगोलिन के स्केल 5 नग, वन्यप्राणी बाघ के नाखून 1 नग, बाघ की मूंछ के बाल 2 नग, कपड़े के बैग 7 नग, काला धागा 1 नग, लाल कपड़े का सिला हुआ ताबीज 1 नग एवं एक रियलमी कंपनी का मोबाईल जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 3 एवं प्रदर्श पी 4 के अनुसार जप्त किया जाना दर्शित है। आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला की गिरफ्तारी की कार्यवाही की पुष्टि भी

11/2/26

Continued Page No (98)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 20 से होती है। जप्ती एवं नक्शा मौका की कार्यवाही का समर्थन अनिल कुमार यादव (अ.सा.2), चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा. 3) एवं राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने भी किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में बचाव पक्ष द्वारा कोई महत्वपूर्ण त्रुटि/विरोधाभास को अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

136. वन्यजीव अपराध में पीड़ित/पक्षकार अर्थात् वन्यजीव बेजुबान निरीह जीव होता है, जो कि मानव अपराध की दशा अनुसार स्वयं की पीड़ा किसी अन्य से या किसी फोरम पर व्यक्त कर पाने में सक्षम नहीं होता है और न ही संबंधित अपराध की प्रकृति ऐसी होती है कि उसके संबंध में घटना स्थल का कोई रहवासी या अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी या प्रत्यक्ष साक्षी मिल पाना संभव नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा की गयी संस्वीकृतियां लिखित में है। अभियुक्त आदिन सिंह उर्फ कल्ला द्वारा की गयी लिखित संस्वीकृति प्रदर्श पी 16 जो सक्षम वन अधिकारी अंकित सिंह जामौद के समक्ष दर्ज की गयी है। अभियुक्त पुजारी द्वारा की गयी लिखित संस्वीकृति प्रदर्श पी 60 एवं रिंडिक टरोंपी द्वारा की गयी लिखित संस्वीकृति प्रदर्श पी 109 जो सक्षम वन अधिकारी विनोद सिंह के समक्ष दर्ज की गयी है। अभियुक्त आदिन सिंह उर्फ कल्ला के संस्वीकृतिजन्य कथन प्रदर्श पी 16 चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.3) एवं अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) ने उनके समक्ष लेखबद्ध किया जाना बताया है। अभियुक्त पुजारी के संस्वीकृतिजन्य कथन प्रदर्श पी 60 के संबंध में अनिल कुमार यादव (अ.सा.2) एवं राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने उनके समक्ष लेखबद्ध किया जाना बताया है एवं अभियुक्त रिंडिक के संस्वीकृतिजन्य कथन प्रदर्श पी 109 वीना नायक (अ.सा.9) ने उनके समक्ष लेखबद्ध किया जाना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसी प्रतिरक्षा या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त संस्वीकृति किसी धमकी, वचन और उत्प्रेरणा के अधीन की गयी हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के उक्त संस्वीकृति कथन साक्ष्य में सुसंगत होकर प्रकरण में ग्राह्य किये जाने योग्य है।

11/4/26

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

Continued Page No (99)

137. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला के धारा 50(8) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के संस्वीकृतिजन्य कथन के आधार पर आरोपी पुजारी एवं रिंकिक के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर आरोपीगण को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। अभियोजन द्वारा आरोपीगण के आपस में संबंध होने के संबंध में आरोपीगण की आपस में बातचीत करने की कॉल की डिटेल्स की सारांश रिपोर्ट प्रदर्श पी 32, 63, सी.डी.आर प्रदर्श पी 61, 100 जो कि उनके पास से जप्तशुदा मोबाईल से एकत्रित कर प्रस्तुत की गयी है, जिससे उक्त आरोपीगण का आपस में संबंध होना स्पष्ट दर्शित होता है। उक्त संबंध में आरोपीगण द्वारा उक्त बिंदु पर कोई चुनौती नहीं दी गयी कि उक्त आरोपीगण की किस संबंध में एक–दूसरे से बातचीत होती थी।

138. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अभियुक्तगण के द्वारा दिये गये कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8) के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण करने के लिये अन्वेषण अधिकारी साक्ष्य ग्रहण कर सकता है और अभिलिखित कर सकता है और ऐसी साक्ष्य पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य मानी गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के कथन लेखबद्ध किये गये है वे सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये गये है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियुक्तगण के कथन उन्हें डरा धमकाकर लेखबद्ध किये गये है। अभियुक्तगण के कथन जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किये गये हो वे साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत–**फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर बनाम अबोदकर 1989 के.एच.सी. 201 एवं कुरकली व अन्य बनाम फोरेस्ट रेंजर आफिसर व अन्य 2012 के.एच.सी. 231 अनुकरणीय है** जिनमें यह निश्चित किया गया है कि सक्षम अधिकारी जो कि पुलिस अधिकारी नहीं है के द्वारा अभिलिखित अभियुक्त के संस्वीकृति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है।

11/2/26

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (100)

139. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8) के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा दिया गया कथन न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) की श्रेणी में आता है तथा न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) यद्यपि एक कमजोर साक्ष्य की श्रेणी में आता है, किन्तु उसके आधार पर भी दोषसिद्धी की जा सकती है यदि यह प्रमाणित हो जाये कि उक्त स्वीकारोक्ति स्वेच्छयापूर्वक की गई है। इस प्रकार न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) की साक्ष्य के विषय में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत पवन कुमार चौरसिया बनाम बिहार राज्य 2023 के.एच.सी. 6253 में प्रतिपादित सिद्धांत** को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में अन्य साक्ष्य को ध्यान में रखते हुये यह निष्कर्ष देना है कि अभियुक्तगण के कथनों की संपुष्टि अभिलेख पर आने वाली अन्य साक्ष्य से हो रही है या नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन ने प्रकरण में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य (घटना स्थल पर जप्त वन्यप्राणी पैंगोलिन के स्केल 5 नग, वन्यप्राणी बाघ के नाखून 1 नग, बाघ की मूंछ के बाल 2 नग) एवं वन्यप्राणी चिकित्सक की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 44 एवं 45 से भी आरोपीगण के विरूद्ध विरचित आरोपों की पुष्टि की है।

140. अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति कथन वन अधिकारीगण वन विभाग के समक्ष दिये गये है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य है। इस संबंध में **माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत फारेस्ट रेंज आफिसर चुंगाधारा रेंज वि० अप्पू बकर एवं अन्य 1989 क्रिमिनल ला जर्नल 2038 अवलोकनीय** है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "वन विभाग के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उनके समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में फारेस्ट आफिसर पर विनिर्दिष्ट संदर्भों में केवल पुलिस अधिकारी की कुछ शक्तियां प्रदान की गयी है, सभी शक्तियां नहीं दी गई है। इसलिए उनके समक्ष की गई अपराध की स्वीकारोक्ति से धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगी और धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बाधक नहीं बनेगी।"

11/2/26

Continued Page No (101)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म0प्र0)

141. अभिलेख पर अभियोजन साक्षीगण एवं अभियुक्तगण के संस्वीकृतिजन्य कथनों की संपुष्टि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वन्यजीव फारेंसिंक विभाग (वन्यजीव फारेंसिंक एवं स्वास्थ्य विद्यालय) की रिपोर्ट प्रदर्श पी 44 जिसमें डी.एन.ए आधारित प्रजाति पहचान रिपोर्ट में डी.एन.ए. स्त्रोत पैंगोलिन (मैनिस कैसिकौडाटा) एवं रिपोर्ट प्रदर्श पी 45 जिसमें वन्यप्राणी के नाखून एवं मूंछ के बाल का डीएनए स्त्रोत बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस) होना पाया गया। अभियुक्तगण द्वारा आपस में हुई बातचीत की विवरण रिपोर्ट, जप्त हुये वन्यप्राणी पैंगोलिन के स्केल 5 नग, वन्यप्राणी बाघ के नाखून 1 नग, बाघ की मूंछ के बाल 2 नग से अभियोजन कहानी समर्थित होती है, जिनकी कडियां आपस में एक दूसरे से मोतियों की माला की भांति आपस में जुड़ रही है। जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा उनको अभिरक्षा में लिए जाने की दिनांक एवं उसके पूर्व के वर्षों में उक्त अपराध में संलिप्त सह अभियुक्तगण तथा फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर वन्यप्राणियों के अव्यवों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत् अंतरराज्यीय सदस्य के गिरोह के रूप में कार्य कर वन्यजीव का अवैध व्यापार बिना वैध अनुज्ञप्ति के किया।

142. आरोपीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया है कि वनक्षेत्रापाल राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) को उक्त अधिनियम की शक्तियों के अंतर्गत परिवाद पेश करने की अधिकारिता नहीं है। वह परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उक्त संबंध में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 (ग) के अंतर्गत वनक्षेत्रापाल द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क. एफ 15–29–2001–X –2, दिनांक 22.01.2002 के द्वारा धारा 55 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी रेंज आफिसर को सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है एवं परिवादी श्री राजू सिंह राजपूत वनक्षेत्रपाल प्रभारी अधिकारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक एफ 15–24/06/10–2 दिनांक 03.08.2006 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश के आदेश कमांक/189

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (102)

दिनांक 22.08.2006 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत है। अतः आरोपीगण की ओर से दिया गया तर्क मान्य योग्य नहीं है।

143. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। उक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी कि विवेचना अधिकारियों की आरोपीगण से कोई व्यक्तिगत रंजिश/द्वेष रहा हो, जिसके आधार पर आरोपीगण को उक्त प्रकरण में संलिप्त किया गया है, वन विभाग के सभी सदस्य शासकीय कर्मचारी, अधिकारी है। उनकी अभियुक्तगण से कोई रंजिश प्रमाणित नहीं है। वन विभाग के कर्मचारी द्वारा लोक सेवक के कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है।

144. उक्त अपराध से संबंधित सभी आरोपीगण के बीच एक ऐसी कड़ी दर कड़ी विद्यमान थी और उसी कड़ी के क्रमबंधन में आरोपीगण वन्यजीव का अवैध रूप से व्यापार/परिवहन एवं शिकार किया करते रहे है। प्रकरण में आई अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 18.08.2023 को और उसके पूर्व वन्यप्राणी बाघ (Panthra Tigris) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2022) की अनुसूची 1 भाग ए में अनुक्रमांक 49 एवं CITES (Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट I के अनुक्रमांक 72 पर और वन्यप्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग–1 के अनुक्रमांक 113 एवं CITES की परिशिष्ट I के अनुक्रमांक 154 पर दर्ज वन्यजीव जिनका शिकार एवं अव्यवों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है, उक्त अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी बाघ के 01 नग नाखून, बाघ की मूंछ के 2 नग बाल और वन्य प्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) स्केल्स 05 नग का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया।

11/2/26
(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम

Continued Page No (103)

145. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, (यथा संशोधित, 2022) की धारा 44, 49/51 के अंतर्गत दोषी पाते हुये जिसका दण्ड धारा 51 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। कारित अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुये अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

146. अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिये प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।

11/4/26

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम

पुनश्चः–

147. अभियुक्तगण व उनके अधिवक्तागण एवं अभियोजन को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण गरीब परिस्थिति के व्यक्ति हैं। अभियुक्त आदिन एवं पुजारी वर्ष 2023 एवं आरोपी रिंडिक वर्ष 2025 से विचारण का सामना कर रहे हैं एवं अभियुक्तगण लंबी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि उनका यह प्रथम अपराध है अभियुक्तगण आदतन अपराधी नहीं है। उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। अतः उनके प्रति सद्भावना दिखाई जाये एवं कम से कम सजा से दण्डित किया जाये। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि वन्यप्राणी अपराध विश्व स्तर पर चौथे संगठित अपराध की श्रेणी में दर्ज है। अतः आरोपीगण को कठोर से कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

11/4/26

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

Continued Page No (104)

148. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 18.08.2023 को और उसके पूर्व वन्यप्राणी बाघ (Panthra Tigris) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2022) की अनुसूची 1 भाग ए में अनुक्रमांक 49 एवं CITES (Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora) की परिशिष्ट I के अनुक्रमांक 72 पर और वन्यप्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग–1 के अनुक्रमांक 113 एवं CITES की परिशिष्ट I के अनुक्रमांक 154 पर दर्ज वन्यजीव जिनका शिकार एवं अव्यवों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है, उक्त अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी बाघ के 01 नग नाखून, बाघ की मूंछ के 2 नग बाल और वन्य प्राणी पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) स्केल्स 05 नग का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया। आरोपी आदिन सिंह उर्फ कल्ला को महाराष्ट्र राज्य में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जा चुका है। अतः प्रकरण की परिस्थिति और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण को अपराधी परिवीक्षा विधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

149. अतः प्रकरण की उपरोक्त परिस्थिति एवं कारित अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुये उक्त प्रावधानों के आलोक में अभियुक्तगण को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, (यथा संशोधित, 2022) की धारा 44, 49/51 के अंतर्गत वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में अंकित वन्यजीव का शिकार एवं अवैध व्यापार/परिवहन करने के आरोप में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, (यथा संशोधित, 2022) की धारा 51(1) के अधीन 4–4 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000–25,000/– (पच्चीस हजार–पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को 6–6 मास का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। निरोध में व्यतीत की गयी अवधि को मूल कारावास की सजा में समायोजित किया जावे।

11/4/26

Continued Page No (105)

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

150. प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्तगण का सजा वारंट तैयार किया जाकर उन्हें सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त आदिन सिंह उर्फ कल्ला का सजा वारंट अकोला जिला कारागार वर्ग–1, अकोला महाराष्ट्र, अभियुक्त रिंडिक टेरोन्पी का सजा वारंट केन्द्रीय जेल, भोपाल एवं आरोपी पुजारी सिंह का सजा वारंट केन्द्रीय जेल, नर्मदापुरम भेजा जावे।

151. प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे। तत्संबंध में द.प्र.स की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जाकर अभिलेख में संलग्न किया जावे तथा उक्त प्रमाण पत्र निर्णय का भाग रहेगा।

152. प्रकरण में परिवाद पत्रों अनुसार अन्य आरोपीगण के विरूद्ध पूरक परिवाद प्रस्तुत किया जाना है अतः प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार में जमा किया जावे।

153. अभियुक्तगण को निर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

11/2/26

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

11/2/26

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

FIROZ AKHTAR
Digitally signed by FIROZ AKHTAR
Date: 2026.02.11 19:15:53 +0530

Continued Page No ()